पंचम माला, खंड 25, अंक 22. बुधवार, 21 मार्च, 1973/30 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 22. Wednesday, March 21, 1973/Phalguna 30, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खण्ड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 21 मार्च, 1973/30 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 22, Wednesday, March 21, 1973/Phalguna 30, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
402. संयुक्त क्षेत्र में कारखानों की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Establishment of Joint Sector Units	2—7
403. सिनेमा घरों की कमी के करण अच्छी फिल्मों का न दिखाया जाना	Good Films not Screened Owing to Shortage of Cinema Houses	7—11
404. दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र	Mithila Broadcasting Station at Darbhanga	11—13
406. चौथी योजना में औद्योगिक विकास	Industrial Growth during Fourth Plan	13—14
407. उद्योगों के लिए आयात	Imports for industries	14—15
408. ब्लैक दिसम्बर संगठन की गतिविधियां	Activities of Black December Organisation	15—17
409. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices	18—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या	विषय		पृष्ठ
S. Q. Nos.		Subject	Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
401.	राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन में कानून और व्यवस्था की समस्या पर चर्चा करना	Discussion of Law and Order Problem at the Recent Conference of Chief Ministers of States	19
405.	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा बनाई गई समन्वित अनुसंधान योजना	Co-ordinated Research Plan made by the National Committee on Science and Technology	20
410.	समाचार पत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारण के लिये कानून	Legislation on Limiting Advertisement Space in Newspapers	20
411.	सिगरेट उद्योग में लगी विदेशी और भारतीय पूंजी	Foreign and Indian Investment in Cigarette Industry	20—21
412.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के बीच मार्च 1973 में चर्चा	Discussion between Planning Commission and Representatives of States and Union Territories in March, 1973	21—22
413.	पम्प उद्योग के लिए टास्क फोर्स समिति	Task Force Committee for Pump Industry	22
414.	मनीपुर में माओ के निकट विद्रोही नागाओं द्वारा एक सरकारी अधिकारी से 90,000 रुपये लूटा जाना	Looting of Rs. 90,000 from a Government Official by Hostile Nagas near Mio in Manipur	22—23
415.	फिल्म वित्त निगम द्वारा वर्ष 1972 में अनुमोदित बंगाली और हिन्दी के फिल्म आलेख	Film Scripts in Bengali and Hindi Approved by FFC in 1972	23
416.	औद्योगिक सहकारी समितियों में लगी पूंजी	Industrial Investment in Co-operative Socieities	23—25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
417.	डिजायन डोक्युमेंटेशन में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Design Documentation	25—26
418.	सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा-निवृत अधिकारियों की पुनःनियुक्ति	Re-appointment of Retired ICS and IAS Officers working in Public and Private Establishments	26
419.	लोकोमोटिव की गति और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रणाली	Electronic System for controlling Locomotive Speed and Power	27
420.	त्रिपुरा की अनुसूचित जन-जातियों की पूंजी में बंगाली मूलक लास्कर जाति का शामिल किया जाना	Inclusion of Bengali Origin Laskar Community in the List of Scheduled Tribes of Tripura	27—28

अतारांकित प्रश्नों की संख्या
U. S. Q. No.

3 56.	फिलस्तीनी गुरिल्लाओं द्वारा दूतावासों पर आक्रमण	Attack on Embassies by Palestinian Guerillas	28
3957.	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में हुई अरब विद्यार्थियों की गुप्त बैठक	Conclave of Arab Students held in Colf Links, New Delhi	28—29
3958.	केरल में बेरोजगार इन्जीनियरों को सहायतार्थ अनुदान	Grant to assist unemployed Engineers and Technicians in Kerala	29
3959.	पृथक वरीयता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए सेलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on 'the basis of separate seniority	29—30
3960.	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up National Laboratories	30—31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3961.	उर्दू समाचार ब्युलेटिन के प्रसारण में उच्चारण का अशुद्ध होना	Defective pronunciation in Urdu News Bulletin Broadcast	31
3962.	उत्तरी बिहार के लिए सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Micro Wave System for North Bihar	31—32
3963.	दिल्ली विकास प्राधिकरण को सीमेंट की सप्लाई में कमी	Shortage in Cement supply to DDA	32
3964.	दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में कोली जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मिली मान्यता को समाप्त करना	De-recognition of Koli Caste as Scheduled Caste in the Union Territory of Delhi	32—33
3965.	राजस्थान में भूमिगत पाकिस्तानी नागरिक	Pak Nationals gone underground in Rajasthan State	33
3966.	मध्य प्रदेश में खाद्य उत्पादन में शीघ्र लाभ दिलाने वाली सिंचाई योजनाओं को तैयार करना	Preparation of Irrigation Schemes with quick yielding results in food production in M.P.	33
3967.	सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats in Public and Private industries for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services	33—34
3968.	पम्प सेट बनाने वाले कारखाने	Factories manufacturing Pump-Sets	34—35
3969.	दिल्ली-अलीगढ़, फिरोजाबाद-आगरा और दिल्ली-फिरोजाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करना	Introduction of direct dialling system between Delhi-Aligarh, Firoz abad-Agra and Delhi-Firozabad	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3970.	मंत्रियों द्वारा किए गए दौरे	Tours performed by Ministers	35
3971.	अनुसूचित जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन	Change of Religion by Scheduled Castes	35—36
3972.	केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Government offices and public sector undertakings	36
3973.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखना	Laying of Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Table of the House	37
3974.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन	Action taken reports on the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Castes/Tribes	37
3975.	फिल्म वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by Film Finance Corporation	38—39
3976.	केरल प्रसारण केन्द्र का विस्तार	Expansion of Kerala Transmitting Stations	39
3978.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास	Development of Village Economy	39—40
3979.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम	Chairman and Members of Board of Directors of National Textile Corporation	40—41
3980.	बिहार में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य में विस्तार	Expansion in work of Survey of India in Bihar	41

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3981.	हरियाणा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध चण्डीगढ़ पत्रकार संघ की शिकायत	Complaint of Chandigarh Union of Journalists against Haryana Chief Minister	41
3982.	सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई कपड़ा मिलों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा कुप्रबन्ध के बारे में जांच समितियों का नियुक्त किया जाना	Appointment of Enquiry Committees on Mismanagement by Managing Directors of Textile Mills taken over by Government	42
3983.	रेजगारी न होने के कारण पार्लियामेंट स्ट्रीट के तार घर में अर्जेन्ट तार स्वीकार न किया जाना	Urgent Telegram not entertained at Telegraph Office, Parliament Street for want of change	42
3985.	दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना	Regularisation of unauthorised constructions in Delhi	42—43
3986.	चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण एसोसियेशन रामकृष्णपुरम्	Class IV Government Employees residents Welfare Association R.K. Puram	43
3987.	नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के जिलों में चोरी और डकैती रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध	Security Arrangements for Checking Theft and Dacoity in the Districts of Bihar located on Nepal Border	43—44
3988.	राजस्थान में पुलिस अधिकारियों के घरों पर छापे	Raid in Residences of Police Officials in Rajasthan	44
3989.	कोलिहान (राजस्थान) में यूरेनियम निकालना	Exploitation of Uranium in Kolihan (Rajasthan)	44
3990.	भारत में रह रहे नेपालियों का भारतीय नागरिता के लिए अनुरोध	Request for Indian Citizenship to Nepalese Residing in India	44—45
3991.	स्वतंत्रता सेनानियों को मनीआर्डर द्वारा पेंशनों का भुगतान	Payment of pensions to Freedom fighters by Money Orders	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3992.	भारत में अनुसन्धान कार्य में लगे हुए अमरीकी छात्रों के बीजा पत्रों की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of Visas of American Students engaged in Research Work in India	45
3993.	औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendments to Industrial Disputes Act	46
3994.	अरब छात्रों द्वारा गुरिल्ला गतिविधियां	Guerilla Activities by Arab Students	46
3995.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे गए मामले	Cases dealt with by Central Vigilence Commission	46—47
3996.	राष्ट्रीय समृद्धि के लिए चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के बारे में बम्बई में विचार गोष्ठी	Seminar of leather goods exports for National prosperity in Bombay	47—48
3997.	चैकोस्लावाकिया द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात	Import of Manufactured Goods by Czechoslovakia	48
3998.	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violations of Foreign Exchange Regulations	49
3999.	आंध्र प्रदेश में पृथकतावादी आंदोलन में काले धन और विदेशी धन का प्रयोग	Use of Black Money and Foreign Money for Separatist Movement in Andhra Pradesh	49
4000.	डाकघर बचत योजना में नवीनता का लाना	Introduction of Novelty in Post Office Savings Scheme	49—50
4001.	आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on the Central and Economic Development of Adivasis	50
4002.	टेलीविजन सैट बनाने के लिए गैर सरकारी और सरकारी एजैंसियों को दिए गये लाइसेंस	Licences issued to Private and Government Agencies to manufacture T.V. Sets	51—52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4003.	सोवियत संघ द्वारा यूरोप में दुर्लभ मुद्रा में वस्तुओं की कथित बिक्री	Alleged sale of Goods by USSR in Hard Currency in Europe	52
4004.	टायरों और ट्यूबों की किस्म	Quality of Tyres and Tubes	52—53
4005.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा जनगणना रिपोर्ट में शुद्धियों के लिए प्रार्थना	Request made by Hindi Sahitya Sammelan for Corrections in Census Report	53
4006.	साहू जैन समूह को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Sahu Jain Group	53
4007.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग	Indo German collaboration in the field of Science and Technology	54
4008.	रोजगार कार्यक्रमों के वित्त-पोषण के लिए उपकर लगाना	Levy of Cess to Finance Employment Programme	54—55
4C09.	पिछड़े राज्यों के पर्वतीय जिलों में इलैक्ट्रोनिक्स तथा दूर संचार उद्योगों की स्थापना के लिए योजना	Scheme to set up Electronics and Telecommunication Industries in Hill Districts of Backward States	55
4011.	एशियाई देशों की न्यूज एजेन्सियां	News Agencies of Asian Countries	55—56
4012.	उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए व्यवहार संहिता	Guideline for the Behaviour of Industrialists and Entreprene-ures	56
40,4.	देहरादून में उपग्रह यूनिट की स्थापना में कनाडा की सहायता	Canadian Assistance in setting up Satellite Unit at Dehradun	56—57
4015.	आंध्र पृथकतावादियों द्वारा सम्पत्ति नष्ट किए जाने का उद्देश्य तथा वित्तीय समर्थन के लिए उनके साधन	Motivation behind Destruction of Property by Andhra Separatists and sources of their material support	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4016.	शहरघाट में सर्वजनिक टेली-फोन लगाना	Opening of PCO at Shaharghat	57—58
4017.	मन्दिर की मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में गिरफतार व्यक्तियों को कठोर दण्ड देना	Imposition of Severe Punishment to Persons arrested in conne:tion with Theft of Temple Idols	58—59
4018.	प्रसारण केन्द्रों की राज्यवार स्थापना	Statewise location of Broadcasting Centres	59
4019.	हैदराबाद स्थित केन्द्रीय औजार तथा डिजायन संस्थान द्वारा लघु उद्योगों के लिए सेवाएं	Services of Central Institute of Tool and Design Hyderabad for Small Scale Industry	59—60
4020.	राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनु-संधान संस्था, हैदराबाद द्वारा विमान से भू-भौतिकी सर्वे-क्षण के लिए विकसित उप-करण	Instrument for Air borne Geophysical Survey developed by National Geophysical Research Institute, Hyderabad	60—61
4021.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संसार के विकास हेतु परि-व्यय	Outlay for development of Communications in Fifth Five Year Plan	61—62
4022.	संयुक्त क्षेत्र में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उपक्रमों में शेयरों का अनुपात	Ratio of Share holding by Public and Private Sector in Joint Sector	62—64
4023.	समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं पर सरकार द्वारा किया व्यय	Expenditure incurred by Government on Newspaper aud Journals	65—66
4024.	बाडमेर (राजस्थान) का विकास	Development of Barmer (Rajasthan)	66
4025.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा को समाप्त करना	Termination of Services of Government Employees	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4026.	विज्ञान के बारे में राष्ट्रीय नीति	National Scientific Policy	67
4027.	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers in Government Offices	67—68
4028.	आकाशवाणी के चौकीदारों के काम के घंटे तथा विशिष्ट कर्त्तव्य	Hours of Work and Specific duties of AIR Chowkidars	68
4029.	आकाशवाणी के अधीनस्थ कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among subordinate Staff of AIR	68—69
4030.	संगणकों का निर्माण	Manufacture of Computers	69
4031.	राज्यों में जन-शक्ति तथा रोजगार सैल	Manpower and Employment Cells in States	69—70
4032.	केरल फिलाटिलिक क्लब, तेल्लीचेरी, केरल से टिकटों के नष्ट होने के बारे में ज्ञापन	Memorandum from Kerala Philatelic Club Tellicherry, Kerala regarding destruction of Stamps	70
4033.	आकाशवाणी का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of AIR	70—71
4034.	मध्य प्रदेश में चल रहे उद्योग	Industries functioning in M.P.	71—72
4035.	मध्य प्रदेश में डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Madhya Pradesh	72
4036.	चण्डीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का दावा	Claim of Himachal Pradesh over Chandigarh	72
4037.	हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सैनानियों को पैंशन देना	Grant of pensions to freedom fighters from Himachal Pradesh	72—76
4038.	जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल	District Headquarters in States of J & K. Punjab, Haryana and	76—80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रदेश राज्यों में जिला मुख्यालय और उनमें मुख्य डाकघर, विभागीय तारघर आदि	Himachal Pradesh having Head Post Offices, Departmental Telegraph Offices, etc	
4039.	हिंसा तथा आन्दोलनों के कारण डाकघरों कम्बाइंड आफिसिस, सार्वजनिक टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को क्षति	Damage to Post Offices, C. Os', P.C.O's and Telephone Exchanges due to violence and agitations	80
4040.	हैदराबाद में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Hindustan Cables Ltd. at Hyderabad	80—81
4041.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर के लिए मशीनों का खरीदा जाना	Purchase of Machinery for Hindustan cables Ltd. Rupnarainpur	81—82
4042.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by Hindustan Cables Ltd.	82
4043.	हेमन्त कुमार बोस की हत्या के बारे में जांच	Enquiry into the murder of Hemanta Kumar Bose	82—83
4044.	राष्ट्रीय आय के विकास की दर आदि के लक्ष्य प्राप्त करने में पहली योजनाओं की असफलता	Failure of earlier plans in achierving targets of growth of National Income etc.	83
4045.	मध्य प्रदेश के सिधी जिले में डाकघर खोलना	Opening of Post Offices in Sidhi District of Madhya Pradesh	83—84
4046.	लाइसेंसों के लिए विन्ध्य प्रदेश से आवेदन पत्र	Applications from Vindhya Pradesh for licences	84
4047.	छोटी फीचर फिल्मों के लिए सरकारी सहायता	Government subsidy to short length Feature Films	84—85
4048.	पांचवीं योजना के दौरान लघु उद्योगों के लिए राशियों का नियतन	Allocation of funds for Small Scale Industries during Fifth Plan	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4049.	स्थानीय शिकायत एकक (98) का कार्यकरण	Functioning of local complaint Unit (198)	85
4050.	दिल्ली के 80 प्रतिशत सार्व-' जनिक टेलीफोन दोषपूर्ण	80 per cent Delhi P.C.Os defective	85—86
4051.	आकाशवाणी के रांची केन्द्र के लिए समाचार यूनिट	News unit for Ranchi AIR	86
40⁵2.	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का कथित दुरु-पयोग	Alleged misuse of Funds relating to PTI Building Project	86—87
4053.	देश में कत्ल की घटनायें	Cases of murders in the country	87
4054.	सिलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची	Select List for Selection Grade	87—88
4055.	उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मन्त्रालयों में आपसी सहयोग	Cooperation among Ministries to encourage production	88—89
4056.	उद्योगों में पूरी क्षमता का उपयोग	Utilisation of capacity in industries	89
4057.	चौथी योजना के दौरान पंजाब में लघु उद्योगों के लिए धनराशि	Funds for Small Scale Industries Punjab during Fourth Plan	89—90
4058.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों को विनियमित करना	Regularisation of Terms and conditions of Service of AIR Staff Artistes	90—91
4059.	पांचवीं योजना के दौरान आय विषमताओं को कम करने के लिए कार्यवाही	Steps to bring down Income Disparities during Fifth Plan	91
4060.	लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Small Scale Industries	91—92

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4061.	लघु उद्योगों के उत्पादन पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Raw Material on production of Small Scale Industries	92
4062.	वायर और केवल उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Wire and Cable Industry	92
4063.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या	Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa	92—93
4064.	मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना लक्ष्यों का पुनरीक्षण	Revision of Plan targets in view of the Rise in prices	93
4065.	अर्हता प्राप्त बेरोजगार इन्जीनियर	Qualified Unemployed Engineers	94
4066.	मूल्यों पर नियंत्रण के बारे में योजना आयोग द्वारा चर्चा	Discussion held by Planning Commission reg. Check on Prices	94
4067.	पश्चिम बंगाल में उड़िया भाषियों की संख्या	Oriya Speaking People in West Bengal	94—95
4068.	कटक के आकाशवाणी कर्मचारियों के लिए गृहों का निर्माण	Building of Houses for Cuttack AIR Staff	95
4069.	उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच भाषायी झगड़े में जान तथा माल की हानि	Loss of Life and Property due to Linguistic Trouble between Orissa and West Bengal	95—96
4070.	उड़ीसा में बालासोर के अन्तर्गत जालेश्वर एक्सचेंज मे खराबी	Defect in working of Jaleshwar Exchange under Balasore, Orissa	96
4071.	पूर्वस्नातक विज्ञान छात्रों के लिए नौकरी-प्रधान पाठ्यक्रम	Job oriented Courses for under graduate Science Students	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4072.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी, नरैना की डाक संबन्धी आवश्यकताएं	Postal Requirements of DDA Colony, Nariana	97
4073.	तनजानिया में इन्जीनियरिंग वर्कशाप	Engineering Workshop in Tanzania	97—99
4074	हरिजनों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए उनके ऋणों को माफ करने का प्रस्ताव	Proposal to waive the Debts of Harijans in order to improve their Financial Conditions	99
4075.	भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों में विषमता	Disparity between IAS and PCS Officers	99—100
4076.	ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई स्वतंत्रता सेनानियों की सम्पत्तियों को वापस करने के लिए विधान	Ligislation for Restoration of Properties of Freedom Fighters Confiscated by British Government	100
4077.	संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up industries in Joint Sector	100—101
4078.	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हरिजनों पर घातक हमले	Murderous attacks on Harijans in Bundelkhand Region of U.P.	101
4079.	रेडियो और टेलीविजन परियोजनाओं का विस्तार	Expansion of Radio and T.V. Projects	101—102
4080.	आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास	Industrial Development of Adivasi Areas	102
4081.	नरेला पुलिस स्टेशन, दिल्ली के एस० एच० ओ० को निलम्बित करना	Suspension of S.H.O. Narela Police Station, Delhi	102
4082.	1975 में उत्तर भारत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण	International T.V. Relay to Northern India in 1975	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q No	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4083.	मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी और अन्य क्षेत्रों के डाकुओं को दिया गया आश्वासन	Assurance to Dacoits of Chambal Valley and other Areas in Madhya Pradesh	103
4084.	महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में वंदे मातरम् का गायन	Singing of Vande Mataram in Urdu Schools in Maharashtra	103—104
4086.	उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Orissa	104
4087.	उड़ीसा जोन में डाक डिवीजन खोलना	Opening of Postal Divisions in Orissa Zone	104—105
4088.	संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करना	Amendment of Company Law for Joint sector Enterprises	105
4089.	आकाशवाणी तथा रेडियो सीलोन के विज्ञापनों से होनी वाली आय का तुलनात्मक अध्ययन	Comparative Study of Advertisement earning of AIR and Radio Ceylon	106
4090.	राज्यों में आयोजना बोर्ड	Planning Boards in States	107
4091.	साधारण नमक बनाने की सूर्य वाष्पीकरण प्रणाली में क्लोरोफिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किये जाने सम्बन्धी अनुसन्धान	Research in Chlorophyil as a Catalyst in the Solar Evaporation Process of Common Salt Manufacture	107
4092.	परमाणु शक्ति का तेजी से विकास किया जाना	Accelerated Development of Nuclear Power	107—108
4094.	विदेशों के साथ वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग संबन्धी करार	Scientific and Technological Co-operation Agreements with Foreign Countries	108
4095.	गुजरात में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Industries in Gujarat	108—109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4096.	गुजरात में पिछड़े जिलों लिए के धन का ग्रावंटन	Allotment of Funds for Backward Districts in Gujarat	109
4097.	राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलोर की ऐरो स्पेस ग्रौर पेट्रो रसायन उद्योगों में प्रयोग करने के लिए संगणकों द्वारा ग्रांकड़ा संकलन एवं नियंत्रण प्रणाली का विकास करने सम्बन्धी योजना	Plan of National Aeronautical Laboratory, Bangalore to Develop Computer-based Data Acquisition and Control System for use in Aerospace and Petro-Chemical Industries	109—110
4093.	कागज उद्योग के विस्तार के प्रस्ताव	Proposals for Expansion of Paper Industry	110—111
4099.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा योजना में परिवर्तन का सुझाव	Change in Planning Suggested by INTUC	111
4100.	58 वर्ष की ग्रायु के बाद सेवा ग्रवधि को बढ़ाना	Grant of Extension in Service after 58 years	111—112
4101.	चण्डीगढ़ में हुए भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में गड़बड़	Disturbances at the Anti Corruption Convention at Chandigarh	112
4102.	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश को प्रस्तावित नियतन	Proposed Allocation to M. P. during Fifth Plan	112
4103.	ग्रांध्र के पृथकतावादी कांग्रेसियों का सम्मेलन	Separatist Convention of Andhra Congressmen	112—113
4104.	दिल्ली के गुरुद्वारों के चुनाव	Elections to Delhi Gurudwaras	113
4105.	नागालैंड बेप्टिस्ट चर्च कौंसिल के नेताग्रों की ग्रोर से नागा समस्या हल करने के लिये पहल किया जाना	Initiative from the Leaders of Nagaland Baptist Church Council to solve Naga Problem	114
4106.	प्रत्येक राज्य में फिल्म निगम बनाना	Formation of Film Corporation in in Every State	114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4107.	सीमेंट का उत्पादन और आवश्यकता	Cement Production and requirement	114—115
4108.	उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास कार्य	Research and Development Work in Industry	115
4109.	उड़ीसा में परमाणु खनिजों की खोज	Exploration of Atomic Minerals in Orissa	115—116
4110.	उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए अध्ययन करना	Study to Harness Natural Resources in Orissa	116
4111.	उड़ीसा के लिए पांचवीं योजना में संशोधन	Modification in Fifth Plan for Orissa	116—117
4112.	विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में ह्रास	Deterioration in Quality of Vividh Bharati Programmes	117
4113.	अपराध सम्बन्धी फिल्मों से समाज में अपराधों को बढ़ावा मिलना	Crime Movies giving Rise to Crimes in Society	117—118
4114.	उत्तर प्रदेश के जिलों में डाक तार घर	P & T Offices in Districts of U.P.	118
4115.	आंध्र सेना महासभा	Andhra Sena Mahasabha	118
4116.	आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र में रिक्त पड़े पद	Posts in Calcutta Station of A.I.R. lying vacant	119
4117.	सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षकों की पदोन्नति	Promotion of D.S.Ps. in BSF and CRP	119—120
4118.	संसद् सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters amongst Members of Parliament and State Legislatives	120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4119.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production during Fifth Plan	120—121
4120.	समस्त कार्य हिन्दी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना	Incentives in Government Servants who do their entire work in Hindi	121
4121.	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखानों का बन्द हो जाना	Closure of Cement Factories in A.P.	121—122
4122.	संचार विभाग द्वारा रोजगार दिया जाना	Providing Employment by Department of Communications	122
4123.	भागलपुर जिले के हिरम्बी गांव में डाकघर बन्द कर दिया जाना	Closing of post Office in Hirambi Village, Bhagalpur District	122
4124.	संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं	Joint Sector Projects	123
4125.	उद्योगों में काम करने वाले तकनीकी और व्यवसायिक व्यक्तियों का विदेश जाना	Exodus of Technical and Professional Personnel from Industries Abroad	123—124
4126	रतलाम और मन्दसौर (मध्य प्रदेश) के बीच टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाना	Increasing Telephone Facilities between Ratlam and Madsaur (Madhya Pradesh)	124
4127.	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा दोषपूर्ण ए-टाइप क्रास-बार का निर्माण	Defective A-Type Cross bar exchange Manufactured by ITI	124
4128.	राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या में बृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of increase in population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes vis a vis National Average	124—125
4129.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई छात्र-वृत्तियां	Scholarships given by the Department of Science and Technology	125

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4130.	औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में पदाधिकारियों का वेतन	Salary of Executives in Public Undertakings under Ministry of Industrial Development	125
4131.	अटिंगल, केरल में उत्पादन केन्द्र की स्थापना	Establishment of Production Centre at Attingal, Kerala	125—126
4132.	देश में प्रतिबन्धित साम्प्रदायिक निकायों एसोसिएशनों और दलों के नाम	Names of Communal Bodies, Associations and Parties banned in the country	126
4133.	चण्डीगढ़ में छात्रों के विरुद्ध विचाराधीन मामले	Cases pending against students in Chandigarh	126
4134.	राजा गार्डन, पुराना फरीदाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Installation of P. C. O. at Raja Garden, Old Faridabad	127
4135.	लद्दाख में ऋतु विज्ञान, वनस्पति तथा भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रभाव	Proposal to set up Laboratories for Meteorology, Vegetation and Geology in Ladakh	127
4136.	लद्दाख में अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला	Space Science Laboratory in Ladakh	127
4138.	राष्ट्र निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग	Involvement of Government Employees in Nation building Task	127—128
4139.	श्री नागभूषण पटनायक को मृत्यु दण्ड से माफी देना	Commutation of Death Sentence of Shri Nagabhushan Patnaik	128
4140.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for the development of Backward Areas in Eastern Districts of U.P.	128—129
4141.	आशय पत्र जारी करने और लाइसेंस देने के बीच समय का अन्तर	Time lag between issue of letters of intent and licence	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4142.	नीमच, मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Neemuch (M.P.)	130
4143.	तहसील मेहर, जिला सतना में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory at Maihar (M.P.)	130
4144.	अमरीकी फर्म द्वारा बेचा जा रहा इन्सटैंट ब्राडकास्टिंग स्टेशन	Instant Broadcasting Station being marketed by American Firm	130—131
4145.	उड़ीसा में शिक्षितों में बेरोजगारी	Unemployment among Educated in Orissa	131—133
4146.	आंध्र प्रदेश के आवास बोर्ड द्वारा किंग कोठी पैलेस की खरीद	Purchases of King Kothi Palace by Housing Board of Andhra Pradesh	133—134
4147.	टायरों का उत्पादन और मांग	Production and demand of tyres	134
4148.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की रिहाई	Release of persons detained under Maintenance of Internal Security Act	134—135
4149.	दिल्ली में रीजनल टेस्टिंग सेन्टर (क्षेत्रीय परविक्षण केन्द्र)	Regional Testing Centre in Delhi	135
4150.	स्नातक इन्जीनियरों और प्रथम श्रेणी के विज्ञान स्नातकों को रोजगार दिया जाना	Employment to Graduate Engineers and Ist Class Science Graduates	135—136
4151.	संगीत तथा नाटक प्रभाग के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का प्रतिवेदन	CBI Report on Song and Drama Division	137

अता० प्र० संख्या विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
4152. अम्बाला स्थित पंजाब सर्कल के महा डाकपाल के कार्यालय में हैड क्लर्कों के संवर्ग में पदोन्नति	Promotion to Cadre of Head Clerk P.M.G's Office, Punjab Circle Ambala	137—138
4153. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल में तैनात करना	Stationing of CRP in West Bengal	138
4154. हिमाचल प्रदेश में किराये और गारंटी के आधार पर मंजूर किये गए डाक घर, संयुक्त कार्यालय और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Post offices, C.Os and PCOs. sanctioned on Rent and Guarantee basis in Himachal Pradesh	138—139
4155. संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to Resolved Deadlock in the National Council of Joint Consultative Machinery	139—140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	140—147
धनबाद के निकट जीतपुर कोयला खान में हुए भूमिगत विस्फोटों के परिणामस्वरूप लगभग 50 कामगारों की मृत्यु	Underground explosions in Jitpur Coal Mines near Dhanbad resulting in the death of about 50 workers	140
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	140
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	140
वित्त मन्त्री के सभा से अनुपस्थित होने के बारे में	Re. Absence from the House of the Minister of Finance	147—149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	149
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	150
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	150

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifteenth Report ... presented	150
मधुबनी, बिहार के बुनकरो की कठिनाईयों के बारे में	Re. Difficulties of Weaveas of Madhubani, Bihar	150
अनुदानों की मांगे (रेल), 1973-74	Demands for Grants (Railways), 1973-74	151—175
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	151
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	151
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	152—153
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M, M. Joseph	153
श्री ए० एस० कस्तूरे	Shri A.S. Kasture	153—154
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	154
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	154
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli	154—155
श्री वी० बी तरोड़कर	Shri V.B. Tarodekar	155
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	155—156
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	156—157
श्री तारकेश्वर पांडे	Shri Tarkeshwar Pandey	157
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	157
श्री एस० एल० पेजे	Shri S.L. Peje	160
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C.T. Dhandapani	160—161
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	159—162
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya	162—163
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	163—164
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	164
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	165
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	165—167

विषय	Subject	पृष्ट Pages
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	167
डा० कैलाश	Dr. Kailas	167—168
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	168
प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	169—170
श्री माधोराम शर्मा	Shri Madhoram Sharma	170
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	171—175
जीतपुर कोयला खानों में भूमिगत विस्फोटों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	Calling Attention Re. Underground Explosions in Jitpur Coal Mines—	164—165
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	164—165
श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike by Working Journalists and Other Newspaper Employees	170—171
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	170—171
विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1973	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1973	175—177
पुरःस्थापित और विचार करने के प्रस्ताव	Motions to introduce and consider	175—177
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	175
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	176
खंड 2, 3, और 1	Clauses 2, 3 and 1	177
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	177
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	177
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion—	177
चिथडा कांड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry in Rags Scandal	177—181
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	177
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	180
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	181

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 21 मार्च, 1973/ फाल्गुन 30, 1894 (शक)

Wednesday, March 21, 1973/Phalguna 30, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री बी० राम चद्र रेड्डी के दुःखद निधन की सूचना देनी है, जिनका देहान्त 19 मार्च, 1973 को 79 वर्ष की आयु मे हो गया ।

श्री रेड्डी 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे । वे मद्रास राज्य के नेल्लूर चुनाव क्षेत्र मे चुने गये थे । इससे पूर्व वर्ष 1930-37 में वे मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष रहे थे । उन्होंने कई समितियों, विशेषकर कृषि और कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धी समितियों, में कार्य किया ।

हम अपने इस सहयोगी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते है और मुझे विश्वास है शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रकट करने में सदन मेरा साथ देगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी के निधन से हमने दक्षिण का प्रख्यात जन सेवक खो दिया है । उन्होंने देश की सेवा की और वे स्थानीय स्वशासित सरकारी संगठनों तथा मद्रास विधान परिषद में विशेष रूप से सक्रिय थे । मेरा अनुरोध है कि शोकसंतप्त परिवार मे मेरा संवेदना संदेश पहुंचा दिया जाए ।

श्री समर मुखर्जी : श्री रामचन्द्र रेड्डी के निधन पर मैं शोक प्रगट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को मेरा संवेदना संदेश पहुंचा दिया जाए ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी के निधन पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में मैं भी शामिल होता हूं । वह मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष

थे। उन्होंने केवल मद्रास को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपनी सेवाएं अर्पित कीं। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से मैं अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को मेरा संवेदना संदेश पहुंचा दिया जाए।

डा० रानेन सेन : श्री बी० रामचद्र रेड्डी के निधन पर प्रधान मंत्री तथा माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में शामिल होता हूं और अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को मेरे दल की ओर से संवेदना संदेश पहुंचा दिया जाए।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : अपने दल की ओर से मैं माननीय सदस्यों तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में शरीक होता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : अध्यक्ष महोदय, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी के निधन के समाचार से हमें गहरा दुःख पहुंचा है। स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, वे दक्षिण के अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें खो बैठे हैं। मेरा अनुरोध है कि शोक संतप्त परिवार को मेरा सवेदना संदेश पहुंचा दिया जाए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, Sir, on behalf of my party, I, express sorrow at the sad demise of Shri B. Ramachandia Reddi and pray that his soul may rest in peace.

श्री मधु दण्डवते : मैं अपने दल की ओर से श्री रामचन्द्र रेड्डी के निधन पर अर्पित की गई श्रद्धांजलियों में शरीक होता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The members Then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त क्षेत्र में कारखानों की स्थापना के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

+

*402. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में कारखानों की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के लिये कोई नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक संयुक्त क्षेत्र में कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं; और

(ग) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिये राज्य सरकारें सहमत हो गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैरसरकारी क्षेत्र के एककों को दिए गए ऋणों को इक्विटी में बदलने के बारे में बैंकिंग विभाग ने जून, 1971 में सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे जहां तक राज्य नियमों का सम्बन्ध है गैर-सरकारी उद्यमियों का एसोसियेशन किस प्रकार का हो उसके बारे में मार्च, 1969 में अनुदेश जारी कर दिये गए थे। ये अनुदेश फरवरी 1971 में संशोधित किए गए थे। अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि राज्य निगम उनके द्वारा शुरू किए गए औद्योगिक उपक्रमों की अंश पूंजी में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध कर सकते हैं और यदि वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ निगमों द्वारा लिए गए शेयर 50 प्रति से अधिक हों तो गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा बाकी शेयर लेने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु यदि ऐसी वित्तीय संस्थाएं अंश पूंजी में हिस्सा नहीं लेती हैं तो उस दशा में गैर-सरकारी पूंजी एसोसियेशन के लिये यह शर्त होगी कि निगम के चुकता इक्विटी पूंजी में 26 प्रतिशत से कम उसके अपने हिस्से नहीं होंगे। यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी गैर-सरकारी उद्यमी व्यक्ति या व्यापार समुदाय का इक्विटी पूंजी में 25 प्रतिशत से अधिक का शेयर नहीं होना चाहिए। यदि एक उद्यमी को 25 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव हो या यदि उपक्रम में वृहत्तर गृह अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों में से किसी को सम्बद्ध किया जाना है तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। औद्योगिक नीति में हाल ही में किये गये परिवर्तनों की घोषणा के पश्चात् राज्य निगमों को और आगे निम्नलिखित सलाह दी गई है;

(1) राज्य सरकारों के एसोसियेशन अथवा उनके द्वारा स्थापित निगमों के वे उपक्रम जिनकी स्वयं की अथवा अन्य संगठनों को मिलाकर 20 करोड़ रु० से अधिक की आस्तियां हो, उन्हीं नीतियों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत होंगे तो बड़े औद्योगिक गृहो के लिए लागू हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(2) ऐसे उपक्रम जो स्वयं अथवा अन्य उपक्रमों के साथ मिलकर जिनकी अस्तियां 20 करोड़ रु० से अधिक हैं; उन्हें राज्य सरकार के उपक्रमों या उन निगमों और उद्योगों जिनमे वे अपनी स्वेच्छा से अलग हो गए हैं; मिलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) संयुक्त क्षेत्र के सभी एककों में सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि मार्गदर्शी नीतियां अपनाने, प्रबन्ध और प्रत्येक एकक मे उसके सचालन के वास्तविक ढांचे में उपर्युक्त निर्णय करने में प्रभावशाली भूमिका अदा करेगी।

अलग-अलग मामलों की परिस्थितियों के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को इक्विटी में बदलने के विकल्प के प्रयोग का प्रश्न तब उत्पन्न होगा जब वे लाभदेयता की स्थिति में पहुंच जायेंगे, और तब इस प्रकार का परिवर्तन करना सरकारी वित्तीय संस्थाओं के हित में हो सकता है ।

जहां तक राज्य सरकारों और निगमों का सम्बन्ध है, वे गैर-सरकारी उद्यमियों के संगठनों के विषय में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार निगम ने अब तक सरकार द्वारा बताए गए तरीके से गैर सरकारी उद्यमियों को सम्बद्ध करके 7 कम्पनियां बना ली हैं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : विवरण से पता लगता है कि संयुक्त क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति अस्पष्ट रही है । क्या संयुक्त क्षेत्र की धारणा को स्वीकार कर लिया गया है और क्या एकाधिकार की 10 प्रतिशत की वृद्धि की दर को देखते हुए संयुक्त क्षेत्रों को वृहत औद्योगिक गृहों में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ? क्या इस बारे में योजना मंत्री और औद्योगिक मंत्री के बीच मतभेद है जैसाकि समय-समय पर अखबारों में प्रकाशित हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : दोनों मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं था । अन्ततः यह सरकारी निर्णय है और संगत भी है तथा उत्तर में इसका उल्लेख किया जा चुका है । माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी नीति अस्पष्ट रही है, बल्कि हमारी नीति तो लचीली रही है । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई प्रौद्योगिक नीति के अनुसार वृहत औद्योगिक गृह उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते जो उनके लिए निषिद्ध हैं ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा राज्य और विकास निगम को जारी किए गए काफी आशय पत्रों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । क्या सरकार ने इनके शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निदेश दिए हैं या देने का विचार है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह बिलकुल पृथक प्रश्न है । हम संयुक्त क्षेत्र के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में कही गई यह बात बिलकुल अस्पष्ट है कि मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं और सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली भूमिका अदा करेगी कि मार्गदर्शी नीतियां इत्यादि अपनाई जाएं प्रभावशाली भूमिका से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या उनका तात्पर्य सरकारी निदेशकों की बहुसंख्या से है ? प्रबन्ध कार्य में प्रभावशाली भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उनका विचार क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : चूंकि विभिन्न संस्थाएं स्वभावतः बड़े औद्योगिक गृहों के हितों का ध्यान रखेंगी । हमारा उद्देश्य बड़े गृहों से सम्पर्क बनाए रखना नहीं है अपितु उसके प्रबन्धक

वर्ग को कुशल बनाना है किसी भी उद्यम विशेष के उद्देश्य और नीतियों के बारे में बनाई गई विस्तृत नीतियां कुशल प्रबन्धक वर्ग द्वारा रक्षित की जाएंगी। अतः हम इस बात को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं कि इसको किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम उपलब्ध विकल्प पता लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पहला विकल्प तो यह है कि बोर्ड का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। वह नौकरशाह न होकर उद्योग को संभालने में सक्षम और कुशल प्रबन्धक होगा। साम्य अंश धारिता के अनुपात में बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रबन्धक निदेशक न तो सरकार का प्रतिनिधि होगा और न ही वृहत औद्योगिक गृहों का बल्कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत कुशल प्रबन्धक होगा। इस प्रकार हम वृहत औद्योगिक गृहों या गैर सरकारी उद्यमों से सम्पर्क रखे बिना प्रबंध को कुशल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम किसी विशेष औद्योगिक गृह अथवा व्यक्ति के हित के लिए न हो।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या संयुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए मार्ग सिद्धान्त जारी करते समय सरकार ने यह शर्त रखी थी कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत सरकार देगी और यदि हाँ, तो क्या संयुक्त क्षेत्र परियोजना के लिए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सरकार ने टाटा बंधुओं को 50 लाख रुपये की राशि दी है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : टाटा परियोजना के बारे में माननीय सदस्य को संभवतः गलत जानकारी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत कम्पनी देगी न कि सरकार या कोई अन्य संस्था। सयुक्त क्षेत्र कम्पनी के मामले में कम्पनी को ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत देनी होगी।

श्री जगन्नाथ राव : विवरण से स्पष्ट है कि जब कोई विशेष उपक्रम लाभ कमाएगा तो सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब लाभ हो रहा हो, तो उस स्थिति में सरकारी वित्तीय संस्थान केवल ऋण के रूप में धन देंगे। क्या संयुक्त क्षेत्र इसी विचार से बनाया जाएगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह विनिमेयता खण्ड के संदर्भ में है। जब सरकारी वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में धन देंगे तो विनिमेयता खण्ड के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थान विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। स्वभावतः सरकारी वित्तीय संस्थान इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनका हित किसमें है। निश्चित है कि घाटे की स्थिति में ऋणों को इक्विटी में बदलने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अतः वह विकल्प का प्रयोग करेंगे, जब भी उन्हें ऐसा करना लाभदायक प्रतीत होगा। इस आधार पर ऋण दिए जाते हैं। यदि वे ऋण नहीं चाहते तो निश्चित है कि कोई भी उन पर ऋण नहीं थोपेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इक्विटी शेयरों की बहुसंख्या मात्र से ही संयुक्त क्षेत्र कम्पनी सरकार के प्रभावकारी नियंत्रण में नहीं आ सकती है, जब तक मूल्य निर्धारण नीति, संयुक्त क्षेत्र कम्पनी की वितरण और विनियोग नीति के बारे में

सरकार प्रभावशाली ढंग से काम न करे। अन्यथा इसका अर्थ सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों से गैर सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि मात्र इक्विटी पूंजी में हिस्सा लेने से ही प्रभावकारी नियंत्रण नहीं हो सकता। वस्तुतः इस समय कई गैर सरकारी संस्थाओं में हमारा इक्विटी पूंजी हिस्सा है। इसके बावजूद भी प्रबन्ध के मामले में सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई नहीं देती। अतः संयुक्त क्षेत्र, चाहे वह स्थापित किए जाने हों या किए जा चुके हों, के मामलों मे हमें प्रबन्ध में प्रभावशाली ढंग से काम लेना होगा। हमें प्रबन्ध कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रबन्ध कार्य एक विस्तृत शब्द है और इसमें मूल्य निर्धारण, वितरण विनियोग नीति सभी आ जाती है।

श्री वसंत साठे : क्या वह यह स्पष्ट करेंगे कि सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के प्राथमिकता उद्योगों अथवा मूल उद्योगों को निर्धारण करके संयुक्त क्षेत्र में हिस्सा लेगी और क्या संयुक्त क्षेत्र में अधिक उत्पादक को प्रोत्साहन देने के लिए कर्मचारियों को प्रबंध कार्य मे भाग लेने की अनुमति देगी?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध कार्य में हिस्सा लेने का प्रश्न बिल्कुल अलग है हालांकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतः न केवल संयुक्त क्षेत्र मे बल्कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा प्रबंध कार्य मे हिस्सा लेने की नीति स्वीकार करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए हम सिद्धान्त बना रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री वसंत साठे : क्या संयुक्त क्षेत्र प्राथमिकता उद्योगों में गिना जाएगा?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कोई भी क्षेत्र जिसे सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिया जा रहा है, चाहे वे गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ही क्यों न आता है, संयुक्त क्षेत्र में आ सकता है। गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में अगर लाभ हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र का ही उस पर नियंत्रण होगा और सरकार उसमें हिस्सा नहीं लेगी। जहां भी सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा पैसा लगाने और संयुक्त क्षेत्र बनाने का प्रश्न आएगा, इस पर नियंत्रण करना सरकार पर निर्भर होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : टाटा बन्धुओं के एक पत्र में कहा है कि उन्होने या उनके नियंत्रणाधीन किसी संस्था ने सरकार को संयुक्त क्षेत्र के लिए कोई प्रस्ताव या सुझाव नहीं भेजा है। सरकार ने उनसे पूछा था और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। क्या सरकार ने उन्हें संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा था और यदि हां, तो सरकार के किस कर्मचारी, अधिकारी या एजेंसी ने उन्हें ऐसा कहा था और किस लिए कहा था। चूंकि टाटा बन्धु संयुक्त क्षेत्र के पक्ष में हैं, तो क्या संयुक्त क्षेत्र का प्रारम्भ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से किया जाएगा?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम टाटा बन्धुओं और सरकारी नीति में उनके द्वारा भाग लेने के बारे में काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार नीति सम्बन्धी

निर्णय स्वयं लेती है परन्तु सुझावों का, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से दिए जाएं, स्वागत किया जाता है।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या औपचारिक रूप से टाटा बंधुओं को प्रतिवेदन पेश करने के लिए कहा गया था। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब उन्होंने अपने विचार बताए, तो उन्हें अपने विचारों को लिखित रूप में भेजने के लिए कहा गया। अत: इस पर विचार किया जा सकता है। संयुक्त क्षेत्र के बारे में उनकी अपनी धारणा है, जो सरकारी निर्णय से बिल्कुल भिन्न है।

सिनेमा घरों की कमी के कारण अच्छी फिल्मों का न दिखाया जाना

*403. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिनेमा घरों की कमी के कारण अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कई बार महीनों और सालों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) फ्रांस, अमरीका, इंगलैंड, रूस और जापान में औसतन कितनी जनसंख्या के लिए एक सिनेमा घर है और उनकी तुलना में भारत की स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1970 के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

देश का नाम	सिनेमाओं की संख्या	स्थान प्रति 100 पर
फ्रान्स	4358	4.2
अमरीका	14420	4.9
ब्रिटेन	1529	2.6
रूस	157000	उपलब्ध नहीं है
जापान	3246	1.4
भारत	7140	0.8

डा० हरि प्रसाद शर्मा : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक दिया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि सरकार यह बात स्वीकार करती है कि अच्छी फिल्में दिखाने वाले सिनेमाओं की कमी है। इस सम्बन्ध में मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि सिनेमा दृश्य-श्रव्य संचार व्यवस्था का मुख्य माध्यम है तथा आगामी कुछ वर्षों में भी रहेगा तो सरकार सिनेमा घरों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : सिनेमा उद्योग के सम्पूर्ण कार्य की देखरेख के लिये कुछ वर्ष पूर्व एक समिति बनाई गई थी और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारत में प्रत्येक 20,000 आदमियों के लिए एक सिनेमा घर उपलब्ध

होना चाहिये यदि इस दृष्टि से देखें तो देश में 26,000 सिनेमा घर होने चाहियें जबकि इस समय केवल 7000 सिनेमा घर हैं। यूनेस्को ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक ,00 व्यक्तियों के लिए 2 स्थान होने चाहियें। इसके अनुसार भी देश में 30,000 सिनेमा घर होने चाहियें। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी वृद्धि की प्रगति बहुत धीमी है। सूचना मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में, यह बात सामने आई और उन्होंने यह निर्णय किया कि राज्यों में इसके लिए एक अलग निधि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मनोरंजन कर की आय का 10 प्रतिशत भाग हो जिससे अधिक सिनेमा घर बनाये जा सकें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका अनुसरण करेंगे क्योंकि यह राज्य का विषय है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : धनराशि के अभाव की बात हम समझते हैं। परन्तु मूल प्रश्न यह नही है कि विश्व के अनुपात में हमारे यहां पर्याप्त सिनेमा घर नहीं हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार अच्छी फिल्मो के प्रदर्शन के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार का विचार है एक सिनेमा निगम स्थापित करने का है। क्या सरकार ऐसी किसी दिशा में सोच रही है?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन की बात है, इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई सिनेमा घरों की कमी की है। इसी कारण हमने हाल ही में यह निर्णय किया है कि हमें सिनेमा घर-श्रृंखला बनानी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के एक निगम द्वारा चलाई जाए और राज्य सरकार द्वारा भी ऐसा ही किया जाए। इससे सिनेमा घरों की संख्या बढ़ेगी : परन्तु अभी तक स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सिनेमाघरों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने कुछ अच्छे सिनेमाघरों के अधिग्रहण के मामले में क्या कठिनाई है जिन्हें या तो बेचने का प्रयत्न किया जा रहा है या ये विदेशी स्वामित्वों के हैं। मेरा तात्पर्य कलकत्ता तथा बम्बई के मेट्रो सिनेमा घरों से है। वास्तव म मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि इर्पक ने मेट्रो-गोल्डविन मायर के लोगों को अनुमति मिलने पर इन दोनों सिनेमा घरों को बेचने की पेशकश के बारे में निरन्तर रूप से लिखा है। परन्तु मेट्रो गोल्डविन मायर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सिनेमा घरों की कमी को ध्यान मे रखते हुए सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है। स्विटजरलैंड की पार्टी के इन सिनेमाघरों के बेचे जाने की अपेक्षा इन सिनेमा घरों का अधिग्रहण किया जाये।

श्री आई० के० गुजराल : कुछ दिन पहले जब यह चर्चा इस सदन में उठाई गई थी, मेरे साथी वित्त मंत्री ने इसका उत्तर दिया था। मैंने यह सुझाव दिया था कि जांच के दौरान अथवा इसके पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि सरकार द्वारा इन सिनेमाघरों का अधिग्रहण संभव है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसमें निश्चित रूप मे रुचि रखता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी क्या यह सच नहीं है कि अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन हेतु सिनेमा घरों की कमी ही एकमात्र समस्या नहीं है। समस्या यह है कि फिल्म वितरक अच्छी फिल्में लेने मे इसलिये डरते हैं कि हो सकता है ये फिल्में अधिक न चलें। जब तक राज्यों अथवा केन्द्र मे वितरण प्रणाली पर नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक सिनेमाघरों में अच्छी फिल्में नहीं दिखाई

जायेगी। क्या सूचना मंत्रियों के अगले सम्मेलन मे केन्द्र सरकार वितरण सम्बन्धी ऐसी नीति अपनाने के लिये तत्पर है कि वितरण कार्य पर सरकार का नियंत्रण होगा ?

श्री आई० के० गुजराल : इस समय वितरण तथा प्रदर्शन दोनों ही धनोपार्जन प्रधान हैं और मेरे विचार से जब तक यह उद्देश्य प्रचलित है, इस सम्बन्ध मे कुछ नही किया जा सकता। मुख्य कठिनाई सिनेमा घरों की कमी की है और मेरे विचार से इस समस्या का समाधान सिनेमा घरों की संख्या में वृद्धि में निहित है।

केवल वितरण प्रणाली पर नियंत्रण रखने से कोई हल नहीं निकलेगा। अतः इसका समाधान यही है कि अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन हेतु सिनेमा घर-श्रृंखला बनाई जाए और फिल्म वित्त निगम भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है।

श्री प्रबोध चन्द्र : गत सत्र में तथा इस सत्र में भी सूचना मंत्री अच्छी फिल्में न दिखाए जाने के कारणों के लिए सिनेमा घरों की कमी की बात पर जोर देते रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि बहुत से राज्य यदाकदा सिनेमा घरों के राष्ट्रीयकरण की बात कहते रहते हैं। मंत्री महोदय की इस बात पर कि सिनेमा घरों की कमी के कारण अच्छी फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं, राष्ट्रीयकरण की बात कहने का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या सरकार, सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है और यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे कि कम से कम आगामी 0 वर्षों में सरकार, सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी ? जब कभी पैसे की आवश्यकता होती है, चीनी मिलों तथा सिनेमाघरो के राष्ट्रीयकरण की बात कह दी जाती है। ऐसी बातें कही जा रही हैं।

Shri B. P. Maurya : Are you having any Cinema House ?

श्री आई० के० गुजराल : हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि न केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भी अधिकाधिक पूंजी निवेश किया जाए। वर्तमान पद्धति, जिसमें सिनेमाघर शहरों तथा महानगरों में ही है, में परिवर्तन होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिनेमा घर खोले जायेंगे। भारत सरकार की नीति सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है क्योंकि सार्वजनिक पूंजीनिवेश के मामले में इसकी प्राथमिकता बहुत नीचे है अतः इसमें गैर सरकारी पूंजीनिवेश किया जाना चाहिए और हम इसलिये इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री समर गुह : बंगाली फिल्मों के प्रदर्शन हेतु उपयुक्त सिनेमा घर उपलब्ध न होने के कारण बंगाली फिल्म उद्योग में संकट पैदा हो गया है। एक-वर्ष पहले कुछ कलाकारों, निदेशक तथा निर्माता ने सीधी कार्यवाही का सहारा लिया था। क्या यह बात सच है यदि हां, तो बंगाली फिल्मों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह सच है कि ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन में कुछ कठिनाई थी। बंगला में काफी फिल्में बनती हैं और निर्माताओं के सामने मुख्य रूप से यह समस्या आती है।

इस समय पश्चिम बंगाल में 610 सिनेमा घर हैं जिनमें से 254 चलते-फिरते सिनेमा घर हैं। अधिक सिनेमा घर बनाने की बात पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है और हम इस मामले में पूरी सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अच्छी तथा बुरी फिल्म जानने का मापदंड क्या है ? यदि कोई फिल्म खराब समझी जाती है तो क्या भारत में कहीं ऐसी फिल्म का प्रदर्शन न होने देने के लिए कोई कदम उठाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं तब तक प्रत्येक फिल्म के लिये स्थान है।

श्री आई० के० गुजराल : फिल्मों के प्रति एक प्रकार की रुचि होती है। फिल्म के अच्छे होने की बात रुचि पर ही निर्भर करता है। यदि आप में रुचि है तो आप यह जानते हैं कि कौन-सी फिल्म अच्छी है, कौन-सी नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह देखने के लिए कि बुरी फिल्मों का प्रदर्शन न हो सरकार की कोई नीति नहीं है।

Shri B. P. Maurya : While replying the question the hon. Minister was saying that the Government do not propose to nationalize cinema Houses. But if any of the state Government, particularly Punjab Government, proposes to nationalize the cinema Houses, may 9 know whether the Central Government will allow this move ?

श्री आई० के० गुजराल : यह परिकल्पनात्मक प्रश्न है क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी हमसे ऐसी कोई बात नहीं पूछी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि पंजाब सरकार अपने राज्य में सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करने की धमकी दे रही है। यदि हां, तो उन्होंने यह विचार क्यों छोड़ दिया है ? क्या यह सच है कि एक राजनैतिक दल ने इस बात से 25 लाख रुपया बना लिया है और यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

श्री आई० के० गुजराल : यदि झूठे आरोप लगाने के बजाये आप प्रश्न पूछें तो अच्छा है। जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, हमने समाचार पत्रों में यह बात देखी है कि पंजाब सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। परन्तु क्योंकि पंजाब सरकार ने हमसे नहीं पूछा है, इसलिए मैं प्रश्न को परिकल्पनात्मक कहता हूं।

Shri Shashi Bhushan : Sir, due to paucity of cinema Houses, we are not in a position to exhibit good films. (*interruptions*) I am asking a question. May I know whether the Government will recommed to the Banks to advanee loans for reconstruction of the tin roofed Cinema Houses situated in Tehsils and small villages. I would like to congratulate the Punjab Government for their proposal to nationalize cinema Houses.

May I know whether the centre will not issue any directive in this regard and allow the state Government to nationalize the cinema Houses ?

श्री आई. के. गुजराल : केन्द्रीय सरकार की नीति सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है।

Shri Shashi Bhushan : How this policy has been chalked out ? This has neither been approved by the Congress party nor this matter was raised any time. How can you call it the policy of the Government. This is wrong. What does it mean ?

Mr. Speaker : What is this ? What are you saying ?

Shri Shashi Bhushan : How this decision has been arrived at ?.... *(interruptions)*

श्री बी० पी० मौर्य : आप राज्यों पर अपना निर्णय नहीं लाद सकते।

श्री आई० के० गुजराल : निर्णय लादने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि जहां तक राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रश्न है यह राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित की जाती है। सिनेमाओं के राष्ट्रीयकरण को उच्चप्राथमिकता नही दी गई है। इसी कारण से हम राज्यों को सिनेमाघरों के राष्ट्रीयकरण का परामर्श नहीं दे रहे।

श्री बी० पी० मौर्य : आप स्वयं ऐसा कैसे कर सकते हैं।

श्री आई० के० गुजराल : हम केन्द्रीय सरकार के मंत्री हैं। अतः यह हमारी नीति है और पंजाब सरकार को भी इसी के अनुसार परामर्श दिया जायेगा।

श्री बी० पी० मौर्य : आप उन्हें परामर्श क्यों देते हैं ? यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। आप राज्यों के कार्य में क्यों हस्तक्षेप करते हैं ?

Shri Shashi Bhushan : Policies are framed in airconditioned rooms. Neither the Party is aware of it nor the nation *(Interruptions)*

दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र

*404. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 396 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के समस्त मैथिली-भाषी लोगो के लिए, दरभंगा में उच्च शक्ति के ट्रान्समीटर वाले प्रस्तावित मिथिला प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने में क्या रुकावटें हैं; और

(ख) क्या नेपाल के मैथिली-भाषी लोग कवल दरभंगा प्रसारण केन्द्र के प्रसारण ही सुन सकते हैं, भागलपुर प्रसारण केन्द्र के नहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : (क) और (ख) दरभंगा केन्द्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य मैथिली कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक अलग

चैनल की व्यवस्था करना है जो इसकी प्रस्तावित शक्ति से पर्याप्त रूप से पूरा हो जायेगा। इस केन्द्र के भागलपुर ट्रान्समीटर, जो दरभंगा से सम्बद्ध किया जायेगा, के प्रसारण भारत के अधिकांश मैथिली-भाषी लोग सुन सकेंगे।

नेपाल के लिए सेवाएं वैदेशिक सेवाओं का एक अंग है और वे कलकत्ता और दिल्ली के ट्रान्समिटरों से प्रसारित की जाती है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि दरभंगा तथा मधुबनी अर्थात सप्तारी माहोतारी, मोरोग तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों के सन्निकट तराई क्षेत्र के अधिक जनसंख्या वाले भाग में मैथिली-भाषा बोली जाती है, और दरभंगा से ही इन क्षेत्रों में प्रसारण किया जा सकता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा कलकत्ता और दिल्ली से मैथिली-भाषा के सामान्यरूप से प्रसारण न होने के कारण, दरभंगा में उच्चशक्ति का ट्रांसमीटर लगाने में क्या कठिनाई है जिससे लोग मैथिली भाषा में कार्यक्रम सुन सकें।

श्री आई० के० गुजराल : आकाशवाणी के सर्वेक्षण से पता चला है कि तराई के क्षेत्र में तथा बिहार में प्रसारण पहुंचने की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसी कारण से उच्च शक्ति वाले ट्रान्समीटर की आवश्यकता है। अत हम दरभंगा मे प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे है। पांचवी योजना मे पटना में 100 किलोवाट के 2 ट्रान्समीटर लगाने का भी विचार है। इसका परिणाम यह होगा कि इनसे हम तराई वाले बहुत से क्षेत्र में तथा मैथिली-भाषी प्रदेश में कार्यक्रम प्रसारित करने में सफल हो सकेंगे। इस समय दरभंगा में 10 किलोवाट का स्टेशन है। हमें आशा है कि इससे बहुत से मैथिली-भाषी प्रदेश में प्रसारण सुने जा सकेंगे। परन्तु इसका वास्तविक समाधान पांचवीं योजना में ही निकलेगा जब पटना केन्द्र को और शक्तिशाली बनाया जायेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : दरभंगा केन्द्र से प्रसारण कब तक आरम्भ कर दिये जायेंगे और इस केन्द्र के निर्माण की स्थिति क्या है?

श्री आई० के० गुजराल : भूमि अर्जित करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि देश में सभी जगह ऐसी समस्या है कि जब भूमि अर्जित करने की बात होती हैं तो उसमें कुछ कठिनाईयां आती हैं। यह चौथी योजना की परियोजना है और हम इसे शीघ्र अतिशीघ्र इस वर्ष के अन्दर पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मित्र कहा है मैथिली-भाषी में प्रसारण सेवा अपर्याप्त है। इसी कारण मैंने सम्पूर्ण बिहार के लिए पुन: सर्वेक्षण तथा पुनर्अध्ययन के आज ही के आदेश दिये हैं जिससे कि पांचवीं योजना में पूरे बिहार में प्रसारण सुना जा सकना संभव बनाया जा सके।

श्री हरिकिशोर सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली तथा कलकत्ता से नेपाल को वैदेशिक सेवाएं अपर्याप्त है, क्या सरकार इन्हें पटना स्थानान्तरित करने की बात पर विचार करेगी? इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि केवल दरभंगा केन्द्र से बिहार के सन्निकट वाले नेपाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रसारण नहीं सुने जा सकते, क्या सरकार सीतामढ़ी अथवा मुजफ्फरपुर में शक्तिशाली केन्द्र स्थापित करने की बात पर विचार करेगी?

श्री आई० के० गुजराल प्रश्न मूलतः ट्रान्समीटर लगाये जाने वाले स्थान के बारे में है विदेश सेवाओं के बारे में हमारी नीति यह है कि जब हमारे पास अनेक स्थानों पर ट्रान्समीटर है तब हम प्रत्येक कार्यक्रम विशेषतया विदेश सेवायें दिल्ली से प्रसारित करते हैं। पटना में हमारे पास 100 किलोवाट के 2 ट्रान्समीटर है जिनसे नेपाल के अधिकांश भाग में प्रसारण सुने जा सकेंगे।

हमारी शार्टवेव सेवा, इस समय, असंतोषजनक स्थिति में नहीं है परन्तु मीडियमवेव के मामले में हमें सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री हरिकिशोर सिंह : यदि हमारा उद्देश्य नेपाल के लोगों की सेवा करना है तो इस केन्द्र का स्थानान्तरण पटना किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लेने दीजिए। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अभी कई प्रश्न लिए जाने हैं।

चौथी योजना में औद्योगिक विकास

+

406. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की गति 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) बिजली की कमी से औद्योगिक विकास पर कितना प्रभाव पड़ा है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक और अप्रैल से अक्टूबर, 1972 की अवधि में हुई औद्योगिक विकास की दर निम्न प्रकार है :—

1969-70	7 प्रतिशत
1970-71	3.7 प्रतिशत
1971-72	4.5 प्रतिशत
अप्रैल से अक्टूबर, 1972	6.9 प्रतिशत

(ग) अभी हाल ही में बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रा में अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has just now stated that the pace of industrial development fell whereas the investment therein went on increasing. I want to know the effect of power cut on industrial development and the industries hit thereby ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : 1969 से निःसन्देह विकास की दर में कमी हुई है परन्तु गतवर्ष जनवरी, 1972 से इसमें वृद्धि होने लगी है परन्तु दुर्भाग्यवश बिजली की कमी से सभी उद्योग प्रभावित हुए हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether Government propose to pay compensation to industries whose production was hit by power cut ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु श्रमिकों को जबरी छुट्टी दिए जाने पर मुआवजा दिया जाता है।

श्री विक्रम महाजन : औद्योगिक प्रगति पर बिजली की कमी के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए औद्योगिक विकास मंत्रालय इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह काम तो सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय का है। इसके अलावा योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमंडल उपसमिति इस क्षेत्र में कमियों का पता लगाने के लिए बनी हुई है और वह प्रत्येक बिजली उत्पादन केन्द्र में जाकर कमी का पता लगाती है वह बिजली पैदा करने और उसके वितरण में सुधार के उपाय सुझाएगी।

श्री धामनकर : क्या निरन्तर कार्य करने वाले उद्योगों जैसे रसायन, उद्योग, को बिजली की कमी से मुक्त रखा गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम यह एक अविशिष्ट प्रश्न है और इनके बारे में स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न है। जहां ये निरन्तर चालू रहते हैं और काफी मात्रा में बिजली दरकार होती है, वहां कुछ को बन्द कर दिया जाता है परन्तु कटौती करते समय विशेष उद्योगों में मशीनों के निरन्तर चालू रखने की आवश्यकता पर अवश्य ध्यान रखा जाता है।

Imports for Industries

*407. **Shri M. S: Purty.** Will the Minitser of **Indnstrial Development and Sceince and Technology** be pleased to state :

(a) The nam of the industries for which imports have been totally stopped; and

(b) The names of the industries for which 10 to 25 per cent and 25 to 50 percent imports are still required, separately ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) (क) आयात पर प्रतिबन्ध उपभोक्ता उद्योगों के आधार पर न लगाकर आयात की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर लगाया जाता है। आयात व्यापार नियंत्रणनीति (रेड बुक), जिसकी

प्रतियां 3.4.1972 को विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा सभा-पटल पर रखा दी गई थी, में उन वस्तुओं की सूची का उल्लेख किया गया है आयात पर प्रतिबन्ध लगा है और इसमें वे वस्तुएं भी हैं जिनके प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की मंजूरी दी गई है ।

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल, पुर्जे तथा फालतू हिस्से की कुल खपत में आयात का अनुपात घरेलू उत्पादन स्तर, क्षमता में वृद्धि मांग में घटा-बढ़ी तथा वस्तु सूची जैसे कई कारणों के आधार पर अलग-अलग होता है ।

Shri M. S. Purty : Whether our country is comparatively much backward in Industrial development ? Whether this backwardness may accentuate as a result of restrictions on imports and if so, the steps proposed to be taken by government in this regard ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सच नहीं है कि हम आयात पर बिना सोचे समझे प्रतिबन्ध लगाते हैं --ऐसा देश में विकास कर लेने के बाद ही किया जाता है और विकास कार्यक्रमों को दृष्टिगत रख कर ही आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं ।

Shri M. S. Purty : Whether there are such industries in the country also as hamper the industrial growth when their products are exported ? If so, the steps proposed to be taken by government in this regard ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी . मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयात पर प्रतिबन्ध वस्तुवार लगाया जाता है न कि उद्योग-वार और हम देश में बन रही वस्तुओं के आयात पर ही रोक लगाते हैं ।

"ब्लैक दिसम्बर" संगठन की गतिविधियां

+

*408 **श्री शंकरराव सावंत** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कट्टर पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों द्वारा आरम्भ किया गया "ब्लैक दिसम्बर" नामक संगठन भारत में तथा अमरीका और ब्रिटेन जैसे कुछ अन्य देशों में विद्यमान हैं ; और

(ख) क्या बम्बई में कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के जीवन को इस संगठन से खतरा है और उन्हें विशेष पुलिस संरक्षण दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : किसी ऐसे संगठन के होने के बारे में पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कुछ व्यक्तियों को टेलीफून पर गुमनाम धमकियां प्राप्त हुई थीं। उनकी सुरक्षा के लिए ग्रावश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

श्री शकरराव सावन्त : उत्तर से यही लगता है कि भारत में सरकार का गुप्तचर विभाग ग्रौर विदेशों में ऐसी एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। क्या सरकार को पता है कि लंदन स्थित इण्डिया हाऊस पर हुए हमले का दावा इसी संगठन ने किया है ग्रौर ग्रपराधियों की प्रशसा पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई ग्रौर उन्होंने उनकी शानदार ग्रन्येष्ठी के लिए विशेष राशि देने की पेशकश की ग्रौर तीसरे क्या कोई देश साधारण ग्रपराधियों ग्रौर हत्यारों के लिए इस प्रकार की सहायता देता है ग्रौर चौथे, क्या यह सच नहीं है कि उस घटना के ग्रगले ही दिन ग्रनेक पाकिस्तानियों ने उन गुंडों के समर्थन में प्रदर्शन किया था ? क्या इन सभी बातों से यह संकेत नहीं मिलता कि पाकिस्तानी सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा समर्थन प्राप्त कोई गुप्त संगठन विद्यमान है ?

श्री के० सी० पन्त : जब मैंने कहा कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो मेरा ग्राशय ग्रपने देश के ग्रन्दर से था जो कुछ समाचारपत्रों में छपा है, मैं जानता हू ग्रौर लदन स्थित इण्डिया हाऊस में जो कुछ हुग्रा है ग्रौर इसके बारे में जो कुछ विदेशी पत्रों में छपा है, वह सभी जानते हैं। मैंने तो यही कहा था कि भारत में ऐसे किसी सगठन के होने की सूचना हमें नहीं मिली। मुझ से यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि विदेशों में गुप्तचरी की सूचना भी मैं प्रकट कर दूं। मुझे माननीय सदस्य द्वारा बताई गई सभी घटनाग्रों की जानकारी है क्योंकि ये सभी बातें समाचारपत्रों में छप चुकी हैं।

श्री शंकर राव सावंत : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान सरकार उन गुंडों का समर्थन कर रही है ?

श्री के० सी० पन्त : यह सच तो है परन्तु इस पर कुछ कहना बहुत कठिन है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस सगठन द्वारा 'टाइम्स' को दिए गए एक वक्तव्य के ग्रनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम मुहम्मद बिन कासिम बताया जाता है, ने कहा है कि उक्त संगठन का मन्तव्य भारत में बन्दी पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के भविष्य पर विश्व राय जगाना है। समाचारपत्रों में यह भी छपा है कि उनके ग्रनुसार यह उनका पहला कारनामा' है परन्तु इसे ग्रन्तिम न समझा जाये इत्यादि। यही तथ्य मैं सभा को बता सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मत्री महोदय ने कहा है कि भारत में ऐसे संगठन के बारे में उन्हें पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें उक्त सगठन के भारत में होने सम्बन्धी कैसी सूचना किस से मिलने वाली है। क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नेताग्रों को धमकी भरे टेलीफोन प्राप्त हो रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उक्त भयानक सगठन के भारत में होने सम्बन्धी कोई जांच की जा रही है, यदि हां, तो क्या किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी पर छापे मारे गए हैं जिन पर 'ब्लैक दिसम्बर' के सदस्यों की सहायता करने या उन्हें शरण देने का संदेह है ?

क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों द्वारा देश से भागने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं ? गत कुछ मास में उनके भागने के कुछ प्रयास सफल भी हुए हैं, वास्तव में अनेक बन्दी भाग कर नेपाल पहुंच भी गए हैं। अतः क्या भागने के ये प्रयत्न भारत में पाकिस्तान-समर्थक किसी एजेंसी के होने के बिना सम्भव हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रयत्न कैसे सफल हुए ? क्या मंत्री महोदय को भारत में होने वाली उन गतिविधियों की जानकारी है जो यहां से पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के मामले में सहायक हुई और उन्होंने अपनी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय नेताओं की जीवन रक्षा हेतु क्या उचित प्रबन्ध किए हैं। यदि ऐसे सगठन का यहां अस्तित्व संभव भी हो ?

श्री के० सी० पन्त : यह सच है कि कुछ गुमनाम टेलीफोन और पत्र प्राप्त हुए हैं और ये विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं। यह भी ठीक है कि हमने रक्षात्मक कदम उठाए हैं।—चाहे इसकी पुष्टि हो या न हो। वास्तव में लंदन के प्राधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है और उन्होंने इतना ही कहा है कि मामले की तेजी से जांच की जा रही है ; गुमनाम टेलीफोनों और पत्रों को न ही अधिक गम्भीर माना जाना चाहिये और नहीं इनकी उपेक्षा की जानी चाहिये। इसलिए हमने देश भर में पुलिस को सतर्क रहने को कहा है कि वह ऐसे टेलीफोन करने वालों और पत्र लिखने वालों का पता लगाए और साथ ही देश में किसी ऐसे सगठन या लड़ाकू ग्रुप के अस्तित्व के बारे में भी पूछताछ करे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने भारत के किन्हीं संधिग्ध व्यक्तियों पर छापे मारे जाने के बारे में पूछा था और यह भी पूछा था कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के भागने के बारे में मत्री महोदय को क्या सूचना मिली है ?

श्री के० सी० पन्त : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने पुलिस को सतर्क कर दिया है। यदि हमें पक्की सूचना मिली होती और हमने छापे मारे होते, तो मैंने सभा को बता दिया होता और यह न कहा होता कि हमें कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The hon. Minister had just stated that he does not have any definite information about any such organisation. I would like to draw his attention to a particular incident *i. e.* on 10th March, a letter was received by the police and Revenue authorities is garor,Madhya Pradesh to the effect that of Shri A.B. Vajpayee unveiled the statue on 11th, his life would be in danger. I want to know whether the hon. Minister is aware of this ? Whether the revenue authorities have sent such information and whether they have taken any action in this regard ?

Shri K. C. Pant : Sir, it would not be proper to mention the name of any M.Ps. or leaders who have received such calls or letters (*Interruptions*) I have got information about this but I intentionally did not mention the names as it would not be proper to do so.

Use of Hindi in Government Offices

*409. **Shri Chiranjiv Jha :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether all the subordinate offices of the Central Government have been directed to encourage use of Hindi to the best possible extent;

(b) if so, the number of such subordinate offices of Central Government where only English is being used even now; and

(c) the extent to which the orders for encouraging the maximum use of Hindi have been followed ?

The Minster of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) to (c) Instructions have been issued from time to time to all Ministries/Departments to ensure progressive use of Hindi in the Subordinate Offices located in Hindi-speaking areas. Implementation of these instructions is watched by the Official Languages Implementation Committees set up in the various Ministries/Depeartments Offices. These Committee are to make a quarterly review of implemenation of the instructions. Information asked for is not readily available in regard to the progress made in the use of Hindi in the various subordinate offices. The number of Central Government offices is very large and scattered all over the country. Time, labour and expenditure involved in collection of the data will not be commensurate with the results likely to be achieved.

Shri Chiranjiv Jha : Regarding directives, mentioned by the hon. Minister in his reply, I want to know why the requisite information is not readily available when Official Language Implementation Committees functioning in various Ministries, departments and offices review the action taken thereon on quarterly basis and whether specific information on the basis of quarterly review reports cannot be given in the House ? Where from the question of additional labour, time and expenditure arises ? Whether we may deduce therefrom that according to him expected progress has not been made in the use of Hindi ?

Shri R. N. Mirdha : I had submitted that the number of subordinate offices runs into hundreds and they are scattered everywhere and it takes time to find out the extent to which Hindi is used in each one of them. I meant to say only this. The quarterly reports are always prepared. Annual Report is also laid on the Table of the House indicating the extent to which work was done in Hindi and if the hon. Member looks at them he would realise that progress has been made and progress is certainly being made.

Shri Chiranjiv Jha : Whether it is a fact that the Central Government corresponds in Hindi only with nine States till now ? I want to know as to when correspondence is

proposed to be done in Hindi with others and why correspondence is not conducted in Hindi alongwith English at present ?

Whether the L,L.C., which has contacts with villagers of every village, brings out its forms in English only and if so, how far it is proper•? Whether arrangements cannot be made to bring out forms in diglot form ?

Shri R. N. Mirdha : We had decided long back to apply Governments policy re: Hindi in L.I.C. and other Corporations. They are periodically told to use Hindi particularly in their offices located in Hindi speaking regions ......

Some hon. Members : This is not so anywhere.

Shri R. N. Mirdha : Whatever progress is achieved it is mentioned in the Annual Assessment Report which is laid on the Table and as already stated some progress has definitely been made in this regard in each region, although it may not be what the hon. Members and Government expect it to be, but efforts are constantly made.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन में कानून और व्यवस्था की समस्या पर चर्चा करना

*401. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन मे देश मे कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा की गई थी ;

(ख) क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई ठोस उपाय सोचे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) अनाज की खरीद तथा थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर राजधानी में 24 फरवरी, 1973 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन में देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए कोई विषय नहीं रखा गया था।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा बनाई गई समन्वित अनुसन्धान योजना

*405. श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने 10 करोड़ रुपये की एक समन्वित अनुसंधान योजना का प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में नये प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना द्वारा हमारे अपने उद्योग में अनेक प्रकार की विशेष नई समिति का विकास और उत्पादन किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य उत्पाद कौन-कौन से हैं जिसमें यह सामग्री प्रयुक्त की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के विशेष सामग्री सम्बन्धी पैनल ने 11.5 करोड़ रुपये के प्राक्कलित मूल्य पर अनेक प्रकार की सामग्री के विकास के लिए एक परीक्षात्मक आयोजना तैयार की है। ये सामग्रियां ऐसे उद्योग जैसे कि विमान-अन्तरिक्ष, इलेक्टानिक्स, दूर संचार इत्यादि में व्यापक रूप से प्रयोग की जायेंगी।

समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारण के लिए कानून

*410. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई कानून बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) समूचा मामला विचाराधीन है।

सिगरेट उद्योग में लगी विदेशी और भारतीय पूंजी

*411. **श्री राजदेव सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सिगरेट उद्योग में लगी विदेशी एवं भारतीय पूंजी का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सिगरेट के उत्पादन के लिए केवल शत-प्रतिशत भारतीय सम्पतियों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस नीति के अपनाने के समय से लेकर अब तक किसी विदेशी कम्पनी को विस्तार करने अथवा नई फैक्टरी की स्थापना के लिए कोई आशय-पत्र अथवा लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश में सिगरेट उद्योग में लगी विदेशी और देशी इक्विटी पूंजी क्रमशः लगभग 1623.94 लाख रुपये और 862 26 लाख रुपये है।

(ख) सरकार की नीति मांग में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर भारतीय कम्पनियों द्वारा ही सिगरेटों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की है। सरकार उन कम्पनियों को ही प्रोत्सहान दे रही है, जो शत प्रतिशत भारतीय है।

(ग) जी, नहीं।

राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के बीच मार्च 1973 में चर्चा

*412. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मार्च, 1973 में चर्चा करने हेतु राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, यदि हां तो किन-किन विषयों पर बातचीत की जायेगी ;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्यों को एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे पहले से ही चर्चा के लिए ठोस प्रस्ताव भेजें ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों से मिले प्रस्तावों का सारांश क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यों के दृष्टिकोण तथा कार्यनीति और 1973-74 की वार्षिक योजना तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों के जुटाने के बारे में अनौपचारिक बातचीत करने के लिए मार्च, 1973 में योजना आयोग ने राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया।

योजना आयोग ने राज्य सरकारों के लिए लिखा है कि अपनाई गई प्रणाली स्पष्ट करने वाली सामग्री सहित न्यूनतम आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव भेजें। अभी तक निम्नांकित राज्यों ने नीचे दर्शायी गई राशि के बारे में अपने प्रस्ताव भेजे हैं :

राज्य		प्रस्तावित परिव्यय
		(करोड़ रुपये)
हरियाणा		282.33
उत्तर प्रदेश		1056.36
पश्चिमी बंगाल		687.94
राजस्थान		625.28
महाराष्ट्र		698.05
पंजाब		277.00
	जोड़	3626.96

पम्प उद्योग के लिए 'टास्क फोर्स समिति

*413. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पम्प मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस० एस० किर्लोस्कर ने यह सुझाव दिया है कि संगठित तथा लघु क्षेत्र दोनों में विद्युत चालित पम्प उद्योग की वर्तमान क्षमता, उत्पादन तथा पांचवीं योजना अवधि में सम्भाव्य मांग का अनुमान लगाने के लिए पूर्णतया इसी उद्योग के लिए एक "टास्क फोर्स" समिति बनाइ जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) यह विचाराधीन है।

मनीपुर में माओं के निकट विद्रोही नागाओं द्वारा एक सरकारी अधिकारी से 90,000 रुपये लूटा जाना

*414. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री बरके जार्ज :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं तथा सुरक्षा सेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं ;

(ख) क्या नागाओं ने हाल ही में मनीपुर में माओं के निकट एक सरकारी अधिकारी से 90,000 रुपये लूट लिए थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी हाँ, श्रीमन् ।

(ख) 7 फरवरी 1973 को उत्तरी मणिपुर जिले में माओं के समीप लगभग 8-10 विद्रोही नागाओं ने एक सरकारी जीप को जिसमें स्कूलों का एक उप-निरीक्षक उस क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए रुपये ले जा रहा था लूट लिया गया । नागा विद्रोही 97,445.55 रुपये लेकर भाग गये ।

(ग) नागालैंड व मणिपुर सरकार ने प्रशासनिक केन्द्रों को सुदृढ़ किया है और अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ स्थापित की हैं । ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सुरक्षात्मक उपाय किये हैं तथा लगातार सतर्कता बरती जा रही है । छिपने के स्थानों का पता लगाने तथा उन्हें नष्ट करने और नागाविद्रोहियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल कार्यरत हैं ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा वर्ष 1972 में अनुमोदित बंगाली और हिन्दी के फिल्म आलेख

*415 **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) फिल्म वित्त निगम ने फिल्म बनाने के लिए धनराशि देने हेतु वर्ष 1972 में बंगाली और हिन्दी के कितने आलेखों का अनुमोदन किया गया है ; और

(ख) क्या फिल्म वित्त निगम ने उन निर्देशकों और कलाकरों को अपना सहयोग दिया है जो पूना फिल्म संस्था से निकले हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) बंगला-2

हिन्दी-5 (एक वृत चित्र सहित)

(ख) जी, हां । एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पूना में प्रशिक्षित उन आर्टिस्टों, निर्देशकों तथा तकनीशियनों के नाम दिये गये हैं जो फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित फिल्मों से सम्बन्धित हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 4548A/73]

Industrial Investment in Co-operative Societies

*416. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Techology** be pleased to state :

(a) the total number of Industrial Co-operative Societies in the country at present, State-wise, and the total amount invested in them and the total value of their production per year ; and

(b) the total number of such societies in 1970 and 1971, State-wise ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) Statistical details on the working of cooperatives are compiled and publised annually by the Reserve Bank of India in their "Statistical Statements relating to the Cooperative Movement in India". Latest information available on the cooperatives in the industrial sector relates to the year 1969-70 (cooperative year ending 30th June, 1970). State-wise information about the number of societies and investment made in them as on 30-6-70 and their production during 1969-70 is given below :—

State	No. of societies as on 30-6-70	Investment made in them** (Rs. in crores)	Production* during 69-70 (Rs. in crores)
1	2	3	4
Andhra Pradesh	6533	26.83	27.12
Assam	1951	4.49	1.61
Bihar	4901	5.29	4 18
Gujarat	1104	38.06	18.43
Haryana	2153	6.31	7.76
Jammu & Kashmir	347	0.50	0.18
Kerala	3083	11.53	9.05
Madhya Pradesh	1453	5.29	1.49
Maharashtra	3033	142 02	124.62
Mysore	2715	36.87	11.07
Orissa	1657	6.65	5 01
Punjab	3728	13.82	9.90
Tamilnadu	356[illegible]	46.58	43.24
Rajasthan	3117	5.53	1.09
West Bengal	2168	4.73	10 44
Uttar Pradesh	6287	18.68	16.05
Himachal Pradesh	408	0.46	0.15
Manipur	420	0.22	0.28
Tripura	126	.12	0.04
Nagaland	11	0.01	...
Pondicherry	25	0.12	0.12
Goa, Daman, & Diu Andaman & Nicobar	26	0.01	0 03

*Figures for production in respect of industrial estates, cotton ginning and other agricultural processing societies were not available.

**Investment made in these cooperatives consists of share capital contributed by the members and Government, borrowings from Govt. and institutional financing agencies and others as also deposits raised from various sources.

1	2	3	4
Islands	7	Negligible	...
Chandigarh	49	0.08	...
Laccadiv Minicoy & Amindive Islands	2	Negligible	Negligible
Delhi	265	2.96	0.38
Total :	49129	377.16	291.84

'डिजाइन डोक्यूमेंटेशन' में आत्म-निर्भरता

417. **श्री जी० व.ई० कृष्णन् :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक क्षेत्रों के प्रतिष्ठान, उत्पादन की अवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों में 'डिजाइन डोक्यूमेंटेशन' के लिए अब भी विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने डिजायन सम्बन्धी योग्यता में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) डिजाइन प्रलेखप्रोषण (डाकूमेंटेशन) के लिए विदेशी जानकारी आयात करने के विषय में सरकार की नीति वही है जो सामान्य रूप से मानी जाती है अर्थात् चयनात्मक नीति तथा यह सुनिश्चित करना कि जहाँ देश में ही जानकारी प्राप्त है, उसके आयात करने की अनुमति न दी जाए। फिर भी, देश में मशीनें बनाने की क्षमता तथा आवश्यक विविधीकरण से जटिल क्षेत्रों में डिजाइन आयात करने की आवश्यकता पड़ती ही है। यह भी स्पष्ट है कि डिजाइन आयात करने का विकल्प है स्वयं मशीनों का ही आयात करना जिसमें विदेशी मुद्रा का अधिक खर्च आयेगा।

सरकार साथ ही देशी डिजाइन क्षमता का प्रयोग करने और उसे उच्चतर बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों ने स्वयं अपने डिजाइन संगठन बनाए हैं। भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति देते समय यह शर्त विदेशी सहयोग के करार में लगा दी जाती है कि करार की अवधि के दौरान भारतीय कम्पनी स्वयं अपनी डिजाइन तथा अनुसन्धान की सुविधाओं का विकास करेगी जिससे उसे सहयोग के करार की अवधि में अधिक विदेशी सहयोग पर और आगे निर्भर न होना पड़े। इसी प्रकार, पत्रकारों (पार्टियों) को दिये जाने वाले आशयपत्रों में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि परियोजना के कार्यान्वयन में प्रमुख परामर्शदाताओं के रूप में पंजीयित/अनुमति प्राप्त इन्जीनियरिंग डिजाइन व परामर्शदाता भारतीय संगठन ही होंगे तथा सरकार विदेशों से इस प्रकार के डिजाइन और परामर्शदायी सेवाए तभी लेगी जब वे देश में ही उपलब्ध न हों। हाल ही में यह भी विहित कर दिया गया है कि मशीनरी उद्योग के उपयुक्त मामलों में आशयपत्र में यह भी शर्त लगा दी जाए कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण की सुविधाओं के अंगस्वरूप, आवेदक एक समुवयुक्त डिजाइन

संगठन भी बनाए तथा इस उद्देश्य के लिए वह सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों को, आशयपत्र क लाइसेंस में परिवर्तित कराने के पूर्व इस विषय में एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करे। मशीनरी उद्योग के बारे में कतिपय समस्याओं की जाच करने हेतु सरकार ने हाल ही में एक विशेषज्ञ दल बनाया है जो अन्य बातों के साथ साथ

(1) विद्यमान डिजाइन सुविधाओ और ज्ञान का पुनरीक्षण करेगा और इनमे सुधार के लिए उठाए गए कदमों के विषय में सिफारिशें करेगा ;

(2) डिजाइन के एक केन्द्रीय ब्यूरो बनाने के प्रश्न पर विचार किया और उस विषय में समुचित सिफारिशें करेगा ; केन्द्रीय संगठन मे आयातित डिजाइनों/रेखांकनों के रखने की सभावनाओं पर विचार करेगा तथा उनको अन्य पक्षकारों को उपलब्ध करायेगा ;

(3) हमारी डिजाइन व ड्राइग सुविधाओं मे कमियों की एक व्यापक सूची तैयार करेगा तथा घटा बढ़ा कर निरन्तर उन्हें अद्यतन बनाने की पद्धतियों पर सुझाव देगा।

Re-Appointment of Retired I.C.S. and I.A.S. Officers working in Public and Private Establishments

*418. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of retired I.C.S. and I.A.S. Officers reappointed against posts in Public and private sector establishments during the last three years ; and

(b) the terms and conditions of reappointment of such retired officers in private companies and whether any deductions are made in their pensions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Only a part of the information sought is available with the Government of India, as pensioners are not required under the Rules, to obtain the permission of the Government before accepting employment or to inform the Government about such employment except when it is –

(i) commercial employment within two years from the date of retirement, or

(ii) employment under Government outside India (or an International Organisation of which the Government of India is not a member).

In respect of the categories of employment referred to above, the position is that during the last three years 16 former member of the Indian Administrative Service (Including former members of the Indian Civil Service) have been given permission to accept commercial employment.

(b) The terms and conditions of appointment of such retired officers in private companies vary from case to case and no deductions are made in their pensions. However, before granting permission to retired officers to accept commercial employment within two years of their retirement, each case is examined on merits.

लोकोमोटिव की गति और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 'इलेक्ट्रोनिक' प्रणाली

*419. **श्री के० लकप्पा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार संगठनों के संयुक्त प्रयासों से 'लोकोमोटिव' की गति और शक्ति को नियंत्रित करने के लिए स्वदेशी 'इलेक्ट्रोनिक' प्रणाली प्रतिपादित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वे संगठन कौन-कौन से हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ।

(ख) वे संगठन इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी० ई० ई० आर० आई०), पिलानी।

(2) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी० एल० डब्लू०), वाराणसी।

(3) भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड (आई० ई० मी० एल०), हैदराबाद।

(4) हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एच० ई० एल०) भोपाल।

त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बंगाली मूलक लास्कर जाति का शामिल किया जाना

*420. **श्री दशरथ देव :** गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत की अनुसूचित जन जातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल करने तथा कुछ को निकालने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या देशी त्रिपुरा के नाम से जानी जाने वाली बंगाली मूलक लास्कर जाति को, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस जाति के त्रिपुरा की जनजातियों से सांस्कृतिक, भाषयी तथा परम्परागत सम्बन्ध है, जन-जातियों की सूचि में शामिल किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची का पुनर्विलोकन करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) त्रिपुरा, त्रिपुरी अथवा तिप्पेरा सम्प्रदाय का त्रिपुरा राज्य के लिए अनुसूचित

आदिम जाति के रूप में उल्लेख है। देशी त्रिपुरा के नाम से ज्ञात सम्प्रदाय का अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

फिलस्तीनी गुरिल्लाओं द्वारा दूतावासों पर आक्रमण

3956. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरपोल ने भारत को चेतावनी दी है कि फिलस्तीनी गुरिल्ले भारत में उन दूतावासों पर आक्रमण कर सकते हैं जो इजरायल के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हैं तथा वे उनके राजनयिकों का अपहरण करने का प्रयास कर सकते हैं;

(ख) क्या कुछ समय से राजधानी में फिलिस्तीनी विद्यार्थियों और उनके समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं तथा सरकार ने उनको रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) क्या विदेशी राजनयिकों को संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया है।

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) भारत में कुछ दूतावासों तथा राजनयिकों को खतरे के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

(ख) ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उपाय किये जाते हैं।

गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में हुई अरब विद्यार्थियों की गुप्त बैठक

3957. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1973 के "मार्च आफ दि नेशन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अरब विद्यार्थियों की एक गुप्त बैठक हाल ही में 62, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में हुई थी जिसमें अंगोला और मोजाम्बिक के गुरिल्ला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा उन्होंने स्वयं को भारत में जनरल यूनियम आफ फिलस्तीनी स्टुडेन्ट्स के रूप में संगठित करने का निश्चय किया;

(ख) क्या इन विद्यार्थियों ने उक्त संगठन को बंगलौर, बम्बई, पूना, नागपुर, नासिक और जबलपुर में स्थापित करने का भी निश्चय किया; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गुप्त बैठक के आयोजकों के नाम तथा प्रस्तावित संगठन के उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास किया है और क्या यह संगठन भारत में नियुक्त अन्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध अरब विद्यार्थियों की गुरिल्ला कार्यवाहियों को सहयोग

देने के लिए गठित किया गया है और यदि हां, तो भारत में इनकी गतिविधियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने इस विषय में समाचार देखे हैं। फिलिस्तीनी छात्रों का महासंघ एक पंजीकृत संस्था है जिसका अध्यक्ष जोर्डन की नागरिकता का एक अरब छात्र श्री जियाद रजा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में फिलिस्तीनी छात्रों के महासंघ की एक बैठक 26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर, 1972 तक 62 गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में हुई थी। सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि अंगोला तथा मोजम्बीक के गुरिल्ला प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था अथवा यह संगठन भारत में अरब छात्रों की गुरिल्ला गतिविधि का एक रूप है अथवा विभिन्न स्थानों में शाखाएं स्थापित करने का कोई निर्णय किया गया है। विश्वास किया जाता है कि भारत में विभिन्न अरब देशों के 45-50 फिलिस्तीनी छात्रों ने इस बैठक में भाग लिया था।

हालांकि सरकार फिलिस्तीनी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं और उनकी वैध कल्याणकारी गतिविधि पर भी आपत्ति नहीं करती परन्तु उन्हें किसी प्रतिकूल गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त होने की अनुमति नहीं दी जायगी।

केरल में बेरोजगार इंजिनियरों और तकनीशनों को अनुदान के लिए सहायता देना

3958. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि बेरोजगार इंजिनियरों और तकनीशनों की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत राज्य को दी गई सम्पूर्ण धनराशि को अनुदान समझा जाये; और

(ख) इस कार्य के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा राज्य के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : जी, हां।

(ख) शिक्षित बेरोजगारों की सहायता योजना के अधीन केरल सरकार को 1972-73 के लिये 70 लाख रुपया का आवंटन किया गया है। जिसमें 2/3 ऋण तथा 1/3 अनुदान हैं।

पृथक वरीयता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सेलेक्शन ग्रेड

3959. **श्री अम्बेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पृथक् वरीयता के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) किसी भी ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई पृथक वरीयता नहीं है। तथापि, जहां पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में इस सम्बन्ध में सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित की जाती हैं, उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के पात्र उम्मीदवारों को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग से विनिर्णीत किया जाता है। सेलेक्शन ग्रेड के पदों का स्वरूप तथा उन्हें भरने की प्रणाली को तत्सम्बन्धित पदों के भर्ती नियमों में दिया गया है। सेलेक्शन ग्रेड के पदों में नियुक्तियां भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के आदेशों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, जो कि सम्बन्धित सेलेक्शन ग्रेड पदों के लिए लागू हों।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव

3960 **श्री रोबन ककोटी :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) क्या वर्ष 1973-74 में देश में कुछ और राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इस समय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत 30 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान हैं।

(ख) और (ग) पंचम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान निम्नांकित अनुसंधान प्रयोगशालाओं/केन्द्रों की स्थापना-कार्य के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

1. इंस्टीट्यूट फार सोलर एनर्जी।
2. इंस्टीट्यूट फार रेफ्रीजिरेशन एण्ड एअर कंडीशनिंग।
3. कौरोजन रिसर्च बोर्ड।
4. को-आपरेटिव रिसर्च एसोसिएशन फार इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज।
5. सैन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार पल्प एण्ड पेपर टैक्नालाजी।

6. बैटरीज रिसर्च सैंटर।
7. सेंटर फार बायो-टैक्नालाजी, बायो-इन्जीनियरिंग एण्ड फर्मनटेशन।
8. इंस्टीट्यूशन फार कैटेलिस्ट्स रिसर्च।
9. इंस्टीट्यूट फार पौलिमर रिसर्च।
10. फाइबर रिसर्च लैब्रोरेटरी।
11. इंस्टीट्यूट फार रिफ्रैक्टरीज।
12. सैन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी० जी० सी० ग्रार० ग्राई०) का गुजरात में एक क्षेत्रीय केन्द्र।
13. कुछ क्षेत्रीय ग्रनुसंधान प्रयोगशालाएं।
14. इस्टीट्यूट फार वैल्डिंग रिसर्च।
15. इंस्टीट्यूट फार टायर रिसर्च।

ये प्रस्ताव ग्रभी प्रारम्भिक ग्रवस्था में हैं ग्रौर ग्रभी इनको कई माध्यमों से परिपूर्ण करना है।

Defective Pronunciation in Urdu News Bulletin Broadcast

3961. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) whether the Pronunciation of words in the news bulletins broadcast from A. I. R in Urdu is defective;

(b) whether Government have received some complaints in this regard; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister In The Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha, : (a) No. Sir.

(b) No complaint has been received during the last one year.

(c) Does not arise.

उत्तरी बिहार के लिए सूक्ष्म तरंग प्रणाली

3962. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केवल उत्तरी बिहार को सूक्ष्म तरंग प्रणाली के ग्रन्तर्गत लाया जायेगा तथा उनके मन्त्रालय ने दक्षिण बिहार की उपेक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) बिहार राज्य में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ; ग्रौर

(घ) छोटा नागपुर क्षेत्र में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। उत्तरी बिहार में पटना-मुजफ्फरपुर प्रणाली और दक्षिणी बिहार में आसनसोल-धनबाद-रांची प्रणाली चालू की जा चुकी हैं। भविष्य में जिन प्रणालियों की योजना बनाई गई है, वे हैं—उत्तरी बिहार में (1) मुजफ्फरपुर-दरभंगा-समस्तीपुर (2) पटना-कटिहार और (3) पटना मुजफ्फरपुर-मोतीहारी-रक्सौल और दक्षिणी बिहार में (1) धनबाद-बोकारो, (2) रांची-डाल्टनगंज और (3) जमशेदपुर-रांची-हजारीबाग-गया-पटना। इनके अतिरिक्त इलाहाबाद वाराणसी-पटना, लखनऊ-गोरखपुर-पटना और आसनसोल पटना मार्गों के लिए पटना जंक्शन पाइन्ट का काम करेगा। जमशेदपुर-रांची, जमशेदपुर और जमशेदपुर-खड़गपुर माइक्रोवेव मार्गों में जमशेदपुर-जंक्शन पाइन्ट रहेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या लगभग 30,700 हैं।

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 15,500 है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सीमेंट की कमी

2962. **श्री टी० सोहनलाल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसकी पूर्ण आवश्यकता के अनुसार सीमेंट नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यक्रम पर विपरित प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसकी न्यूनाधिक त्रैमासिक औसत मांग के अनुरूप ही त्रैमासिक आवंटन किए गए हैं, तो भी, वास्तविक सम्भरण कम हुआ है जिसका कारण आन्ध्र प्रदेश में गड़बड़ी की स्थिति, श्रमिक अशांति और देश के अनेक राज्यों में बिजली में भारी कटोती के फलस्वरूप देश में उत्पादन कम हुआ है।

(ख) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण से सीमेंट की खपत की विभिन्न श्रेणियों की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करने के लिये कहा गया है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोली जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मिली मान्यता को समाप्त करना

3964. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोली जाति जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन आदेश, 956 के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली हुई है, की मान्यता इस बीच समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय द्वारा इस बीच कोली समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र देना बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय, दिल्ली ने 1 नवम्बर, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक कोली समुदाय के सदस्यों को कितने प्रमाणपत्र दिये हैं और •कितने व्यक्तियों के प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दिया गया तथा अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की कोली जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र सदा की भांति जारी किये जा रहे हैं ।

(ग) इस अवधि के दौरान 33 प्रमाणपत्र जारी किये गये थे । कोई आवेदन पत्र रद्द नहीं किया गया ।

Pak Nationals gone underground in Rajasthan State

3965. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of undergound Pakistani nationals traced out out of 166 who were underground in Rajasthan on 31st March, 1972 and the number of those out of them who have been deported ; and

(b) the number of the underground Pakistani nationals district-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में खाद्य उत्पादन में शीघ्र लाभ दिखाने वाली सिंचाई योजनाओं को तैयार करना

3966. **श्री मार्त्तण्ड सिंह** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी दो या तीन सिंचाई योजनायें बनाने को कहा है, जो खाद्य उत्पादन में शीघ्र लाभ दिखाये, तथा जिन्हें दो या तीन वर्षों में क्रियान्वित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, नहीं । बहरहाल, तेजी से निर्माण तथा अन्तर्निहित क्षेत्र विकास के लिए योजना आयोग ने हाल ही में कतिपय सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारण किया है ।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों में स्थानों का आरक्षण

2967. **श्री मार्त्तण्ड सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन- जातियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र (सरकारी तथा गैर-सरकारी) में कुछ स्थान आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में र.ज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Factories manufacturing Pump Sets

3968. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of factories in India which are manufacturing pump-sets and where servicing facilities therefor are also available ;

(b) the names of the States where these factories are located ; and

(c) the number of new factories proposed to be opened by Government during the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of Industrial Development and Science and the Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) There are 47 units in the organised sector which are manufacturing power Driven Pumps on the list of the Directorate General of Technical Development. According to their information, almost all these units as well as the dealers have servicing facilities. In addition, in the Small Scale Sector there are about 350 units manufacruring Power Driven Pumps. While no information is available about the number of small scale manufacturing units providing servicing and repairing facilities, it is reported that quite a large number of general engineering shops are providing such facilities.

(b) In so far as the 47 units in the organised sector are concerned the State-wise distribution is as below :—

Name of the State	No. of units
1. West Bengal	11
2. Maharashtra	14
3. Tamil Nadu	6
4. Gujarat	5
5. Kerala	1
6. Bihar	1
7. Mysore	2
8. Punjab	2
9. U. P.	4
10. M. P.	1
	47

In the Small Scale sector, the manufacture of pump-sets is spread out in almost all the States. There is however higher concentration of small scale units in Tamil Nadu. Punjab, Maharashtra and Haryana.

(c) There is no proposal to set up a unit for manufacture of pumps in the public sector, besides the Bharat Pumps and Compressors Ltd. which has already been set up at Naini, Allahabad.

दिल्ली अलीगढ़, फिरोजाबाद-आगरा और दिल्ली-फिरोजाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करना

3969. **श्री अम्बेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अलीगढ़, फिरोजाबाद-आगरा और दिल्ली-फिरोजाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अलीगढ़ में इस समय एक मैनुअल एक्सचेंज काम कर रहा है। आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1975 में आटोमेटिक बना दिया जाएगा। आगरा में वर्ष 1976-77 में एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज बैठाने की योजना है। अलीगढ़ के उपर्युक्त आटोमेटिक एक्सचेंज को इस ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था के बाद अलीगढ़ के टेलीफोन उपभोक्ता सीधे दिल्ली डायल कर सकेंगे।

फिरोजाबाद में भी इस समय एक मैनुअल एक्सचेंज है। आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यह एक्सचेंज आटोमेटिक बन जाएगा। तत्पश्चात् इस एक्सचेंज को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए आगरा ट्रंक आटो-एक्सचेंज से जोड़ दिया जाएगा।

मंत्रियों द्वारा किये गए दौरे

3970. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निदेश जारी किये हैं कि मंत्रियों को एक महीने में कितने दिन मुख्यालय में रहना चाहिए और कितने दिन वे दौरे कर सकते हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जी नहीं, श्रीमान। मंत्रियों द्वारा दौरे केवल तभी किये जाते हैं जब वे सरकारी कार्यों के लिए जरूरी होते हैं।

अनुसूचित जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन

3971. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिनमें अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों ने हिन्दू और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को स्वीकार करके नियोजक/

प्रशासनिक अधिकारियों को उसकी सूचना न दी हो और वे अनुसूचित जातियों को मिलने वाली रियायतों की मांग करते रहे हों /रियायत लेते रहे हों ;

(ख) यदि हां, तो धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई और यह कार्यवाही किस तारीख से प्रभावी हुई ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3972. **श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे अनुसूचित जातियो एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने वाला विधान लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा 335 के उपबन्धों के अनुसरण मे कार्यकारी अनुदेश को जारी करते हुए पहले से ही आरक्षणों की व्यवस्था की गई है। इन आदेशों का सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट रूप से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था उसी आधार पर करें जिस तरह की सरकार के अधीन सेवाओं । पदों में आरक्षण किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपाय भी किए गये हैं जिससे कि इन उपक्रमों द्वारा आरक्षणों को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाए। इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधान लाया जाए ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखना

3973. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयुक्त ने 17 अगस्त, 1972 को वर्ष 1970-71 का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1970-71 का प्रतिवेदन छप रहा है। इसे चालू सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

3974. **श्री एस० एम० सिदय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदनों में वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए जो सिफारिशें की गई थी, उन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) यदि हां तो उन्हें सभा पटल पर कब रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं. तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए संसदीय समिति के कार्यों में से एक कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों पर सरकार द्वारा किए गए उपायों पर सदन को रिपोर्ट देना है अतः इन रिपोर्टों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया था।

फिर भी, चूंकि 1969-70 के वर्ष के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की उन्नीसवीं रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सदस्यों की मांग थी कि की गई कार्यवाही का एक विवरण पेश किया जाय, ऐसे विवरण की प्रतियाँ 21 नवम्बर, 1972 को संसदीय लाइब्रेरी में रख दी गई थी।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता

3975. **श्री वयालार रवि : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम ने वर्ष 1972-73 के दौरान विभिन्न फिल्म-निर्माताओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है तथा फिल्म निर्मातावार इमके आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) निगम ने विभिन्न फिल्म निर्माताओं से कुल कितना धन वसूल करना है तथा फिल्म निर्मातावार इसके आँकड़े क्या हैं तथा इस धन को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **धर्मवीर सिंह**) : फिल्म वित्त निगम ने 1972-73 के दौरान (12 मार्च, 1973 तक) निर्माताओं को फिल्मानुसार जितनी वित्तीय सहायता दी, उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	फिल्म का नाम तथा भाषा	निर्माता का नाम	दी गई धनराशि रुपये
1.	जुक्ति तक्को आर गप्पो (बंगला)	रीटो प्रोडक्शन्स	1,51,200
2.	संकल्प (हिन्दी)	सुरेश सहगल	45,000
3.	एक अधूरी कहानी (हिन्दी)	अरुण कोल	26,000
4.	माया दर्पण (हिन्दी)	कुमारी शाहनी	16,954
5.	आक्रान्त (हिन्दीं)	गिरीष वैद्य	3,904
6.	आषाढ़ का एक दिन (हिन्दी)	मणि कौल	5,669
7.	कंकु (गुजराती)	कान्ति लाल राठौड़	5,500
8.	स्वयम्बरम् (मलयालम)	चित्रलेखा फिल्म कोआपरेटिव लिमिटेड	3,782
9.	बिलत फिरोत (बंगला)	चिदानन्द दास गुप्त	5,500
10.	त्रिसंध्या (हिन्दी तथा मलयालम)	राज मरओस	20,000
			287,589

(ख) निगम द्वारा 1972-73 के दौरान दिये गये ऋण को वापिस लौटाने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। 1972-73 के दौरान 31-12-72 तक वसूल किये जाने वाले ऋण का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी० 4543/73]। ऋणों की शर्तों के अनुसार इन ऋणों को वसूल करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

केरल प्रसारण केन्द्र का विस्तार

3976. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों के विस्तार तथा उनके कार्य-क्रम में सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1972-73 में कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा वर्ष 1973-74 में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केरल तथा निकट के अरब सागर द्वीप में प्रसारण सेवा के विस्तार के लिए एल्लेप्पी में उच्च शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रान्समिटर चालू किया गया है। त्रिवेन्द्रम के पुराने मध्यम शक्ति के मीडियम वेव ट्रान्समिटर के स्थान पर उच्चतर शक्ति का एक नया ट्रान्समिटर लगाया गया है। त्रिवेन्द्रम में स्टूडियो सुविधायें बढ़ाई गई हैं। त्रिचुर तथा कालीकट में स्थायी स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है।

पांचवी योजना के अन्तर्गत केरल सहित देश के विभिन्न भागों में और रेडियो स्टेशन खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) 1972-73 का अनुमानित खर्चा लगभग 12 लाख रुपए है और 1973-74 के दौरान लगभग 14 लाख 50 हज़ार रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

3978. **श्री के० मालन्ना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थता को विकसित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस प्रयोजन के लिए किन्हीं गांवों को चुना गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का विकास राज्य विषय है और यह काम राज्य योजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य-

क्रमों के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल राज्य योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए समस्त सहायता तक सीमित है। ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के विकास से सबंधित राज्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, सामुदायिक विकास, वन, मत्स्यपालन, सहकार तथा अन्य प्रकार का संस्थागत ऋण, सिचाई, बिजली, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधायें, आवास, पेय जल की आपूर्ति आते हैं। इन चालू कार्यक्रमों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए केन्द्र द्वारा चौथी योजना के दौरान लघु कृषक विकास अभिकरण नाममात्र के कृषक, कृषि श्रमिक अभिकरण, ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम, सूखाप्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए मकान के स्थानों की व्यवस्था तथा ग्रामीण सड़क कार्यक्रम आदि कतिपय विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए।

अगस्त 1972 में कृषि मंत्रालय में राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे भारत की स्वतन्त्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में प्रत्येक खंड से कम से कम एक गाँव को 'जयन्ती ग्राम का नाम दें। ये चुने हुए 'जयन्ती-ग्रामों' को आदर्श गाँवों के रूप में विकसित किया जायेगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित लगभग 3300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम में पेय जल, बारहमासी सड़कों से सम्बन्ध, स्कूल तथा चिकित्सा सुविधाएं, ग्रामीण बिजलीकरण आदि आते हैं और इन स्कीमों से ग्राम अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपेक्षित बुनियादी आधार के निर्माण में निःसदेह सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम

3979. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को चलाने को कहा है ; और

(ख) निगम के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार ने 57 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने हाथ में ले लिया है। इन 57 मिलों में से 17 मिलों के संबंध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया है तथा बाकि मिलों के लिये राज्य कपड़ा निगमों/व्यक्तियों को अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया है। किन्तु बाद की मिलों के मामले में भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम प्रमुख सुपरवाइजरी भूमिका अदा करता है। उन 46 मिलों के मामलों में जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने ऋण कपड़ा मिलों (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के

अधीन अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को महा-आभरक्षक नियुक्त किया है ।

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगस के निर्देशक बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया गया था—

(i) श्री के० के० धर, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक

(ii) श्री एम० जी० मीरचन्दानी, निदेशक (तकनीकी)

(iil) श्री के० किशोर, निदेशक ।

कुछ निदेशकों का नियुक्ति काल समाप्त हो गया है। निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

बिहार में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य में विस्तार

3980. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारतीय सर्वेक्षण विभाग, बिहार में अपने कार्य का विस्तार करेगा ;

(ख) क्या इस कार्य हेतु भारतीय सर्वेक्षण का कार्यालय छोटा नागपुर में खोला जाएगा क्योंकि यह एक उपेक्षित क्षेत्र है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) नए कार्यालय एवं एककों का स्थल अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध चंडीगढ़ पत्रकार संघ की शिकायत

39 1. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंयी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्वर, 1972 के समाचार पत्र 'टी टाइम्स आफ इन्डिया' नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया ने हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध चंडीगढ़ पत्रकार संघ की शिकायत पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो संघ द्वारा की गई शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) इस पर कार्रवाई प्रारम्भ करने से पूर्व प्रेस परिषद और व्यौरे की प्रतीक्षा कर रही है ।

सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी कपड़ा मिलों के प्रबन्धनिदेशकों द्वारा कुप्रबन्ध के बारे में जांच समितियों का नियुक्त किया जाना

3982. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये जांच समितियां नियुक्त की हैं कि सरकार ने जिन कपड़ा मिलों का संकटग्रस्त मिलों के रूप में अधिग्रहण किया है उनके भूवपूर्व प्रबन्ध निदेशक वित्तीय कुप्रबन्ध के लिये किस सीमा तक व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी हैं और इनकी वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां कितनी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या हानियों के लिये ऐसे निदेशकों के विरुद्ध मुकदमे चला दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (सी० सुब्रह्मण्यम) . (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेजगारी न होने के कारण पार्लियामेंट स्ट्रीट के तार-घर में 'अर्जेन्ट' तार स्वीकार न किया जाना

3983. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिनांक 12 फरवरी, 1973 को सायं 6 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट के तार-घर में काऊंटर पर स्टाफ के पास रेजगारी न होने के कारण 'अर्जेंट' तारें लोगों को लौटा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो डाक-तार घरों में पर्याप्त मात्रा में रेजगारी की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि जनता को असुविधा न हो ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । सरकार को इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना

3985. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किये जाने में आपत्ति प्रकट की है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि दिल्ली में गैर सरकारी

भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माणों को नियमित किया जाये क्योंकि यह प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रादेश प्राप्त उपबन्धों के विरुद्ध था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि संकल्प सं० 1313 दिनांक 30-3-1971 को जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली में सभी अनधिकृत निजी निर्माणों को नियमित करना चाहता था निगम के दिल्ली मास्टर प्लान तथा निर्माण उप-नियमों के साथ असंगत तथा निगम के वित्तीय हितों के लिए हानिकारक समझा गया था । दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 336 तथा 343 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भेजा कि संकल्प को कार्यान्वित न करने के आदेश क्यों न दिए गए । दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने 30 जनवरी, 197? के अपने जवाब में प्रशासन को सूचित किया था कि निगम ने अपने संकल्प को रद्द कर दिया था ।

चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी आवासी कल्याण एसोसियेशन रामकृष्णपुरम

3986 **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीछे अनेक शिकायतें मिली हैं कि चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी आवासी कल्याण एसोसियेशन, सेक्टर 11 रामकृष्णपुरम अपने नियमों-विनियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या 1968 से उक्त एसोसियेशन के विरुद्ध या उसके द्वारा दिल्ली के न्यायालयों में मुकदमें चलते रहे हैं और इसके पदाधिकारी एसोसियेशन का धन उन पर खर्च करते रहे हैं ; यदि हां, तो सरकार इसे निमित रूप से यह सहायतानुदान क्यों देती रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान्, एसोसियेशन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कल्याण अधिकारी द्वारा उनकी जांच की गई जो सही नहीं पाई गई ।

(ख) जी नहीं श्रीमान्, कुछ निवासियों द्वारा पदाधिकारियों को कार्य करने से रोकने के लिए उनके विरुद्ध व्यादेश लिए आवेदन-पत्र दायर किये गये थे और वे न्यायालयों द्वारा खारिज हो गए थे ?

उक्त एसोसियेशन सन्तोषप्रद रूप से कार्य कर रहा है और अनुमोदित मदों पर ही निधि (फन्ड) व्यय कर रहा है । इसलिए उनका सहायता-अनुदान रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

Security Arrangements for checking Theft and Dacoity in the Districts of Bihar located on Nepal Border

3987. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether incidents of theft and dacoity with fire-arms have been taking place quite often in the Districts of Bihar State located on Nepal border for the last one year;

(b) if so, whether Government are making arrangement for security of these border Districts by entering into an effective agreement with the Government of Nepal ; and

(c) whether Government propose to depute Security Forces on the borders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राजस्थान में पुलिस अधिकारियों के घरों पर छापे

3988. **श्री लालजी भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले राजस्थान में कुछ उच्च पुलिस अधिकारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा अपराधी अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक जांच-पड़ताल की जा रही है ।

Exploitation of Uranium in Kolihan (Rajasthan)

3989. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether there are possibilities of Uranium being found in Kolihan in Khetri Nagar (Rajasthan) ; and

(b) if so, the steps being taken for its exploitation ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir, Indications of uranium have been found in the underground workings of the Kolihan Copper Mine of M/S Hindustan Copper Limited.

(b) The question of exploitation will depend upon the results of the detailed investigations currently in hand.

भारत में रह रहे नेपालियों का भारतीय नागरिकता के लिए अनुरोध

3990. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से नैपाली कई वर्षों से भारत में रहते आ रहे हैं और अब वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारत में रहने वाले नैपाली नागरिकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विदेशियों के पंजीकरण नियम, 1939 के अन्तर्गत विदेशियों के रूप में उनका पंजीकरण नहीं किया जाताहै । इस सम्बन्ध में 1971 की जनगणना में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु 1961 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 1,27,995 थी । भारतीय नागरिकता चाहने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है । 1972 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को एक नेपाली नागरिक से भारतीय नागरिक के रूप में देशीकरण के लिए केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था । भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

Payment of pensions to Freedom Fighters by money orders

3991. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether freedom fighters who are drawing pensions upto Rs. 100 per month will get their pensions by money orders ; and

(b) if not, reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The pension can be drawn at the option of the pensioner either in person from the concerned Treasury or by money order and (i) In case the amount is not more than Rs. 100/-, the money order commission will be borne by the Government but (ii) If the amount exceeds Rs. 100/- and is less than Rs 200/-, the money order commission is chargeable to the Pensioner.

The Rules do not permit remittance by money order if the pension amount exceeds Rs. 250/-.

(b) Does not arise.

Extension of Visas of American Students engaged on Research Work in India

3992. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of American students engaged on research work in India at present and the number of those students who got their visas extended after expiry of the period ?

The Deputp Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

3993. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात राज्य सरकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और उन पर केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी है ;

(ख) इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है तथा इनसे सम्बन्धित मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विधिवत इन संशोधनों का अनुमोदन किया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4544/73] ।

अरब छात्रों द्वारा गुरिल्ला गतिविधियां

3994. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ अरब छात्र देश में गुरिल्ला गतिविधियों के लिए योजना बना रहे हैं ;

(ख) क्या इस बीच सरकार द्वारा कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो की गई जांच की मुख्य बातें क्या हैं और स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि भारत में अरब छात्र देश में गुरिल्ला गतिविधियों की तैयारी कर रहे हैं किन्तु सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे गये मामले

3995. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कितने मामलों की जांच की;

(ख) उनमें से कितने मामले निपटाये गए हैं और कितने अभी बकाया हैं और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(ग) क्या किए गए निर्णयों से स्टाफ पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना को समाविष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4545/73]

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श यह सुनिश्चित करता है कि ईमानदारी की कमी/कदाचार आदि के संबंधित अनुशासनात्मक मामले बिना किसी भय अथवा पक्षपात के किसी एक निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा निपटाए जाएं तथा अभियोजन, विभागीय कार्रवाई तथा दण्ड देने के संबंधित मामलों में सामान्य मानदण्ड तैयार किए जाए तथा उन्हें लागू किया जाए। इस परामर्शदात्री प्रक्रिया का प्रशासनिक सतकर्कता के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

राष्ट्रीय समृद्धि के लिए चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के बारे में बम्बई में विचार गोष्ठी

3996. **श्री पी० गंगादेव ;**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि के लिये चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 को बम्बई में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी मे किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष निकले ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ उनमें निर्यात के संवर्धन मे चमड़ा उद्योग के सामने आने वाली समस्यायें; महाराष्ट्र में चमड़ा उद्योग का विकास, जूते बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा उद्योग के भावी विकास के लिए सुझाव सम्मिलित थे। निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :—

1. बम्बई में कपड़ा उद्योग विकसित न होने में प्रमुख रूप से कार्य हेतु जगह की कमी, नल तथा विद्युत की कमी रही है ।
2. आंतरिक तथा निर्यात बाजार खोलने हेतु चमड़े के सभी बड़े केन्द्रों में मेले संगठित करना ।
3. अन्य उद्योगों में बनाए गये बोर्डों के अनुरूप उसी ढांचे पर चमड़ा उद्योग के विकास हेतु चमड़े के माल का बोर्ड स्थापित करना ।

4. परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना।

5. निर्यात बढ़ाने के लिए चमड़े और जूता उद्योग के यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देना।

6. आधुनिक हाथ के बने औजारों तथा प्रयोग हेतु मशीनों के निर्माण के लिए एकक स्थापित करना।

7. चमड़े के भाव की किस्म में सुधार लाने हेतु फिटिंग आदि का उतारतापूर्वक आयात करना।

8. निर्यात के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम में चमड़ा उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

9. विदेशों में अधिक माँग बढ़ाने हेतु अध्ययन दौरे तथा सावधिक बाजार सर्वेक्षण करना।

10. विदेशों में मांग के अनुरूप भारत में भी उत्पादन में परिवर्तन लाने हेतु सुख्यात फैशन डिजाइनरों की सेवाऐं प्राप्त करना।

चेकोस्लावाकिया द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात

3997. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लावाकिया का विचार पांचवीं योजनावधि में इस देश में निर्मित वस्तुओं का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या जनवरी, 1973 में चेकोस्लोवाकिया के डिप्टी चेयरमैन की भारत यात्रा के दौरान इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जनवरी 1973 में चेकोस्लोवाक योजना आयोग के उपाध्यक्ष की भारत यात्रा के दौरान हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इस बात पर समझौता हो गया है कि भारत तथा चेकोस्लोवाकिया की भावी योजनाओं, जिसमें कि भारत की आगामी पंचवर्षीय योजना सम्मिलित है, में उनके बीच परस्पर लाभ के आर्थिक सहयोग को विकसित करने के प्रयत्नों के एक अंग के रूप में दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन कर व्यापार को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा, भारत से चेकोस्लोवाकिया को गैर-परम्परागत वस्तुओं/तैयार माल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि कर तथा भारत में चेकोस्लोवाकिया की वस्तुओं के आयात को बढ़ा कर किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

3998. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1972 में विदेशी मुद्रा विनियमों का अधिक उल्लंघन हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1971 के मामलों की तुलना में वर्ष 1972 के मामलों की स्थिति क्या है ; और

(ग) दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच के लिए दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 3,000 तथा 2,293 थी ।

(ग) विद्यमान कानूनों में दोषों को दूर करने के प्रश्न पर सरकार का निरन्तर ध्यान है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापन करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक दिनांक 29-8-72 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था । अब इस पर संसद् की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश में पृथकतावादी आन्दोलन में काले धन और विदेशी धन का प्रयोग

3999. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पृथकतावादी आन्दोलन में प्रयुक्त काले धन और विदेशी धन की मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाकघर बचत योजना में नवीनता लाना

4000. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डाकघर बचत योजना लोकप्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई नई बचत योजना लागू करना चाहती है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) डाकघर विभिन्न डाक बचत योजनाओं के जरिये सेवा करता हुआ वित्त मंत्रालय के एजेंट के तौर पर काम करता है और राष्ट्रीय बचत सगठन और राज्यों के लघु बचत योजना निदेशालय इन योजनाओं की बिक्री के लिए प्रचार करते हैं।

(ग) विभिन्न डाक बचत योजनाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और इनमें समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

Expenditure incurred on the Social and Economic Development of Adivasis

4001. **Shri B. S. Chowhan :** will the Minister of Home Affairs be pleased to state the amount of expenditure incurred by the Central Government on social, political and economic development of adivasis during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : A statement showing the expenditure on the welfare of Scheduled Tribes during the Backward Classes sector of IV plan is attached.

Statement

Scheduled Tribes :

(Rs. in lakhs)

Sector/Scheme	1969-70	1970-71	1971-72
State Sector			
1. Education	241.50	321.99	426.84
2. Economic Development	65.23	158.93	198.99
3. Health, Housing & Other Schemes.	51.65	84.29	119.18
Total	358.38	565.21	745.01
Central Sector			
1. Post-Matric Scholarships	29.91	34.93	65.36
2. Girls hostels	22.35	22.20	21.12
3. Pre-examination Training.	5.00	5.80	4.[illegible]0
4. Tribal Development Blocks	716.78	594.10	609.25
5. Co-operation	76.26	45.15	45.15
6. Tribal Research & Training.	11.40	12.21	12.85
Total	861.70	714.39	758.43
Grand Total :—	1220.08	1279.60	1503.44

टेलीविजन सैट बनाने के लिये गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों को दिए गए लाइसेंस

4002. **श्री लालजी भाई : क्या इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत टेलीविजन सैट बनाने के लिए कितनी गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों को लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उन पत्रों द्वारा बनाए जाने वाले टेलीविजन सेंटों के लिए किन्हीं निश्चित कीमतों का सुझाव दिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : क) तीन निजी पक्षों तथा दो सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को टी० वी० सैटों के निर्माण के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे जैसा कि नीचे दिया गया है ।

क्रम संख्या	लाइसेंस का काम	वार्षिक (क्षमता) संख्या में	स्थान
1.	मैसर्स जे० के० इलैक्ट्रानिक्स, कानपुर	10,000	उत्तर प्रदेश
2.	मैसर्स टेलिरैड प्राइवेट लिमिटेड बम्बई	20,000	महाराष्ट्र
3.	मैसर्स जोन प्रसाद, मद्रास	10,000	जम्मू और काश्मीर
4.	मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद (भारत सरकार का उपक्रम)	20,000	आन्ध्र प्रदेश
5.	मैसर्स रेडियो तथा इलैक्ट्राकिल मैन्यूफैकचरिंग कम्पनी, लिमिटेड बैंगलोर (मैसूर सरकार का उपक्रम)	5,000	मैसूर

उपर्युक्त के अतिरिक्त, टी० वी० सैटों की 40,000 संख्या की कुल क्षमता के लिये सगठित क्षेत्र में छः पक्षों को (पांच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विस्तार हेतु एक निजी पार्टी) को आशय पत्र) जारी किये गये हैं तथा 1, 91,100 टी० वी० सैटों की कुल क्षमता के लिये लघु उद्योग क्षेत्र में 67 पार्टीयों को (3 सरकारी क्षेत्र उपक्रमों एवं 64 प्राइवेट पक्षों को) स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(ख) इन फर्मों के द्वारा टी० बी० सैटों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई मानक मूल्य का सुझाव नहीं दिया है। फिर भी, उन टी० वी० सैटों का मूल्य जिनका निर्माण अब भारत में हो रहा है, पर्याप्त रूप से एक रूप है, और आशा की जाती है कि यूनिटों तथा सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों को प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कम कीमत के टी० वी० सैट बाजार में प्रधानतः उपलब्ध हो सकेगें।

सोवियत संघ द्वारा यूरोप में दुर्लभ मुद्रा में वस्तुओं की कथित बिक्री

4003 **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 1973 के 'स्टेटसमेन' में बीटवीन दि लाइन्स' शीर्षक से छपे इस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सोवियत संघ से शिकायत की है कि भारत से माल खरीद कर यूरोप में दुर्लभ मुद्रा प्राप्त करके बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है।

टायरों और ट्यूबों की किस्म

4004. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित टायरों और ट्यूबों के मूल्य समान हैं जबकि उनकी किस्मों में एक-दूसरे से अन्तर होता है ; और

(ख) क्या ये टायर कम्पनियां टायरों और ट्यूबों के अतिरिक्त भी कुछ वस्तुएं बनाती हैं ; यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी द्वारा क्या-क्या वस्तु बनायी जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा बनाये गये टायरों की किस्म एक सी नहीं हो सकती क्योंकि उनके अलग-अलग विदेशी सहयोगी होते हैं और कम्पनियां अपने-अपने विदेशी सहयोगियों द्वारा भेजे गये सामान के आधार पर टायर तथा ट्यूब बनाए जा रहे हैं। किन्तु देश में बनाये गये टायरों की किस्म के बारे में कोई गंभीर शिकायतें नहीं की गई है ;

(ख) मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूबों के निर्माण के अलावा नीचे दी गई कम्पनियां उनके नाम के सामने दी गई रबड़ की अन्य वस्तुओं का भी निर्माण कर रही है :—

1. मे० डनलप इण्डिया लि० कलकत्ता।	साइकिल के टायर तथा ट्यूबे, रबड़ कन्वेयर बेल्टिंग, रबड़

	ट्रांसिमिशन बेल्टिंग, पंखों की बेल्टें, रबड़ के होजेज, लेटेक्स फरेम, आदि।
2. मे० फायरस्टेशन टायर एण्ड रबड़ कं० बम्बई।	पंखों के बेल्ट।
3. मे० गुडइयर इण्डिया लि०	सायकिल के टायर तथा ट्यूबें रबड़ डाक पेन्डर्स।
4 मे० मद्रास रबड़ फैक्ट्री	सायकिल के टायर तथा ट्यूबें।

Request made by Hindi Sahitya Sammelan for Corrections in Census Report

4005. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether incorrect data have been given in the census in regard to Hindi speaking people ;

(b) whether Hindi Sahitya Sammelan have requested the Government to correct these mistakes ; and

(c) if so, the Governments' reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) 1971 Census data in respect of speakers of Hindi Language, is based on the same grouping of mother tongues as adopted at the previous census of 1961. The 1971 figures have been released on a provisional basis only.

(b) The Delhi State Hindi Sahitya Sammelan, Sadar Bazar Division, has made some suggestions on the matter.

(c) The matter is under consideration of Government.

Issue of Licences to Sahu Jain Group

4006. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of new licences issued to Sahu Jain Group for seeting up new industries during the last one year ; and

(b) whether any industry is also going to be set up in Bihar out of the aforesaid industries ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) During 1972, no industrial licence was issued to any company belonging to or controlled by Sahu Jain Group. However, two letters of intent have been issued in 1972 to companies belonging to this Group, out of which one is for substantial expansion of an existing undertaking in Bihar for the manufacture of paper and paper board.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग

4007. श्री रामसहाय पांडे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जर्मन वैज्ञानिकों ने एक प्रोतिनिधीमंडल ने हाल में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ हुई चर्चा का सारांश क्या है ; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप भारत और जर्मन के बीच वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कार्यवाही करने के हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

प्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) जर्मन तथा भारतीय पक्ष के वैज्ञानिकों के मध्य हुए विचार-विमर्श के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संभाव्य सहयोग सम्बन्धी क्षेत्रों की गवेषणा की गयी थी। उनके विचार-विमर्श तथा भारत के अनुसंधान केन्द्रों में उनके दौरों के फलस्वरूप जर्मन पक्ष के वैज्ञानिकों ने भू-विज्ञान, जीव तथा चिकित्सा विज्ञान, द्रव्य तथा व्यवहारिक रसायन विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में संभाव्य के संकेत दिए।

(ग) लौटने के उपरान्त जर्मन दल संभवतया जर्मन संघीय गणराज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जो तब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक विभिन्न समझौते की सम्भावना पर विचार करेगी। भारत सरकार ने ऐसे समझौते में प्रविष्ट होने के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी है।

रोजगार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकार

4008. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या इस मामले पर केन्द्र तथा राज्यों में परामर्श हुआ है ; और यदि हां, तो इस बारे में राज्यों के क्या विचार हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े राज्यों के पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूर संचार उद्योगों की स्थापना के लिए योजना

4009. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार उद्योगों की स्थापना के लिए एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत उद्यमकर्त्ताओं को पिछड़े राज्यों के पर्वतीय जिलों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं दी जायेंगी ;

(ख) क्या उन स्थानों को जहां पर यह उद्योग स्थापित किये जायेंगे, चुन लिया गया है, और यदि हां, तो वे कहां-कहाँ पर हैं ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और क्या ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता लेने की अनुमति दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार ने पिछड़े राज्यों के पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिक तथा दूर-संचार उद्योगों की स्थापना के लिए विशिष्ट रूप मे कोई योजना नहीं बनाई है। परन्तु सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम को लघु-उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीताल में 5000 टेलिविजन सैट के उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है। इसी क्षेत्र में 2000 इलैक्ट्रानिक डेस्क कैलक्यूलेटर के उत्पादन के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। यह आशा की जाती है कि इन विशिष्ट कदमों के फलस्वरूप पिछड़े राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

एशियाई देशों की न्यूज एजिन्सियां

4011. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एशियाई देशों की न्यूज एजेन्सियों के बारे में मलयेशिया के सूचना मंत्री को कोई प्रस्ताव दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) 7 फरवरी, 1973 को मलयेशिया के सूचना मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री के बीच नई दिल्ली में हुई एक बैठक में दोनों मन्त्रियों ने परस्पर हितों के विभिन्न मामलों तथा जन सम्पर्क के क्षेत्र में एशियाई देशों, जहां तक कि एक एशियाई देश का दूसरे एशियाई देश के समाचारों के लिए भी विदेशी समाचार एजेन्सियों पर निर्भरता के बारे में बातचीत की थी। सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि आपसी प्रबन्धों के द्वारा देशों के बीच समाचारों का और अधिक आदान-प्रदान होना चाहिए।

उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए व्यवहार संहिता

4012. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों और उद्यमियों के जनता के साथ जिसकी सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है व्यापारिक सम्बन्धों के विषय में आचरण संहिता तैयार करने हेतु उनको मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किए हैं, का नियंत्रण कर सकें ; यदि हाँ, तो उनका सारांश क्या है ; और

(ख) क्या इन सिद्धान्तों का उद्योगपतियों ने स्वागत किया है और इससे देश को कहां तक सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार का विचार यह है कि सरकार को उद्योग और व्यापार के सम्बन्ध में दण्डात्मक तथा विनिमयन सम्बन्धी अभ्युपाय करने पड़ते हैं उनके अलावा उद्योग-पतियों तथा व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वेच्छा से एक आधार संहिता अपनायें जिसमें उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्वों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों को अपना यह दृष्टिकोण बता दिया है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने "भारत में व्यापार करने सम्बन्धी मान्यताओं और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक विवरण" तैयार किया है जिसे उनके सभी सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एसोसियेशन ने भी व्यापारियों के लिए पहले एक आचार संहिता तैयार की थी।

देहरादून में उपग्रह यूनिट की स्थापना में कनाडा की सहायता

4014. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में उपग्रह यूनिट स्थापित करने में कनाडा भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और यदि हां, तो कनाडा किस प्रकार की सहायता देगा ;

(ख) इस उपग्रह यूनिट के कब तक स्थापित हो जाने की संम्भावना है ; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । देहरादून के निकट उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना के लिए विदेशी मुद्रा की लागत के वित्तपोषण के लिए कनाडा सरकार के साथ 17.42 लाख कैनेडियन डालर के ऋण तथा 2.5 केनेडियन डालर के अनुदान के लिए एक करार किया गया है । यह ऋण व्याज-मुक्त है और इसे 31 मार्च, 1982 से शुरू होने वाली 80 किस्तों में अदा किया जाना है ।

(ख) देहरादून के निकट उपग्रह भू-केन्द्र के 1975 के आरम्भ में चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) उपग्रह भू-केन्द्र प्रायोजना की कुल लागत का अनुमान 781 लाख रु० के लगभग है । यद्यपि इसकी बाद में बढ़ने की संभावना है ।

आंध्र पृथकतावादियों द्वारा सम्पत्ति नष्ट किए जाने का उद्देश्य तथा वित्तीय समर्थन के लिये उनके साधन

4015. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र पृथकतावादियों द्वारा राजस्व विभाग, आयकर, बिक्री कर के कितने कार्यालयों तथा राज्य परिवहन की कुल कितनी बसों पर हमला किया गया अथवा उन्हें नष्ट किया गया और इनके पीछे उनका उद्देश्य क्या था ;

(ख) हिंसात्मक पृथकतावादियों द्वारा कितने स्थानों, एकतावादी विधायकों अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया : और

(ग) पृथकतावादियों को भारतीय तथा विदेशी किन किन साधनों से वित्तीय सहायता मिलती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

शहरघाट में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

4016. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री बिहार में नए शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरघाट में मंजूरशुदा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और दरभंगा जिले में 39 शाखा डाकघर अभी न खोले जाने के क्या कारण हैं और उनके खोले जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) 1973-74 में दरभंगा जिले में 84 शाखा डाकघर कहां पर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) शहरघाट में एक पी० सी० ओ० खोला जा चुका है। महादेवा में शाखा डाकघर खोलने का काम इसलिए रुका है क्योंकि इस काम के लिए निधि अलाट नहीं की गई है। वर्ष 1973-74 के बजट एस्टीमेट के पास हो जाने पर निधि अलाट कर दी जाएगी। बकाया जिन 38 शाखा डाकघरों को स्वीकृति दी जा चुकी है, उनमें हर एक मामले में होने वाले घाटे की रकम डाकघर की सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा अभी तक जमा नहीं कराई गई है। इसलिए ये डाकघर नहीं खोले जा सके। रकम जमा कराने पर ये डाकघर तुरन्त खोल दिये जाएंगे।

(ख) जो विशिष्ट प्रस्ताव डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे, उनकी जांच की जाएगी और जांच के आधार पर ही यह निश्चय किया जाएगा कि ये डाकघर किन स्थानों पर खोले जाएंगे।

मन्दिर की मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों को कठोर दण्ड देना

4017. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली खुफिया पुलिस द्वारा जिन व्यक्तियों को मन्दिर की अनेक मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है, उनके पास निर्यात लाइसेंस हैं;

(ख) क्या ऐसे घृणित अपराधों के लिए किए जाने वाला जुर्माना अथवा दण्ड इतना मामूली अथवा थोड़ा है कि उसमें इस काम में लगे लोगों को प्रोत्साहन ही मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि दिए जाने वाला दण्ड वास्तव में ऐसा हो जिससे अपराध को रोका जा सके ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। मूर्तियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 550 के अधीन पकड़ी गई थी क्योंकि उन पर चुराई गई सम्पत्ति होने का सन्देह था उन व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अधीन गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि उनके पास चुराई हुई वस्तु के होने का सन्देह उचित था। इन मामलों की जाँच पड़ताल की जा रही है ताकि उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379,380 और/या 411 के अधीन मुकदमा चलाया जा सके जिसके लिए निर्धारित सजाएं क्रमशः ये हैं एक किस्म की कैद जिसे तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना या दोनों, एक किस्म की कैद जिसे 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और

जुर्माना, इस किस्म की कैद जिसे तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना या दोनों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसारण केन्द्रों की राज्यवार स्थापना

4018. **श्री शंकर राव सावंत :**

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :

क्या सूचना **और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य में प्रसारण-केन्द्र कहाँ-कहाँ पर हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4546/73]

हैदराबाद स्थित केन्द्रीय औजार तथा डिजाइन संस्थान द्वारा लघु उद्योगों के लिए सेवाएं

4019. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित केन्द्रीय औजार तथा डिजाइन संस्थान के विभिन्य संस्थानों को किस प्रकार की सहायता दी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस संस्थान के किस डिजाइन के औजार डाई आदि बनाए हैं ; और

(ग) लघु उद्योगों को इस संस्थान से क्या लाभ मिला है और इस संस्थान के कार्य के परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों की स्थापना तथा उसके विकास पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) संस्थान का सारा कार्य तकनीकी कार्मिकों को डिजाइन तैयार करने और औजार सांचे और ढलाई आदि बनाने में प्रतिक्षण देता है।

दूसरे कार्य निम्न प्रकार हैं :

1. लघु एककों को परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना ; जिनमें विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए औजारों के विकास और डिजाइन बनाने में सहायता करना भी सम्मिलित है।

2. सांचों, जिगों और अन्य औजारों के हिस्सों का मानकीकरण करने के लिए अभ्युपायों की सिफारिश करना ;

3. सीमित स्तर पर औजारों, सांचों, जिगों, फिक्शचरों और गैजों आदि का उत्पादन करना।

(ख) पिछले तीन वर्षों में संस्थान द्वारा बनाए गए कुछ प्रकार के औजारों, सांचे आदि निम्नलिखित हैं :

1. नायलोन जिपों का निर्माण करने के लिए पहियों का एक सैट।
2. चेयरों के लिए एक विशेष प्रकार का निकल ट्रीडिंग औजार।
3. पानी के मीटर के लिए एक विशेष प्रकार का कटर।
4. प्लास्टिक के हिस्सों के लिए सांचा।
5. टाइमपीस घड़ियों के लिए एक जटिल तथा सूक्ष्म स्पिलर सांचा।
6. कम्प्रेशर के हिस्सों का निर्माण करने के लिए विशेष प्रकार के प्रिसिजन गेज।
7. तोलने की मशीनों का निर्माण करने के लिए कम्पाउण्ड।
8. परमाणु उर्जा परियोजना हेतु प्रिसिजन हिस्से पुर्जे जो फ्युल मशीन कैरिएज को जाते हैं।
9. औद्योगिक वायु फिल्टर का निर्माण करने के लिए रोशनदान।
10. एक्सट्रक्टेड अल्युमिनियम कन्टेनरों का निर्माण के लिए एक्सट्रक्शन डाई और पंच।
11. साइकिल के फालतू पुर्जो के निर्माण हेतु केविटी।
12. प्लास्टिक फार्मिंग मशीनों का निर्माण करने के लिए विशेष मोटर का डिजाइन।

(ग) संस्थान द्वारा डिजाइन बनाने और जिगों, फिक्सचरों, औजारों, सांचों और मोल्डों आदि को बनाने में तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर और विभिन्न प्रक्रियों के लिए औजारों के डिजाइन तैयार और उनका विकास करने में उन्हें सलाहकार तथा परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर लघु एककों की जो सेवा की जा रही है उसने लघु एककों में काफी उत्साह पैदा किया है। चूंकि संस्थान हाल ही में स्थापित हुआ है इसलिए लघु उद्योगों की वृद्धि की गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी तुलना कर सकना इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्था, हैदराबाद द्वारा विमान से भू-भौतिकी सर्वेक्षण के लिए विकसित उपकरण

4020. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्था, हैदराबाद ने विमान से भू-भौतिकी सर्वेक्षणों के लिए एक पूर्णतया स्वदेशी उपकरणों का पूरा सेट अब विकसित किया है;

(ख) क्या पहले किए गए सर्वेक्षणों पर आने वाली लागत की तुलना में इनमें किये जाने वाले सर्वेक्षण पर आने वाली लागत एक चौथाई रह जायेगी और वह भी विदेशी ठेके के अन्तर्गत ; और

(ग) क्या उक्त उपकरणों को विकसित करने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों को किसी प्रकार पुरस्कृत किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एन० जी० आर० आई०), हैदराबाद के विमान के भू-भौतिकी सर्वेक्षण करने के लिये एक प्रोटोन (प्रिसीजन) मैग्नेटोमीटर और एक रूबिडियम वैपर मैग्नेटोमीटर उपकरण का विकास किया है । उक्त संस्थान ने हाल ही में एक वायुवाहित विद्युत चुम्बकीय प्रभावों पर आधारित स्पंदन खोज प्रणाली का विकास किया है जिसके उड़ान सम्बन्धी परीक्षणों की प्रतीक्षा की जा रही है । इनको एक-साथ मिलाकर वायुवाहित भू-भौतिकी सर्वेक्षण करने के उपकरणों का पूर्ण सेट तैयार हो जायेगा ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्रयोगशाला द्वारा उनके योगदान के महत्व को ध्यान में रखा जायेगा ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में संचार के विकास हेतु परिव्यय

4021. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन मुख्य परियोजनाओं को शामिल करने का विचार है ; और

(ख) उसके लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) संचार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिव्यय 1392 करोड़ रुपये है ।

विवरण

संचार के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख योजनाओं की सूची ।

क. दूरसंचार :

(एक) लम्बी दूरी के लिए स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार ।

(दो) दूरवर्ती स्विचन तथा पारेषण प्रणालियों और मल्टिप्लेक्सिंग उपस्करों का विस्तार ।

(तीन) पहाड़ी, पिछड़े और । या दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक टेलीफोन काल आफिस और संयुक्त कार्यालय खोलना ।

(चार) अतिरिक्त क्षमता के साथ और अधिक एक्सचेंजों की स्थापना द्वारा टेलीप्रिंटर और जेनेटेक्स (सामान्य टेलीप्रिंटर एक्सचेंज) का विकास ।

(पांच) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर (जम्मू व कश्मीर एकक सहित), नैनी पारेषण कारखाने और नैनी टेलीफोन उपकरण कारखाने का विस्तार तथा आधुनिकीकरण आदि ।

(छः) राय बरेली में दूसरे टेलीफोन स्विचन कारखाने की स्थापना ।

(सात) स्विचन उपस्कर के तीसरे कारखाने और विशेष अभिप्राय हेतु इलक्ट्रोनिक मापक तथा परीक्षण उपकरण के कारखाने की स्थापना ।

(आठ) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास का विस्तार तथा आधुनिकीकरण ।

(नौ) देहरादून के निकट दूसरे उपग्रह भू-केन्द्र का निर्माण पूरा करना ।

(दश) पूर्वी क्षेत्र में तीसरे भू-केन्द्र की स्थापना ।

ख डाक सुविधाएं :

(ग्यारह) नये डाकघर खोलना और डाक-सेवाओं का मशीनीकरण तथा आधुनिकीकरण ।

(बारह) केन्द्रीय डाक अनुसंधान तथा विकास केन्दों व प्रादेशिक कारखानों की

स्थापना डाक मोटर सेवा तथा रेल डाक सेवा गाड़ियों आदि का विस्तार ।

संयुक्त क्षेत्र में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों का अनुपात

4022. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के शेयरों के अनुपात के बारे में निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह अनुपात क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 2 फरवरी 1973 को जारी किये गये प्रेस नोट में जिसमें सरकार ने औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त क्षेत्र सम्बन्धी नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 से ली गई है तथा इसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति को संकेन्द्रण का कम करना है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी सहभागिता के जरिये संयुक्त क्षेत्र के एककों का निर्माण एक साधन के रूप में है जिसका सहारा विशिष्ट मामलों में योजना के उत्पादन लक्ष्यों को ध्यान रख कर लिया जा सकता है। इस प्रकार के संयुक्त क्षेत्र के एकक स्थापित करने सम्बन्धी प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

जहां पर राज्य सरकारें नये और मझौले उद्यमियों के साथ सहभागिता के आधार पर प्रवेश करेंगी, ऐसे मामलों में उदाहरण के लिये संयुक्त क्षेत्र विकासशील साधन के रूप में कार्य करेगा। राज्य नियमों को निर्देश जारी कर दिए गये हैं कि वे उनके द्वारा शुरु किए जाने वाले औद्योगिक उपक्रमों में अंश पूंजी में हिस्सा बटाने के लिये सरकारी वित्तीय संस्थाओं को आमन्त्रित कर सकते हैं और यदि निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं के कुल शेयर 50% से अधिक हों तो उसके शेष शेयर गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार की वितीय संस्थायें अंशपूंजी में भाग नहीं लेती वहां गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन इस शर्त पर किया जायेगा कि निगम का कुल चुकता इक्विटी पूंजी में 26% से कम हिस्सा नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी की गैर-सरकारी व्यक्तिगत उद्यमी या व्यावसायिक दल के इक्विटी पूंजी में 25% से अधिक अंश नहीं होने चाहिये।

संयुक्त क्षेत्र के सभी विभिन्न प्रकार के एककों के लिये सरकार द्वारा मार्गदर्शी नीतियां अपनाने, प्रबन्ध और संचालन तथा प्रत्येक मामले में उपयुक्त प्रणाली तथा तरीके का निर्धारित्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका का सुनिश्चय करेगी।

लोक सभा में दिनांक 21 मार्च, 1973 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित उद्योगों की सूची

1 धातु की चद्दरें, बाल्टियां, सन्दूकें, पानी के हौज, कूड़ेदानियां, तथा अस्पताल के साधारण और अन्य फर्नीचर।

2 लोहे की सीलें, पैनल पिनें और लकड़ी के पेंच।

3 निर्माण का लोहे का सामान, भवन में लगने वाले अल्यूमीनियम का सामान।

4 कांटेदार तार।

5 अल्यूमिनियम के बर्तन।

6 लेमीनेटेड स्प्रिंग, तथा कोयल स्प्रिंग ।

7 नहाने का साबुन ।

8 खोपड़े की गरी का घुलनशील सत, धान की भूसी, तथा तेल परिस्करण एकक ।

9 रंग और वार्निश ।

10 भेषन्नीय वस्तुएं ।

11 कीटनाशी वस्तुएं ।

12 बूट पालिश ।

13 ढले प्लास्टिक के सामान ।

14 माचिस ।

15 लकड़ी का फर्नीचर ।

16 लकड़ी के पैंकिग केसस ।

17 काजू-सेब से बने पेटी ।

18 फल परिक्षण तथा मुरब्बे ।

19 हल्के पेय ।

20 बेकरी और कान्फेक्शनरी ।

21 दुग्ध और दुग्ध उत्पाद ।

22 पशु और मुर्गीखाद्य ।

23 मोटर गाड़ियों को बैटरियों का रिकन्डीशनिंग ।

24 टायर रिट्रेडिंग ।

25 होजरी-सूती और नायलोन ।

26 बने बनाए कपड़े ।

27 घरेलू बिजली का सामान ।

28 कागज के उत्पाद ।

29 पी० बी० सी० केबल ।

30 जूते के बन्द और सूती टेप ।

31 ब्रिटिल कोयर फाइबर ।

32 रबर का कोयर ।

33 नीलिल्ड कायरपेड ।

34 कोयर के ब्रश ।

Expenditure Incurred by Government on Newspapers and Journals

4023. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the publication of newspapers and journals during 1972-73 ;

(b) the names of the newspapers and the journals being published by Government ; and

(c) whether Government propose to publish any paper in simple Hindi containing news on all main subjects ?

The Deputy Minister in the Ministry of information and Broadcasting (Shri Dharambir Sinha) : (a) The estimated expenditure on publication in respect of journals brought out by the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting during 1972-73 is Rs. 14 lakhs. No newspaper is brought out by the Division.

(b) A statement of the above-mentioned journals is attached.

(c) No, Sir.

Statement

S. No.	Title of the journal	Language	Periodicity	Sponsoring Ministry
1.	Ajkal	Hindi	Monthly	Ministry of I and B
2.	Bal Bharati	Hindi	Monthly	Ministry of I and B
3.	Kurukshetra	Hindi	Monthly	Deptt, of Community Development and Cooperation (Ministry of Agriculture)
4.	Ajkal	Urdu	Monthly	Ministry of I and B
5.	Yojana	Hindi English Bengali Assamese Tamil Marathi* Malayalam*	Fortnightly	Planning Commission
	(*Marathi and Maiayalam editions were started in July-August 1972)			
6.	Kurukshetra	English	Fortnightly	Deptt. of Community Development and Cooperation (Ministry of Agriculture)

1	2	3	4	5
7.	Indian and Foreign Review	English	Fortnightly	Ministry of External Affairs
8.	Bhagirath	English	Quarterly	Ministry of Irrigation and Power

Development of Barmer (Rajasthan)

4024. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has aprroved a scheme for the development of Barmer (Rajasthan) involving an expenditure of Rs. Seven crore ; and

(b) if so, the outlines thereof and the time by which it will be implemented as also the date from which the work on this scheme will start ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) The Government of Rajasthan had submitted to the Ministry of Agriculture a project for integrated cattle and dairy development programme in Barmer district on the basis of the availability of resources. After discussion with the State Government, it has been agreed that the programme should be made a part of the drought prone area programme of Barmer district to be taken up under the Fifth Plan and that, during 1973-74, some elected items costing Rs. 98.54 lakhs may be taken up for implementation. The items to be covered during 1973-74 are survey and exploratory boring, establishment of milk chilling centres and organisation of milk producers' cooperative societies, development of fodder tubewells and setting up of a fodder bank.

Termination of Services of Government Employees

4025. **Shri M. C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the work of a Government employee is checked everyday and he has to dispose of a fixed quantum of work ;

(b) whether the services of an employee found to be inefficient are terminated ; and

(c) if so, the uumber of employees whose services were terminated during 1970, 1971 and 1972 separately on the ground mentioned above ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) There is no system in vogue under which the work of all categories of Central Government employees belonging to Class I, Class II Class III and Class IV is subjected to a check everyday, No such system can also be evolved except in regard to repetitive jobs. The staff strength for various Offices is sanctioned on the basis of the work-load including the type of work required to be done. So far as repetitive, ministerial/routine jobs are concerned, certain norms have also been prescribed for assessing the work-load. After the requisite staff has been sanctioned and the personnel placed in position, it is the duty of the supervisory officers concerned to ensure that the allotted work is done efficiently and expeditiously.

(b) and (c) whenever the work of an employee is found to be unsatisfactory, his superior officers are expected to give him the necessary advice, guidance and assistance to correct his faults and deficiencies. If the employee concerned does not show any

improvement in spite of the advice, guidance and assistance given to him and, if there are no extenuating circumstances, the supervisory office- is expected to take appropriate action against the employee, including disciplinary action under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. As the action in this regard is taken by the competent authorities in the Ministries/Departments/Offices/Establishments spread all over the country, the information regarding the number of persons removed or dismissed only on the ground of inefficiency in respect of all the Offices establishments of the Government of India is not readily available at one place.

विज्ञान के बारे में राष्ट्रीय नीति

4026. **श्री जो० वाई० कृष्णन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विज्ञान के बारे में एक ऐसी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो देश की विदेशी रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी नीतियों से सम्बद्ध हो ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही एक स्पष्ट वैज्ञानिक नीति अपनाई है जो वैज्ञानिक नीति संकल्प, 1958 में सम्मिलित है। वैज्ञानिक नीति को सामाजिक-अर्थ आवश्यकताओं से सम्बद्ध करने की दृष्टि से पांचवी पंचवर्षीय योजना के अभिन्न अंग स्वरूप एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना का निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस योजना में अर्थ-व्यवस्था के सभी मुख्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इस आयोजना में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्थापनाओं/प्रायोजनाओं के ब्यौरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाए जा रहे हैं।

Hindi Stenographers in Government Office

4027. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the offices of Central Government are provided with Hindi Stenogaphers ; and

(b) if not, the time by which this facility is likely to be provided in all the offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personrel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) According to the existing instructions. posts of Hindi Stenographers as such are not created in the Central Secretariat. With effect from 1971, a candidate appearing in the examination for the Central Secretariat Stenographers Service can answer paper on General Knowledge in Hindi and can also take the shorthand test in Hindi. Stenograpers who come through the medium of English are trained in Hindi Stenography and those coming through Hindi medium are trained in English Stenography. Till July 1972, 3133 Stenographers have received training

in Hindi Stenography. The remaining Stenographers who have come through English medium will also be trained in Hindi Stenography.

Steps are taken to appoint Stenographers in Hindi wherever they are required.

आकाशवाणी के चौकीदारों के काम के घण्टे तथा विशिष्ट कर्तव्य

4028. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना और** प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आकाशवाणी में चौकीदारों के काम के घण्टे तथा विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या उनके काम के घण्टे वही है जो मन्त्री मन्डल सचिवालय के दिनांक 13-12-71 के ज्ञापन संख्या 14/11/71-एस्टेब्लीशमेंट (सी) में निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) क्या उनके द्वारा जो अतिरिक्त घण्टे काम किया जाता है आकाशवाशी द्वारा उसका मुआवजा उनको दिया जाता है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के विभिन्न कार्यालयों में चौकीदारों के काम करने के घटे केन्द्र की आवश्यकताओं तथा कार्य के अनुसार प्रतिदिन 8 से लेकर 12 तक है । चौकीदारों का कार्य भवन तथा अन्य सम्पत्ति की चौकीदारी करना है ।

(ख) सभी मामलों में नहीं ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

आकाशवाणी के अधीनस्थ कर्मचारियों में असन्तोष

4029. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आकाशवाणी के अधीनस्थ कर्मचारियों, विशेषकर अनुसचिवीय कर्मचारियों (हैड क्लर्कों/एकाउंटैंटों और अन्य) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, मोटर ड्राइवरों और कम वेतन वाले अन्य कर्मचारियों में बढ़ रहे असन्तोष के बारे में पता है ;

(ख) क्या उक्त स्टाफ एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने 15 फरवरी, 1973 को सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री से भेंट की थी और उनसे सेवा की शर्तें विशेषकर पदोन्नति, वेतनमानों आदि के पुनरीक्षण के बारे में सुधार करने का अनुरोध, किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : क) से (ग) अनुसचिवीय कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा मोटर ड्राइवर एसोशियेशन की संयुक्त कार्रवाई परिषद

के प्रतिनिधि अपनी विभिन्न भागों के सम्बन्ध में 15-2-1973 तथा 2-3-1973 को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से मिले थे। कर्मचारियों की एसोसियेशनों ने इन बैठकों में जो मांगें रखी थी वे विभिन्न मन्त्रालयों के परामर्श से विचाराधीन हैं।

संगणकों का निर्माण

4030. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश में ही संगणकों का निर्माण करने के लिए सरकार का कार्यक्रम है ; और

(ख) गत छः महीनों में सरकार ने कितने नये संगणक लगाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कम्प्यूटरों के क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करते हुये, कम से कम समय में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के विचार से इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (इजिल) हैदराबाद द्वारा कार्य कर्म की परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र) लघु तथा मध्यम साइज के कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये (टी० डी० सी० 12, टी डी० सी० 16, टी० डी० सी० 32) मई, 1971 में इलैक्ट्रानिक्स कमीशन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस कार्यक्रम में उपयुक्त प्रणाली के लिये हार्ड वेयर तथा साफ्टवेयर का विकास भी सम्मिलित है, इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डिया मैन्यूफैक्चर लिमिटेड (इजिल) द्वारा आई० सी० एल० 1901-ए कम्प्यूटरों के स्वदेशी निर्माण हेतु आई० सी० एल० (इंडिया) के पास वर्तमान में एक कार्यक्रम है, बैल के इन यूनिटों के केन्द्रीय प्रोसेसर्स यूनिटों को उत्पादन हेतु उप ठेका दिया गया है। इन के अतिरिक्त दो कार्यक्रमों, कम्प्यूटर परिधी की पगात हेतु उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने, अन्य प्रणालियों जैसे मैमोरीज इत्यादी पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। और स्वदेशी कम्प्यूटर कार्यक्रमों के लिये कम्प्यूटरों की आवश्यकता है। वर्तमान में, लघु कम्प्यूटरों पर इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा एक पैनल की सिफारिशों के आधार पर लघु कम्प्यूटरों का निर्माण तथा विकास आरम्भ किया जायेगा जो स्वदेशी डिजाइन के लिये एक कार्यक्रम है।

(ख) पिछले छः महीनों में केन्द्रीय सरकार के संगठनों में दो टी० डी० सी० 12 कम्प्यूटरों को संस्थापित किया गया है।

राज्यों में जन शक्ति तथा रोजगार सैल

4031. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को जन-शक्ति तथा रोजगार सैल स्थापित करने का सुझाव दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के संदर्भ में उक्त सुझाव सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्य आयोजन तंत्र के अंश के रूप में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनशक्ति तथा रोजगार एकक स्थापित करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

केरल फिलाटिलिक क्लब, तेल्लीचेरी, केरल से टिकटों के नष्ट होने के बारे में ज्ञापन

4032. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को केरल फिलाटिलिक क्लब, तेल्लीचेरी, केरल से 1971 में तेल्लीचेरी में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उनकी टिकटों की कलैक्शन के पूर्णतया नष्ट हो जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है : और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केरल फिलाटिलिक क्लब के सचिव श्री पी० एम० अब्दुल्ला ने एक ज्ञापन दिसम्बर 1971 में तेल्लीचेरी में दंगों के दौरान एक टिकट संग्रह की हानि के लिए मुआवजा देने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 4025 दिनांक 26, 1972 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की जांच पड़ताल की गई है और श्री पी० एन० अब्दुल्ला को 5000/- रुपये की सहायता दी गई।

आकाशवाणी का विकेन्द्रीकरण

4033. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के विकेन्द्रीकरण के लिए कुछ उपाय करने का है ;

(ख) क्या यह विकेन्द्रीकरण चन्दा समिति की सिफारिशों के अनुसार होगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसरण मन्त्रलाय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि हम विकेन्द्रीकरण की दिशा में जा चुके हैं, हम क्षेत्रीय पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

(ग) विवरण विचाराधीन हैं।

Industries functioning in M. P.

4034. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of small, medium and big industries in Madhya Pradesh indicating the items manufactured by each of them and the details of imported raw material allocated to them industry-wise during the last three years ;

(b) the total amount of capital invested in these industries and the total mumber of employees working therein ;

(c) the value of goods manufactured by them during the last three years ; and

(d) the number of industries out of them which have their headquarters in Madhya Pradesh and the number of those whose Headquarters are located outside the State ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) The number of small, medium and big scale Industries set up in the last three years is as follows :—

Small Scale

Year	No. of units registered	Capital Investment Rs. in lakhs
1968-69	1213	465.667
1969-70	1251	555.677
1970-71	1193	707.125
1971-72	1271	996.225

Medium Scale

Year	No. of units	Capital Investment Rs. in lakhs
19 8-69	1	20.50
1969-70	1	26.00
1970-71	1	8.01
1971-72	1	20.00

Large Scale

Year	No. of units	Capital Investment Rs. in lakhs
1968-69	3	2832.37
1969-70	1	111.00
1970-71	1	525.00
1971-72	1	245.00
1972-73	2	1250.00

Information regarding the items manufactured by them and the value of goods mauafactured is not readily available.

Similarly, information about imported raw material allocation and the number of employees industrywise is not readily available.

(d) Information regarding location of headpuarters is also not readily available.

Opening of Post Offices in Madhya Pradesh

*4035. **Shri G. C. Dixit**: will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending for decision by Government for opening of (i) Post Offices in rural areas, (ii) small Post Offices and (iii) Public Call Offices in Madhya Pradesh, District-wise ; and

(b) the number of Post Offices District-wise working on experimental basis in Madhya Pradesh at present ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Number of applications pending for decision by Government in Madhya Pradesh, District-wise, for opening of [*Placed in Library. see* L. T, No 4551/73]

(b) Number of Post Offices working on experimental basis in Madhya Pradesh, District-wise, at present :—[*Placed in Library. see* L. T. No 4551/73]

चण्डीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का दावा

4036. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों में चण्डीगढ़ के निर्माण के कुल पूंजीगत व्यय में सात प्रतिशत का योगदान दिया था सरकार को चण्डीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश के दावे के बारे में पता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री श्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के चण्डीगढ़ के लिए 7 प्रतिशत दावे पर 1969 में विचार किया गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि उनके बारे में कोई विशिष्टता नहीं पाई गई है ।

हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन देना

4037. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1972 के अन्त तक हिमाचल प्रदेश से जिला-वार स्वतन्त्रता सैनानियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितनों ने कांग्रेस तथा अन्य दलों के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था और कितने भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के व्यक्ति हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों के लिए पेंशन मंजूर की गई है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(घ) उनमें से कितने क्रमशः 60 और 70 वर्ष की आयु पार कर गये हैं और क्या स्वतन्त्रता सनानियों के बुढ़ापे को देखते हुए ऐसे मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ङ) शेष स्वतन्त्रता सैनानियों के मामले को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1972 के अन्त तक 982 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिलावार सूचना अनुलग्नक I में दी जाती है।

(ख) 982 स्वतन्त्रता सैनानियों में से 390 ने स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया और 592 आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारी हैं ;

(ग) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक II में दी जाती है ;

(घ) 982 में से 2 6 और 60 क्रमशः 60 वर्ष और 70 वर्ष की आयु पार कर गये हैं :

आवेदन-पत्रों पर क्रमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जो आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख के अनुसार है। आपवादिक मामलों में, बिना पारी के विचार किया जाता है, जहाँ स्वतन्त्रता सैनानी बहुत वृद्ध है (पहली प्राथमिकता 80 वर्ष से ऊपर) अथवा जो बीमार है और जिसे तुरन्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

(ङ) सभी आवेदनपत्रों की परीक्षा 14-8-1973 तक जयंती वर्ष के दौरान पूरी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, और पात्र समझे गये अधिक से अधिक मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

विवरण I

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	बिलासपुर	88
2.	चम्बा	18
3.	कांगड़ा	652
4.	कूलू	10
5.	महासू	18

1	2	3
6.	मंडी	116
7.	शिमला	47
8.	सिरमूर	19
9.	उना	14
	जोड़	982

विवरण II

हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची जिनके मामले पैंशन के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

1. श्री एन० एल० वर्मा
2. श्री सीता राम
3. श्री सत्या प्रकाश
4. श्री सोहन सिंह
5. श्री हसन लाल डैंग
6. श्री ईश्वर दास
7. श्री ज्ञान चन्द
8. श्री ओम प्रकाश
9. श्रीमती ज्ञान देवी
10. श्री अमीर चन्द
11. श्री मुन्शी राम
12. श्री बद्री नाथ
13. श्री गोविन्द राम और जै लाल
14. श्री जगत सिंह
15. श्री खुशाल सिंह
16. श्री दौलत राम
17. श्री देवी सिंह चौधरी
18. श्री तुलसी राम
19. श्री केसर मल
20. श्री अमर चन्द

21. श्री शिव सिंह
22. श्री मंशा राम
23. श्री नाथु राम शेरदिल
24. श्री शंकर दास
25. श्री कृष्णा नन्द स्वामी
26. श्री गरजा राम
27. श्री बेली राम
28. श्री जीवा नन्द
29. श्री शेर सिंह
30. श्री हरी सिंह
31. श्री गोपाल सिंह
32. श्री राम लाल
33. श्री परमा
34. श्री प्रभा सिंह
35. श्री गोविन्द राम
36. श्री खजान राम
37. श्रीमती जिन्दी देवी
38. श्रीमती शिव देवी
39. श्री तेग सिंह
40. श्री राम सिंह
41. श्री दुर्गा सिंह
42. श्री शिव राम
43. श्रीमती नारायण देवी
44. श्री लक्ष्मी राम
45. श्री रामा
46. श्री तुलसी राम
47. श्री मुन्शी राम
48. श्री बौहरा
49. सिकरू

50. श्री ठाकुर वरयाम सिंह

51. श्री तीर्थ राम

52. श्री लक्षमण दास

53. श्री अन्नत राम

54. श्री हंस राज

जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में जिला मुख्यालय और उनमें मुख्य डाकघर, विभागीय तारघर आदि

4038. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिला मुख्यालयों में (1) मुख्य डाकघर (2) विभागीय तारघर (3) रात्रि डाकघर (4) टेलीफोन एक्सचेंज और (5) टेलिप्रिंटर सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) उक्त राज्यों में किन किन जिला मुख्यालयों में इन सुविधाओं में से एक अथवा अधिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इन जिला मुख्यालयों में से सुविधायें करने को प्राथमिकता दी जाएगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मुख्य डाकघर, रात्रि डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंजों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है। अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य का नाम	वे जिले जहां मुख्यालय में मुख्य डाकघर रात्रिडाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज हैं			वे जिले जहां मुख्यालय में कोई मुख्य डाक घर रात्रि डाकघर । टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं ।		
	मुख्य डाकघर	रात्रि डाकघर	टेलीफोन एक्सचेंज	मुख्य डाकघर	रात्रि डाकघर	टेलीफोन एक्सचेंज
1	(क)	2 (ख)	(ग)	(क)	3 (ख)	(ग)
1. जम्मू व कश्मीर	अनन्तनाग	श्रीनगर	अनन्तनाग	लद्दाख	कालम (2) में (ख) जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिले	कोई नहीं
	श्रीनगर	जम्मू	बारामूला	डोडा		
	बारामूला		डोडा		राजौरी	
	ऊधमपुर		जम्मू		पुंछ	
	जम्मू		कठुआ			
	कठुआ		लेह			
			पुंछ			
			राजौरी			
			श्रीनगर			
			उधमपुर			

1	2	3	4	5	6	7
2. पंजाब	गुरदासपुर	अमृतसर	अमृतसर	फरीदकोट	कालम (2) में (ख) जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिले	कोई नहीं
	अमृतसर	जालंधर	भटिंडा			
	रोपड़	लुधियाना	फरीदकोट			
	फिरोजपुर	पटियाला	फिरोजपुर			
	लुधियाना		गुरदासपुर			
	जालंधर		होशियारपुर			
	पटियाला		जालंधर			
	कपूरथला		कपूरथला			
	होशियारपुर		लुधियाना			
	संगरूर		पटियाला			
			रोपड़			
	भटिंडा		संगरूर			
3. हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला	अम्बाला	मोहिंद्रगढ़	कालम (2) में (ख) जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिले	कोई नहीं
	करनाल	रोहतक	भिवानी			
	रोहतक	यमुनानगर	गुड़गांव			
	गुड़गांव		हिसार			
	हिसार		जींद			
	जींद		करनाल			
	सोनीपत		कुरुक्षेत्र			

1	2	3	4	5	6
	कुरुक्षेत्र		नारनौल (मोहिन्द्रगढ़)		
			रोहतक		
			सोनीपत		
4. हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	शिमला	बिलासपुर	लाहोल ग्रौर स्पीति	कालम (2) में (ख) जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिले
	सोलन		चम्बा	सिरमौर	कीलोंग
	शिमला		धर्मशाला (कांगड़ा जिला)	किन्नौर	कालपी
	कांगड़ा		हमीरपुर	चम्बा	
	मंडी		कुलू		
	कुलू		मंडी		
	ऊना		नहान (सिरमौर जिला)		
	हमीरपुर		शिमला		
			सोलन		
			ऊना		

(ग) जहां तक मुख्य डाकघरों का सम्बन्ध है, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक मुख्य डाकघर इस शर्त पर खोला जाता है कि उस मुख्य डाकघर के अधीन कम से कम 20 उप डाकघर रखे जा सकते हों। पिछड़े जिले के बारे में एक विशेष मामले के तौर पर इन मानदंडों में ढील बरती जाती है। इसलिए भविष्य में उल्लिखित जिलों के लिए मुख्य डाकघरों की मंजूरी देना सम्भव न हो सकेगा।

जहां तक रात्रि डाकघरों का प्रश्न है, भविष्य में जिला मुख्यालयों में रात्रि डाकघर खोलने के लिए कोई प्राथमिकता देने का विचार नहीं है। विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार ऐसे डाकघर यातायात के परिमाण, डाक के आवागमन के लिए उपलब्ध जरिये और दूसरे विचारणीय तथ्यों के आधार पर खोले जाते हैं। यह नीति आगे भी लागू रहेगी।

कीलोंग और काल्पा में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हिंसा तथा आन्दोलनों के कारण डाकघरों, कम्बाइन्ड आफिसिस, सार्वजनिक टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को क्षति

4039. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में और फरवरी 1973 तक हिंसा और सार्वजनिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप किन-किन स्थानों पर (जिला तथा राज्य बढ़ाते हुए) डाकघरों कम्बाइन्ड आफिसिस, सार्वजनिक, टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को क्षति पहुंची है; और

(ख) इन कारणों से सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति के परिणामस्वरूप विभाग को हुई हानि का अनुमान क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद में हिन्दुस्तान केबल्स लि० का विस्तार

4040. **श्री समर गुह** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प० बंगाल में रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लि० के सी० एक्स केबल्स संयंत्र का विस्तार रोक देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या नया विस्तार संयंत्र रूपनारायणपुर की बजाय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने रूपनारायणपुर फैक्ट्री की परियोजना संख्या 8 के लिए खरीदी गई कुछ मशीनों को हैदराबाद स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) रूपनारायणपुर की विद्यमान क्षमता के अतिरिक्त सरकार का विचार हैदराबाद में कोक्सिअल केबल के 2000 ट्यूब किलो मीटर बनाने हेतु अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का है । इस निर्णय से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में डाक और तार विभाग की आवश्यकताओं के लिए इस किस्म के केबल मिलने सुलभ हो जायेंगे मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) प्रोजेक्ट नम्बर 9 (ड्राई कोर केबल की क्षमता के विस्तार हेतु) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, राची से एक देय एक केबल माँगा गया (वहां बनने वाले ड्राई कोर केबल में काम आने वाली शीपिंग पद्धति में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से) रूपनारायण के लिए बेकार सीमित पाया गया उसे हैदराबाद भेजने का विचार था । रूपनारायणपुर में अधिष्ठापित कोई मशीनरी स्थानान्तरित नहीं की गई है ।

हिन्दुस्तान केबल्स लि० रूपनारायणपुर के लिए मशीनों का खरीदा जाना

4041. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प० बंगाल में रूपनारायणपुर में हिन्दुस्तान केबल्स लि० के लिए मैसर्स कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स से कुछ मशीनें खरीदी थी यदि हां, तो मशीनें खरीदने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था;

(ख) क्या कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स से खरीदी गई मशीनें खराब थीं और काम आने वाली नही थी और उनको बदलना पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स से खराब मशीनों की खरीद के बारे मे जांच करवाने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणब कुमार) : (क) जी हां । भुगतान की गई धनराशि की जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) चूंकि मैसर्स कुमार धुवि द्वारा दी गई मशीनें चलने में सन्तोषप्रद नहीं पाई गई कम्पनी को क्षमता बढ़ाने हेतु और मशीनें प्राप्त करनी पड़ी ।

(ग) और (घ) देश में पहले पहल ये मशीनें बनाई गई थीं । इस प्रकार के संयंत्रों और मशीनों के देश में प्रारम्भिक निर्णय में आने वाली कठिनाइयों के कारण ये मशीनें दोषयुक्त रह गई

और चलने में संतोषजनक नहीं सिद्ध हुई। चूंकि देश ही में बनाने की योग्यता के उद्देश्य से इन मशीनों के लिये क्रियादेश दिये गए थे सरकार इनके खरीदने के विषय में कोई जांच कराना आवश्यक नहीं समझती ।

हिन्दुस्तान केबल्स लि० को हुई हानि

1042. **श्री समर गुह : औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लि० लाभ अर्जित कर रहा था परन्तु गत दो वर्षों से हानि हो रही है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स में प्रत्याशित उत्पादन न होने का एक कारण कच्चे माल की विशेष कर तांबे की तार की कमी का कारण है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान केबल्स के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कम्पनी के इतिहास में 1971-72 में पहली बार 1 80 लाख रु० का घाटा हुआ है। इस उपक्रम में वित्तीय हानि श्रमिक अशान्ति तथा अनेक यूनियनों के कारण हुई है।

(ख) यह सच है कि एकक द्वारा अपेक्षित तांबे के तारों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इस एकक के अनुकूलतम उत्पादन पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ग) कम्पनी ने कुछ ऐसे अभ्युपाय किए हैं ताकि इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृति न होने पाये ।

हेमन्त कुमार बोस की हत्या के बारे में जांच

4043. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के निकट के सहयोगी हेमन्त कुमार बोस की हत्या की जाँच करने के बारे में प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन भेजे गये हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हेमन्त कुमार बोस की हत्या के षडयंत्र का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगना हाल ही में स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वर्ष 1971 के दौरान कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2321 दिनांक 16 जून 1971 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) से (घ) : तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आय के विकास की दर आदि के लक्ष्य प्राप्त करने में

पहली योजनाओं की असफलता

4044. **श्री समर गुह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना और चौथी योजना अब तक राष्ट्रीय आय के विकास की दर तथा जनसंख्या में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी असफलताओं के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में हुई असफलताओं को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में 5.5 प्रतिशत विकास दर तथा जनसंख्या में कमी के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय क्या मुख्य बातें ध्यान में रखी गई हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जैसा कि पांचवी पचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज के 'गरीबी दूर करना' नामक अध्याय में बताया गया है, योजना में परिकल्पित ऊंची विकास दरों की अपेक्षा प्रथम दर्शक (1951-60) में केवल 3.8 प्रतिशत की विकास-दर तथा 1961 से 70 तक के दूसरे दशक में केवल 3.7 प्रतिशत की विश्वास दर प्राप्त की गई। जाहिर ही है कि जनसंख्या वृद्धि की अधिक दर की अपेक्षा अर्थ व्यवस्था के विकास की ये दरें जीवन निर्वाह में आवश्यक सुधार नहीं ला सकीं।

(ख) और (ग) जनसंख्या के दोनों घटकों—बढ़ती हुई विकास दर तथा गिरती हुई विकास दर का संक्षिप्त मूल्यांकन पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज के 4 से 6 तक के अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) मुख्य बातें दृष्टिकोण दस्तावेज के अध्याय 6 में उल्लिखित हैं।

मध्य प्रदेश के सिंघी जिले में डाकघर खोलना

4045. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में सिंघी जिले में 1971-72 में कितने डाकघर खोले गए;

(ख) 1972-73 में कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ग) 1973-74 में कितने नए डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) कोई नहीं ।

(ख) एक ।

(ग) सात ।

लाइसेंसों के लिए विन्ध्य प्रदेश से आवेदन पत्र

4046. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1972 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ख) प्राप्त आवेदन पत्र किन प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए दिए गए थे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 1972 में मध्यप्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए 47 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । राज्य के बिभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(ख) ये आवेदन पत्र मुख्य रूप से बियर, इस्पाती तार, अल्युमिनियम प्रोवरस्ट्री छड़ों, बनस्पति घी, अल्युमिनियम की सिलों, मैदा, आटा और भूसी, द्विधातुक पट्टियों, आक्सीजन तथा एसीटिलीन, रद्दी ऊन के धागे, कोयला, रद्दी के धागों आदि के निर्माण के सम्बन्ध में हैं ।

छोटी फीचर फिल्मों के लिए सरकारी सहायता

4047. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र छोटे फीचर फिल्मों के लिए कोई सहायता देता है ;

(ख) क्या दक्षिण भारतीय फिल्में अनावश्यक रूप से लम्बी होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र में फिल्म उद्योग को दक्षिण भारतीय फिल्मों की लम्बाई कम करने की सलाह दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(क) दक्षिण भारतीय भाषाओं में निर्मित फीचर फिल्में बम्बई और कलकत्ता में निर्मित फिल्मों की अपेक्षा आम तौर पर लम्बी होती हैं । यह सम्भवतया दर्शकों की रूचि के अनुरूप हो । कभी-कभी बम्बई में भी लम्बी फिल्में बनाई जाती हैं, उदाहरण के तौर पर "संगम", "मेरा नाम जोकर," किन्तु इस प्रकार की फिल्में बहुत ही कम हैं ।

(ग) जी नहीं ।

पांचवीं योजना के दौरान लघु उद्योगों के लिए राशियों का नियतन

4048. **श्री वेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार, कितनी राशियों का नियतन किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जिआउर्रहमान अ सारी) : चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है। इसलिए इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए नियत की जाने वाली राज्य-वार राशि कितनी होगी ।

स्थानीय शिकायत एकक (198) का कार्यकरण

4049. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग का स्थानीय शिकायत एकक (198) उनके पास दर्ज की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करता और जब शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ की जाती है तो उनसे बहुत अभद्रतापूर्ण उत्तर प्राप्त होता है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 198 पर जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। इस बारे में जब पूछ ताछ की जाती है तो शिकायतों पर की गई कार्रवाई की सूचना भी दी जाती है ।

(ख) यदि किसी खास आपरेटर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के बारे में रिपोर्ट की जाती है तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध तुरन्त विभागीय कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली के 80 प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन दोषपूर्ण

4050. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में लगाए गए 80 प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन ठीक से काम नहीं करते ;

(ख) दिल्ली में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं ; और

(ग) प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन एक महिने में कितने दिन ठीक काम करता है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) यह देखाने के लिए कि वे अच्छी हालत में काम कर रहे हैं दिल्ली में स्थापित सार्वजनिक टेलीफोनघरों की हर रोज जांच की जाती है। यदि किसी पी० सी० ओ० में खराबी पायी जाती है तो उसे दूर करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। औसतन हर महीने प्रति 100 पी० सी० ओ० पर खराबियों के 60 मौके होते हैं।

(ख) दिल्ली में तारीख 1-1-1973 को पी० सी० ओ० की कुल संख्या 1696 थी :

(ग) लगभग सभी पी० सी० ओ० सारे महिने काम करते हैं। चूंकि सभी पी० सी० ओ० की लगातार जांच की जाती है, इसलिए सामान्यतया दोष कायम नहीं रहते।

आकाशवाणी के रांची केन्द्र के लिए समाचार यूनिट

4051. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के रांची केन्द्र के लिए समाचार यूनिट आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो समाचार यूनिट कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) रांची में एक समाचार एकक स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर विभिन्न प्राधिकारियों/मन्त्रालयों के परामर्श से विचार किया जाना है, अतएव, वर्तमान अवस्था में ठीक-ठीक यह बताना कि एकक कब तक स्थापित हो जायेगा, सम्भव नहीं है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का कथित दुरुपयोग

4052. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन की धनराशि के उपयोग के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच के बारे में 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जांच अधिकारियों द्वारा शिकायतों के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के जनरल मैनेजर तथा समाचार पत्रों के द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर उसके भवन के निर्माणार्थ लगाए गए ठेकेदारों एवं आरकीटेक्टों के विरुद्ध आरोप कम्पनी कार्य विभाग द्वारा की गई जांच के पश्चात् सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cases of Murders in the Country

4053. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of murder incidents in the country during 30th June, 1972 to-date State-wise ?

The Deputy Minister in the Min:stry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : A statement showing the information available from the various State Governments/Union Territories upto the quarter ending 31.22.1972 is attached. [*Placed in the library. See* L. T. No. 4547/73] Information beyond 31.12.1972 is not available yet.

सिलेक्शन ग्रेड के लिये चयन सूची

4054. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप-सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची के बारे में 10 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची वर्ष में कम से कम एक बार बनाई जाती है और क्या प्रतिवर्ष 1 जुलाई को अधिकारियों की संख्या के आधार पर ही चयन सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित की जाती है ;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में चयन सूची की पुनरीक्षण तिथि (1 जुलाई) तथा प्रकाशन तिथि में 8 से 10 महीनों का अन्तर रहा है और क्या अब भी सरकार का यह विचार है कि परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चयन सूची की पुनरीक्षण तिथि के तीन या चार माह के भीतर ऐसी सूचियों के प्रकाशन के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का है ; और

(घ) 1972 की चयन सूची बिना किसी विलम्ब के प्रकाशित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा सलैक्शन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुसार, यदि वर्ष की पहली जुलाई को उस ग्रेड की चयन सूची में पहले से ही शामिल किए गए अधिकारियों की संख्या नई चयन सूची के लिए निर्धारित की गयी संख्या से नीचे रह जाये तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के लिए प्रतिवर्ष नई चयन सूची तैयार की जाती है ।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1968 से 1971 तक के लिए सलैक्शन ग्रेड में पदोन्नति से लिए चयन सूचियाँ नीचे लिखी निर्दिष्ट तिथियों को जारी की गई थीं ।

वर्ष	जारी होने की तारीख
1968	24-2-1969
1969	22-4-1970
1970	28-10-1971
1971	11-4-1972

निर्धारित की गई समय सूची के अनुसार चयन सूची को, जिससे इसका सम्बन्ध है, वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना तथा जारी करना है। तथापि, अपरिहार्य कारणों से चयन सूची को समय पर जारी करने में देरी हुई है।

(घ) वर्ष 1972 की चयन सूची के चालू माह के अन्त तक जारी किए जाने की आशा है।

Cooperation among Ministries to encourage production

4055. **Shri Shrikrishan Agrawal :** Will the Minister of **Industrial Development and** Science and Technology be pleased to state :

(a) whether Government have devised a new method to ensure mutual cooperation among the Ministries dealing with economic matters for encouraging production ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) whether this new device is being experimented and if not, the reasons therefor ?

The Minister of industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) A new method of co-ordinaiton of financial matters relating to public investment decisions for production of goods aud Provision of services has been devised in the form of a Public Investment Board. This Board was set up in September, 1972 with the following members :—

Secretary (Expenditure). Ministry of Finance.
Secretary (Economic Affairs), Ministry of Finance.
Secretary, Planning Commission.
Secretary. Ministry of Industrial Development.
Secretary to Prime Minister and
Secretary to the Administrative Ministry concerned.

2. The functions of the Board are given below :

(i) Examination of the broad contours of an investment proposal in the project formulation stage based on which a decision to prepare the Feasibility Report would be taken ;

(ii) Taking investment decision on proposals for public investment to produce goods and to provide services;

(iii) Consideration of propoals for revision of cost estimates which exceed those approved at the time of investment decision.

Four meetings of the Boards have been held so far and proposals relating to 20 projects have been cleared.

उद्योगों में पूरी क्षमता का उपयोग

4056. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कई उद्योग अभी तक अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ उद्योगों में विभिन्न कारणों से क्षमता का न्यून-उपयोग हुआ है। ये कारण किसी फर्म या उद्योग के आँतरिक या वाह्य हो सकते हैं। वाह्य कारणों में मांग में कमी, बिजली की कमी, परिवहन समस्याएं, कच्चे माल निविष्ट की कमी, प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच असंतोषजनक सम्बन्ध सम्मिलित हैं। आंतरिक कारण प्रबन्ध सम्बन्धी अक्षमता और वित्त की कमी, दक्षता का निर्माण करने में लगने वाला समय या उत्पादकता में सुधार करना और प्रौद्योगिकी सहायता की कमी या उत्पादन में पर्याप्त विविधता आदि हो सकते हैं।

(ग) क्षमता के कम उपयोग को रोकने वाली बातों की सतत जाँच और संवीक्षा की जाती है और इसके लिये की गई कार्रवाइयों में सरकार की विविधीकरण नीति भी शामिल है जिसका अभिप्राय अप्रयुक्त क्षमता का और अधिक उपयोग करने की व्यवस्था करना, कच्चा माल, विशेष रूप से इस्पात उपलब्ध कराने में सुधार करने के लिए समय समय पर कदम उठाना और चुने हुए 65 उद्योगों के सम्बन्ध में घोषित विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिए कुछ उदारीकृत अभ्युपाय अपनाना तथा सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है जिसके लिए योजना आयोग के एक सदस्य के अधीन एक विशेष दल गठित किया गया है।

चौथी योजना के दौरान पंजाब में लघु उद्योगों के लिए धनराशि

4057. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान पंजाब में लघु उद्योगों के विकास के लिए कितनी धनराशि

का नियतन किया गया उसमें से अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है और कितने औद्योगिक एककों की स्थापना हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :

		लाख रुपयों में
(क)	(1) चौथी योजना में पंजाब में लघु उद्योगों के विकास और औद्योगिक बस्तियों के निर्माण के लिये आवंटित की गई राशि	808.15
	(2) 31-3-73 तक लघु उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने पर हुआ पूर्वानुमानित व्यय	407.30
	(3) 31-12-1972 तक राज्य उद्योग निदेशकों के पास दर्ज औद्योगिक एककों की संख्या	संख्या 30,873

(ख) जी, हां।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित ग्रामोद्योग कार्यकारी दल ने राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके लघु उद्योग के विकास तथा औद्योगिक बस्ती स्थापित करने हेतु 1973-74 के लिये अधिक आवंटन करने की सिफारिश की है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवाशर्तों को विनियमित करना

4058. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट एसोसिएशन ने हाल के एक वक्तव्य में सरकार से अनुरोध किया है कि आकाशवाणी के सभी श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-शर्तें विनियमित की जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट ठेके के आधार पर लगाये जाते हैं और उनकी सेवा की शर्तें उनके ठेकों की शर्तों द्वारा विनियमित होती हैं।

पांचवीं योजना के दौरान आय विषमताओं को कम करने के लिए कार्यवाही

4059. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति पांचवीं योजना के दौरान आय विषमताओं में कमी लाने की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में निम्नांकित व्यापक उपाय बताये गये हैं :—

1. पुनर्वितरण उपायों में जनसंख्या के निम्नतम 30 प्रतिशत लोगों के उपयोग स्तरों में वृद्धि तथा जनसंख्या के सबसे धनी 30 प्रतिशत लोगों के उपयोग स्तरों में कमी लाने की कल्पना की गई है।

2. निर्धन वर्गों को आवश्यक सामान युक्तियुक्त ठीक मूल्यों पर सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हो सके इसके लिए आम उपयोग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना।

3. रोजगार की सुविधाओं को काफी ज्यादा बढ़ाने की व्यवस्था करना।

4. सामाजिक विनियोजन तथा राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के विनियोजन में वृद्धि करना।

5. एक एकीकृत वेतन-मूल्य-आय नीति।

6. सम्पदा, सम्पत्ति तथा आमदनियों पर रोक सहित राजकोषीय उपाय।

Shortage of Raw Material in Small Scale Industries

4060. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the reason for most of the small scale industries running at a loss is the shortage of raw material ; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove the shortage of raw material needed by small scale industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) There is a general shortage of raw materials like steel, commercial grade aluminium sheets and circles, due to limited production in the country contributing to the unsatisfactory functioning of many small scale units. Efforts are being made for increased allocation within the limitations of their indigenous supply and availability of foreign exchange.

Effect of Shortage of Raw Material on production of Small Scale Industries

4061. **Shri Mahadeep ak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Deve lopment and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether many small industry owners in the country have submitted a memorandum to the Government that their factories are either lying closed or the production therein has been reduced to half due to shortage of raw material ; and

(b) if so, the number of sugh factories aud the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) A nnmber of representations are being received by the Government about the general shortage of raw materials like steel, commercial grade aluminium sheets and circles. The overall shortage is due to limited production in the country. Efforts are being made for increased allocation within the limitations of their indigenous supply and availability of foreign exchange. The number of units affected is not available.

वायर श्रौर केबल्स उद्योग में कच्चे माल की कमी

4062. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या श्रौद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वायर श्रौर केबल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली पी० वी० सी० साधनों की कमी की श्रोर दिलाया गया है जिससे इनके निर्माण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यद्यपि केबल श्रौर वायर के लिये वायर ऐनेमल के बनाने हेतु श्रावश्यक पी० वी० सी० रेजिन्नों की कमी का पता चला है, किन्तु इस वस्तु की कमी से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हो ऐसे किसी उदाहरण का सरकार का पता नहीं है ।

(ख) कमी को पूरा करने के लिये पी० वी० सी० रेजिन्नों के श्रायात की श्रनुमति दे दी गई है ।

उड़ीसा में श्रनुसूचित जातियों श्रौर श्रनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

4063. **श्री श्रर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या नवीनतम जनगणना प्रतिवेदन से पता चलता है कि उड़ीसा में श्रन्य जातियों

की तुलना में और पिछली जनगणनाओं की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता में कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1961 और 1971 की जनगणनाओं में उड़ीसा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत निम्नलिखित हैं :—

	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	कुल जन संख्या में अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत
1961	15.75	24.07
1971	15.09	23.11

(ख) जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर, मृत्युदर और प्रवास से निश्चित होती है। इनमें से प्रत्येक का जातिवार अथवा जनजातिवार भाग उपलब्ध नहीं है और इसलिये भिन्न-भिन्न समय पर जनसंख्या के भिन्न-भिन्न वर्गों के विभिन्न अनुपातों के सही कारण बताना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना लक्ष्यों का पुनरीक्षण

4064. **श्री पीलू मोदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि का योजना लक्ष्यों पर किस सीमा तक प्रभाव पडेगा; और

(ख) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि के पश्चात चौथी योजना के लक्ष्यों को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना लक्ष्यों पर मूल्य वृद्धि का कितना प्रभाव पड़ा इसकी मात्रा ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है क्योंकि निवेशों की उपलब्धि, योजना कार्यक्रमों का समय पर कार्यान्वियन, मौसम की दशायें भी अपना प्रभाव डालती हैं।

(ख) मूल्य वृद्धि सहित इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के अन्तिम वर्ष, वार्षिक योजना 1973-74 के लिए परिव्यय तथा लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

अर्हता प्राप्त बेरोजगार इन्जीनियर

4065. **श्री पीलू मोदी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1973 को इन्जीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अर्हता प्राप्त बेरोजगार इन्जीनियरों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन अर्हता प्राप्त इन्जीनियरों को रोजगार देने के लिए सरकार ने यदि कोई प्रयत्न किए हैं; तो वे क्या है ?

योजना मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4548/73]

मूल्यों पर नियंत्रण के बारे में योजना आयोग द्वारा चर्चा

4066. **श्री पीलू मोदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें बुलाई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में चर्चा के परिणामस्वरूप क्या सिफारिशें की गई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) आम उपभोग की अनिवार्य जिन्सों ताथा वस्तुयें उचित मूल्य पर जन साधारण को उपलब्ध करने के लिए दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने एक अन्त:-मन्त्रालयिक दल गठित किया था । आशा है कि मई, 1973 तक दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में उड़िया भाषियों की संख्या

4067. **श्री श्यामसुन्दर** महापात्र : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और इसके औद्योगिक उपनगरों में उड़िया लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उड़िया-बंगाली भाषा सम्बन्धी विवाद को ध्यान में रखते हुए, उड़ियाभाषी लोगों को पश्चिम बंगाल में कोई संरक्षण दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का दोनों समुदायों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए स्थायी समिति बनाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कलकत्ता और कलकत्ता शहरी क्षेत्र में उड़िया भाषी व्यक्तियों की जनसंख्या की जनगणना के अस्थायी आंकड़े इस प्रकार है :

कलकत्ता	42,252
कलकत्ता शहरी क्षेत्र	85,465

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार हाल के उड़िया, बंगाली भाषायी दंगे के बारे में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से निकट का सम्पर्क बनाये हुए है। वे सामान्य स्थिति कायम करने तथा विभिन्न भाषाई वर्गों में मैत्रिपूर्ण सम्बन्धों को शीघ्र बहाल करने में गम्भीरता पूर्वक संलग्न है।

कटक के आकाशवाणी कर्मचारियों के लिए गृहों का निर्माण

4068. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटक में आकाशवाणी कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण हेतु सरकार के वरिष्ठ अधिकारी से भूमि खरीदी थी; और यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) क्या धनराशि बाजार दर के अनुसार दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कटक में एक भूखंड भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत 5,01,953/- रुपये मुआवजा देने के उपरान्त अधिग्रहण किया गया था।

(ख) मुआवजे की राशि राज्य के अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच भाषायी झगड़े में जान तथा माल की हानि

4069. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी, 1973 से हुए भाषयी झगड़ों के परिणामस्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि हुई है;

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी पलटनें नियुक्त की गई थीं और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) क्या पुलिस ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बालासोर की उपस्थिति में जालेश्वर स्टेशन पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई थीं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उड़ीसा सरकार के लिये केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस बल की चार कम्पनियों की व्यवस्था की गई थी। कम्पनियां जतनी, भुवनेश्वर तथा रूर-केला में तैनात की गई थीं।

उड़ीसा में बालासौर के अन्तर्गत जालेश्वर एक्सचेंज में खराबी

4070. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासौर के अन्तर्गत जालेश्वर एक्सचेंज प्रायः खराब पड़ा रहता है है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं :

(ख) क्या कलकत्ता को बालासौर से जोड़ने वाली आटो-लाइन भी प्रायः खराब रहती है जिसके फलस्वरूप आपरेटर मैन्युल लाइन पर ही लगे रहते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जालेश्वर एक्सचेंज अच्छी हालत में काम कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वस्नातक विज्ञान छात्रों के लिए नौकरी- प्रधान पाठ्यक्रम

4071. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने अपनी योजना में सुझाव दिया है कि कम से कम 30 प्रतिशत पूर्वस्नातक विज्ञान छात्रों के लिए नौकरी-प्रधान पाठ्यक्रम चलाये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) और (ख) बी० एस० सी० (जनरल) तथा बी० एस० सी० (आनर्स) के कुछ प्रतिशत छात्रों के लिए नौकरी-प्रधान पाठ्क्रमों को प्रारम्भ करने का प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पैनल के विचाराधीन हैं। अभी तक कोई निश्चित प्रस्थापनाएं नहीं ली गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी, नरैना की डाक संबंधी आवश्यकताएं

4072. **श्री बो० के० दासचौधरी :** क्या **संचार** मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी, नरैना की डाक सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2268 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरैना गांव में स्थित डाकघर नरैना कालोनी और नरैना औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बीच आवंटित भूमि की उपयुक्तता की जांच कर ली गई है और भवन का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। तथापि, औद्योगिक क्षेत्र में भी एक डाकघर खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। ज्यों ही स्थान उपलब्ध हो जाएगा, यह डाकघर खोल दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूमि के औचित्य की जाँच की जा चुकी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्लाट खरीदने के लिए कार्रवाई की जा रही रही है। जब प्लाट खरीदने की कार्रवाई अन्तिम रूप ले लेगी तो इमारत बनवाने का मामला हाथ में लिया जाएगा।

तनजानिया में इन्जीनियरिंग वर्कशाप

4073. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तनजानिया में इन्जीनियरिंग वर्कशाप की स्थापना करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली वर्कशाप की मोटी रूपरेखा क्या है और कर्मचारियों तथा सामग्री और तकनीकी जानकारी के रूप में किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या भारत द्वारा उस देश में कुछ अन्य उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। यदि हां, तो किस प्रकार के; और

(घ) भारत द्वारा इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ)

जनवरी-फरवरी 1973 में लघु उद्योग विकास संगठन के विशेषज्ञों का एक शिष्टमण्डल जंजीबार और तन्जानिया (मैन लैंड) गया था। जंजीबार के विषय में तो रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, तंजानिया (मेनलैंड) की तैयार हो रही है। अन्य बातों के साथ साथ जंजीबार में प्रथम प्रावस्था में संलग्न सूची के अनुसार एक औद्योगिक बस्ती, एक कार्यशाला जिसमें 30-35 नये औद्योगिक एकक आ सकें स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार ने जंजीबार के लिए यह औद्योगिक बस्ती स्थापित करने तथा ग्राम सुविधाओं के केन्द्र के लिए उपकरण तथा मशीनों की सप्लाई द्वारा सहायता देना मंजूर कर लिया है। भारत ने औद्योगिक बस्ती, ग्राम सुविधाओं की कार्यशाला स्थापित करने तथा जंजीबार के नामितों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देना स्वीकार किया है। फिर भी सहायता के वास्तविक परिभाषा का तभी पता चलेगा जब दोनों पक्षों के बीच आगे विचार विमर्श होगा।

विवरण

1 धातु की चद्दर की वस्तुएं : बाल्टियाँ, ट्रंक, वाटर टैंक, कूड़ा दान और अस्पताल का साधारण तथा अन्य सामान।

2 तार की कीलें, पेनल पिन और लकड़ी के पेच।

3 बिल्डर्स, हार्डवेयर्स और एल्यूमीनियम बिल्डिंग फिटिंग्स।

4 कंटीला तार।

5 एल्यूमीनियम के बर्तन।

6 लैमिनेटेड स्प्रिंग और कॉयल स्प्रिंग।

7 टायलेट साबुन।

8 गरी की खली और चावल की भूसी का विलायक निस्सारण तथा तेल शोधक कारखाना।

9 पेन्ट्स और वारनिश।

10 फार्मास्युटिकल प्रीप्रेरेशन।

11 कीटनाशी सूत्रीकरण।

12 बूट पालिश।

13 प्लास्टिक का ढाँचे का ढला सामान।

14 दियासलाई।

15 लकड़ी का फर्नीचर।

16 पैक करने की लकड़ी की पेटियां।

17 काजू सेव किण्वित पेय।

18 फल परिरक्षण और डिब्बाबंदी।

19 सोफ्ट ड्रिक्स ।

20 बेकरी तथा कन्फेक्शनरी ।

21 दूध तथा दूध के उत्पाद ।

22 कैटल तथा पाल्ट्री फीड

23 रिकंडशनिंग ग्रॉटोमोबाइल बैटरीज ।

24 टायर रिट्रीडिंग ।

25 हौजरी—सूती और नाईलोन ।

26 सिले सिलाये वस्त्र ।

27 बिजली का घरेलू सामान ।

28 पेपर कनवर्जन प्रॉडक्ट्स ।

29 पी० वी० सी० केबल्स ।

30 जूतों के फीते और सूती फीते ।

31 ब्रिस्टल कॉयर फाइबर ।

32 रबराइज्ड कॉयर ।

33 नीडल्ड कॉपर पैड्स ।

34 कॉयर ब्रशेज ।

हरिजनों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए उनके ऋणों को माफ करने का प्रस्ताव

4074. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के और विशेष रूप से राजस्थान राज्य के हरिजनों के ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वे अपनी वित्तीय दशा में सुधार कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों में विषमता

4075. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा अधिकारियों की शर्तों में बड़ी विषमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कुशल तथा सुचारु रूप से प्रशासन चलाने के लिए इस विषमता को दूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्य सिविल सेवा (प्रान्तीय सिविल सेवा) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा अलग-अलग सेवाएं हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। राज्य सिविल सेवा (प्रान्तीय सिविल सेवा) के सदस्यों की सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित विधान मण्डल के उपयुक्त अधिनियों द्वारा, अथवा जैसी भी स्थिति हो, राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर विनियमित की जाती हैं। राज्य लोक सेवाएं संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य-सूची) में सम्मिलित मामले हैं और इसीलिए केन्द्रीय सरकार राज्य सिविल सेवा (प्रान्तीय सिविल सेवा) के सदस्यों की सेवा शर्तें विनियमित नहीं कर सकती। राज्य सिविल सेवा (प्रान्तीय सिविल सेवा) के सदस्य पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हैं।

ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई स्वतंत्रता सेनानियों की सम्पत्तियों को वापस करने के लिए विधान

4076. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जब्त की गई स्वतंत्रता सेनानियों की सम्पत्तियों को उन्हें अथवा उनके परिवारों को वापस करने के लिए विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त आशय का विधान संसद में कब तक लाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

4077. **श्री के० मलन्ना** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे नए उद्योगों की स्थापना करने के बारे में योजना आरम्भ करने का है जिनमें केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से धन लगाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव के बारे में राज्यों से मन्त्रणा की जाएगी ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) संयुक्त क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति दिनांक 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 10 और 11 में दी गई है, जिनकी प्रतियां दिनांक 21.2.1973 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न 281 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में हरिजनों पर घातक हमले

4078. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में हरिजनों पर घातक हमलों की संख्या में 1970 से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1970, 1971 तथा 1972 में कितनी मौतें हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है और स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

रेडियो और टेलीविजन परियोजनाओं का विस्तार

4079. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेडियो और टेलीविजन परियोजनाओं/योजनाओं के विकास एवं प्रचार के लिए राज्यों को दिए गए धन को उस स्थिति में अन्य कार्यों पर लगाने का निर्णय किया है यदि राज्य सरकार इन परियोजनाओं/योजनाओं को आरम्भ नहीं करती और वे केन्द्र के साथ सहयोग नहीं करती है ;

(ख) नियत सहायता से किन राज्यों ने लाभ नहीं उठाया है ; और

(ग) इस सहायता का उपयोग न करने के राज्यों ने क्या कारण बताए हैं और उन पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : रेडियो

तथा टेलीविजन का विकास केन्द्र का विषय है और इस प्रयोजना के लिये राज्य सरकारों को कोई धनराशि नहीं दी जाती ।

Industrial Development of Adivasi Areas

4080. **Shri B.S. Chowhan :**
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Industrial Development** and **Science and Technology** be pleased to state :

(a) the steps taken for industrial development in adivasi areas during the last three years ;

(b) the results thereof ; and

(c) the names of industries proposed to be set up in these areas in coming years and the places where these are proposed to be set up ?

The **Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari)** : (a) to (c) While no special programme exclusively for the industrial development of Adivasi areas has been chalked out Government, with a view to removing regional imbalances, have formulated certain subsidy and incentive schemes *viz.* (i) Concessional finance scheme from financial institutions (ii) 10% Central Outright grant or Subsidy Scheme, 1971 and (iii) Transport Subsidy Scheme, '71, to attract industries to specified backward districts/areas. The respective State Governments/Union Territory Administrations have been advised frequently to take more energetic steps towards the development of backward areas in their States with the assistance of the above schemes.

Suspension of S.H.O., Narela Police Station, Delhi

4081. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Station House Officer posted at Narela Police Station, Delhi was suspended during February, 1973 ;

(b) if so, the reasons for his suspension ; and

(c) the action taken thereafter by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes.

(b) He was suspended, along with a Sub-Inspector, for displaying improper sense of understanding the situation arising out of a dispute over a petrol pump, and for dealing with it in a manner which resulted in the creation of a law and order situation, and for improprieties in making arrests in this case.

(c) Departmental proceedings are in progress.

1975 में उत्तर भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण

4082. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में दूसरे उपग्रह संचार भू-केन्द्र के चालू हो जाने के बाद 1975 से अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण उत्तरी भारत में सम्भव हो जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उपकरण सेवा और प्रशिक्षण आदि के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कोई करार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) देहरादून के समीप लगाये जा रहे उपग्रह भू-केन्द्र जिसके 1975 के शुरू में चालू होने की उम्मीद है, टेलीग्राफ टेलीफोन, टेलैक्स, डेटा प्रेषण आदि जैसी सामान्य वाह्य दूर संचार सेवा उपलब्ध करेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन रिले की तकनीकी सम्भाव्यता भी प्रदान करेगा।

(ख) तथा (ग) अतंर्राष्ट्रीय टेलीविजन रिले के लिए देहरादून के दूसरे उपग्रह भू-केन्द्र के प्रयोग के लिए कोई करार नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी और अन्य क्षेत्रों के डाकुओं को दिया गया आश्वासन

4083. **श्री प्रबोध चद्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी और अन्य क्षेत्रों के डाकुओं को इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था कि यदि वे अपने शस्त्रास्त्रों के साथ सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे तो किसी को भी मृत्यु दण्ड नहीं दिया जायेगा और आगे यह आश्वासन भी दिया गया था कि यदि न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया भी तो सरकार इस बात को देखेगी कि मृत्यु दंड माफ कर दिया जाये ; और

(ख) क्या पुलिस अधिकारियों ने उक्त बात का पूरी तरह विरोध किया था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमन्।

महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में बन्दे मतरम् का गायन

4084. **श्री राम भगत पस्वान :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में "बंदे मातरम्" के गायन पर रोक लगा दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना

4086. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास उड़ीसा में सीमेंट के कारखानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कारखाना कहां पर स्थापित किया जायगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा के कोरापट जिले में सीमेंट का एक कारखाना लगाने के लिए एक प्रस्ताव हुआ है । सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया राज्य सरकार के परामर्श से प्रस्ताव की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता की जाँच कर रहा है ।

उड़ीसा जोन में डाक-डिवीजन खोलना

4087. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा जोन में अब तक कितने डाक-डिविजन खोले गये हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में नए डिवीजन खोलने के प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय उड़ीसा सर्किल में 13 डाक डिवीजन हैं । इन डिवीजनों और उनके मुख्यालयों का व्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) नये डाक डिवीजन खोलने और मौजूदा डाक डिवीजनों को दो भागों में विभाजित करने के बारे में वित्त मन्त्रालय की स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने कतिपय मानदण्ड निर्धारित किये हैं । इन मानदंडों के अनुसार जब किसी स्थान पर कार्य-भार 0.9 यूनिट हो जाता है, तो वहाँ

नया डाक डिवीजन खोल दिया जाता है और जब किसी मौजूदा डाक डिवीजन का कार्य-भार 2.9 यूनिट हो जाता है, तो उस डिवीजन को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। जब कभी ये मानदंड पूरे हो जाते हैं, नये डाक डिवीजन खोल दिए जाते हैं।

विवरण

वर्तमान समय में उड़ीसा सर्किल में काम कर रहे डाक डिवीजनों की सूची

	डाक डिवीजन का नाम	मुख्यालय का नाम
1.	कटक	कटक
2.	सम्बलपुर	सम्बलपुर
3.	बालासौर	बालासौर
4.	बरहामपुर	बरहामपुर (जी०एम०)
5.	पुरी	पुरी
6.	बोलनगीर	बोलनगीर
7.	क्योंनझार	क्योंनझार
8.	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़
9.	कोरापुट	जयपुर
10.	फूलबानी	फूलबानी
11	उत्तरी कटक	कटक
12.	मयूरभंज	वारी पाड़ा
13.	धेनकनाल	धेनकनाल

संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधित करना

4088. श्री **बी० वी० नायक** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान अधिनियम के अधीन इन उद्यमों को समाविष्ट किया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

आकाशवाणी तथा रेडियो सीलोन के विज्ञापनों से होने वाली आय का तुलनात्मक अध्ययन

4087. **श्री बी० वी० नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विज्ञापनों से होने वाली आय रेडियो सीलोन के विज्ञापनों से होने वाली आय की तुलना में कितनी है ; और

(ख) क्या इस कारण राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले भार को समाप्त करने के लिए क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा से पिछले तीन वर्षों में हुई कुल आय इस प्रकार है :—

1969-70	...	2,29,96,932 रुपए
1970-71	...	2,95,99,054 रुपए
1971-72	...	4,22,65,033 रुपए

रेडियो सीलोन की विज्ञापनों से हुई आय से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए दोनों संगठनों की आय की तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) रेडियो सीलोन की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा पर विज्ञापन देने के लिए विदेशी मुद्रा के रिलीज पर नियन्त्रण रखने के लिए वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, निर्धारित सीमा तथा प्राप्त प्रार्थनापत्रों तथा स्वीकृत प्रार्थनापत्रों के मूल्य से सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	वार्षिक निर्धारित सीमा	प्राप्त प्रार्थनापत्रों का मूल्य (परस्पर प्रबन्धी/आगत विप्रषणों की राशि सहित)	स्वीकृत प्रार्थनापत्रों का मूल्य (परस्पर प्रबन्धी/आगत विप्रपणों की राशि सहित)
	रुपए	रुपए	रुपए
1969	6,00,000	5,65,874	3,42,255
1970	7,00,000	6,33,839	4,76,641
1972	7,00,000	5,90,275	3,76,078
19,2	7,00,000	2,37,355 (पहली तिमाही)	1,92,355 (पहली तिमाही)

इस सीमा को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्यों में आयोजना बोर्ड

4090. **श्री बी० वी० नायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अपने आयोजना बोर्डों का गठन किया है ;

(ख) किन-किन आयोजना बोर्डों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) क्या गठित आयोजना बोर्डों के सदस्यों के बारे में राज्यों ने किसी मानदंड का अनुसरण किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निम्नलिखित राज्यों ने अपने आयोजना बोर्ड आयोग गठित किए हैं :—

असम, बिहार केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल पश्चिम बंगाल के योजना बोर्ड में ही संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व है।

(ग) योजना आयोग में राज्य सरकारों को कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे थे। परन्तु राज्य सरकारों ने उनका समान रूप से अनुसरण नहीं किया है।

साधारण नमक बनाने की सूर्य वाष्पीकरण प्रणाली में क्लोरोफिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाने संबंधी अनुसंधान

4091. **श्री बी० वी० नायक** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में साधारण नमक बनाने के कार्य में सूर्य वाष्पीकरण प्रणाली क्लोरोफिल के रूप में प्रयोग करने का अनुसंधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय तट पर साधारण नमक उत्पादकों के लिये इन अनुसंधानों की क्या उपयोगिता है ?

औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु शक्ति का तेजी से विकास किया जाना

4092. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि भारत में ईंधन सम्बन्धी संसाधनों की समस्या परमाणु शक्ति का तेजी से विकास करके हल की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में परमाणु शक्ति का तेजी से विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली परमाणु शक्ति का विकास सम्बन्धी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) इसके लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

विदेशों के साथ वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग सम्बन्धी करार

4094. **श्री एम० कतामत्तु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने कितने देशों के साथ वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिकीय सहयोग सम्बन्धी करार किये हैं ;

(ख) इन करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में विदेशों के कितने वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का दौरा किया ; और

(घ) इन दौरों के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न विभागों/संगठनों से यह सूचना एकत्रित की जा रही है। ब्यौरेवार उत्तर यथाबोध सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

गुजरात में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

4095. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों में गुजरात में और उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) आगामी तीन वर्षों में इस मन्त्रालय तथा योजना आयोग का गुजरात में उद्योग स्थापित करने का तो कोई विचार नही है फिर भी, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम

1951 के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिये वर्ष 1971 और 1972 में 128 औद्योगिक लाइसेंस तथा 200 आशय पत्र जारी किये गये थे। आगामी दो तीन वर्षों में इनमें से अधिकांश के कर्यान्वित हो जाने की संभावना है।

गुजरात में पिछड़े जिलों के लिए धन का आवन्टन

4096. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना की अवधि में गुजरात राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों के लिए कुल कितनी धनराशि आवन्टित की गई ; और

(ख) इन पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं और प्रत्येक जिले के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पंचमहल, कच्छ, अमरेली, भड़ौंच, सबरकांठा, बनासकंठा भावनगर, मेहसाना, सुरेन्द्रनगर, तथा जूनागढ़, गुजरात के पिछड़े जिले हैं जो वहां पर उद्योग लगाने के लिये वित्तीय संस्थाओं के रियायती वित्त प्राप्त करने के हकदार हैं। इसमें से पंचमहल, भड़ौंच तथा सुरेन्द्रनगर, इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत की केन्द्रीय निवेश सहायता के पात्र हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है किन्तु केन्द्रीय सहायता जिलेवार स्वीकृत नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर की ऐरो स्पेस और पेट्रो-रसायन उद्योगों में प्रयोग करने के लिए संगणकों द्वारा आंकड़ा संकलन एवं नियंत्रण प्रणाली का विकास करने सम्बन्धी योजना

4097. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर ने ऐरो स्पेस और पैट्रोरसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए संगणकों द्वारा आंकड़ा संकलन और नियंत्रण प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह कार्य देशी विशिष्ट जानकारी से किया जायेगा ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला ने आंकड़ा प्रणाली और अन्य कलपुर्जे बनाने के लिये किसी संयंत्र की स्थापना की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला में 1968 से आंकड़ा प्रणाली को डिजाइन करने और बनाने के लिये एक प्रायोगिक संयंत्र कार्यरत है ।

कागज उद्योग के विस्तार के प्रस्ताव

4098. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कागज कारखानों के विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और इन्हें अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ; और

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने कागज कारखानों की स्थापना करने में कितनी प्रगति की है और इस बारे में कारपोरेशन द्वारा नियत किया गया कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां, वर्तमान कागज के कारखानों के पर्याप्त विस्तार करने के पांच प्रस्ताव अनिर्णीत हैं । उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मई 1970 में स्थापित मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कोरपारेशन ने निम्नलिखित 4 परियोजनाएं स्थापित करने का निश्चय किया है :

(क) नागालैंड में 30,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एक एकीकृत लुग्दी । कागज मिल ;

(ख) आसाम नवागांव जिला में 40 हजार मी० टन क्षमता का लुग्दी तथा 50 हजार मी० टन क्षमता का कागज का एकीकृत लुग्दी । कागज मिल ;

(ग) केरल में वार्षिक 40 हजार मी० टन की क्षमता वाला एक अखबारी कागज का मिल ; तथा

(घ) असम (कछार मिलें) में वार्षिक 50 हजार क्षमता (संशोधित 40 हजार की वार्षिक क्षमता वाला एक एकीकृत लुग्दी/कागज का कारखाना कार्यान्वियन के लिए कदम उठाए गए कदम नीचे दिए जाते हैं ।

(क) **नागालैंड-एकीकृत लुग्दी कागज मिल :**

स्थापना स्थल का विकास तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है सप्लाई करने वालों को कतिपय मशीनरी जैसे टरबो आलटरनेटर, रिकवरी बायलर आदि के लिए आशय पत्र दे दिए गए

हैं । आशा है कि मार्च, 1973 के अन्त से पूर्व अधिकांश संयंत्रों तथा मशीनों के लिए आर्डर दे दिए जाएंगे ।

(ख) नवागांव (आसाम) में एकक्रीत कागज/लुदी मिल :

आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे जल सड़क आदि का अनुमान लगा लिया गया है और असम सरकार के साथ प्रारम्भिक प्रबन्ध कर लिए गए हैं तथा राज्य के कुछ भागों से कच्चे माल की सप्लाई की बातचीत पूरी हो चुकी है । वन, जल भूमि की स्थिति के आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है ।

(ग) केरल का अखबारी कागज परियोजना :

केरल सरकार के साथ वनों से मिलने वाले आवश्यक कच्चे माल तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की गई है और लगभग सभी मुद्दों पर पर समझौता हो गया है ।

(घ) कछार कागज परियोजना :

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा योजना में परिवर्तन का सुझाव

4099. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें योजना में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में समाचार छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग को प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है, परन्तु उसे इस सम्बन्ध में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

58 वर्ष की आयु के बाद सेवा-अवधि को बढ़ाना

4100. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री सरकारी कर्मचारियों की सेवा-अवधि हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त के बारे में 7 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणींवार संख्या क्या है, जिनकी सेवा-अवधि वर्ष 1972-73 के दौरान बढ़ाई गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में हुए भ्रष्टाचार-विरोधी सम्मेलन में गड़बड़

4101. **श्री भगीरथ भंवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 फरवरी, 1973 को चंडीगढ़ में भारत युवक समाज द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में हुई गड़बड़ के बारे में पंजाब के राज्यपाल ने केन्द्र को रिपोर्ट पेश की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) घटना के बारे में पंजाब के राज्यपाल से कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। फिर भी, क्योंकि सम्मेलन चण्डीगढ़ में हुआ था अतः चण्डीगढ़ प्रशासन से तथ्य मालूम किये गये थे जिनके अनुसार सम्मेलन के समय शान्ति बनाये रखने तथा सम्पत्ति की हानि को रोकने के पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थे।

पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश को प्रस्तावित नियतन

4102. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश को कुल कितना योजना परिव्यय उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने योजना आयोग को किसी योजना का प्रारूप दिया था और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के लिये कितनी कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग को राज्यों की पंचवर्षीय योजना के आकार से सम्बन्धित मामलों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर अभी निर्णय लेना है। राज्य सरकार ने योजना आयोग को किसी प्रकार का योजना प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र के पृथकतावादी कांग्रेसियों का सम्मेलन

4103. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1973 को तिरुपति में समाप्त हुये आंध्र के पृथकतावादी कांग्रेसियों के सम्मेलन ने विधायकों, अराजपत्रित अधिकारियों, छात्रों तथा आन्ध्र को पृथक राज्य बनाने

संबंधी आन्दोलन का समर्थन करने वाले अन्य लोगों से राज्य प्रशासन ठप्प कर देने का आवाहन किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का आवाहन किये जाने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का अध्ययन किया है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तिरुपति में हुई बैठक के बारे में रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में सामान्य स्थिति तथा शान्ति स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा आन्ध्र उद्घोषणा पर सदन में हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट कर दिया गया था।

दिल्ली के गुरुद्वारों के चुनाव

4104. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1972 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के गुरुद्वारों के चुनावों में असामान्य विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या सिख सम्प्रदाय ने दिल्ली के गुरुद्वारों में चुनावों को शीघ्र कराने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने के लिये कहा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमँत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार 28 दिसम्बर, 1972 के स्टेट्समेन में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) हाल में इस संबंध में सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ग) इस कारण से सिख समुदाय के बीच किसी असंतोष तथा अप्रसन्नता की सरकार को जानकारी नहीं है। यह कहना भी गलत है कि किसी स्थिति पर निर्वाचनों में विलम्ब किया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारे अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली गुरुद्वारों के निर्वाचन कराने के लिए उपाय किये जा चुके हैं। गुरुद्वारा निर्वाचन निदेशक को नियुक्त किया जा चुका है। बोर्डों के विस्तार से संबन्धित कार्य पूरा कर लिया गया है और वार्डों की सूचना दे दी गई है। मतदाताओं के पंजीकरण के लिए नियमों, अर्थात दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) नियम, 1973, को भी 22-1-1973 को अधिसूचित कर दिया गया है। सरकार द्वारा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है और 5-3-1973 से निर्वाचकों के पंजीकरण से संबन्धित कार्य प्रारम्भ हो गया है।

नागालैण्ड बेप्टिस्ट चर्च कोंसल के नेताओं की ओर से नागा समस्या हल करने के लिए पहल किया जाना

4105. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च कोंसल के नेताओं ने हाल ही में नागा समस्या का समाधान करने के लिए कोई नया हल प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल के नेताओं ने कोहिमा में हुई अपनी 23 और 24 जनवरी 1973 की दो दिन की बैठक में शान्ति वार्ता पुनः आरम्भ करने तथा नागालैंड के संतोषजनक राजनैतिक हल के लिए नागा लोक सम्मेलन बुलाने के लिए निर्णय किया है। सरकार का विचार है कि ये प्रयत्न भ्रान्तिपूर्ण हैं।

प्रत्येक राज्य में फिल्म निगम बनाना

4106. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि सिनेमा की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में फिल्म निगम बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस सुझाव को मान लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन और आवश्यकता

4107. **श्री बकशी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1971 और 1972 में सीमेन्ट का वर्षवार कुल उत्पादन कितना हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि में देश में सीमेंट की कुल कितनी आवश्यकता रही ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1971 और 1972 की अवधि में देश में सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमशः 1490 लाख मी० टन और 1570 लाख मी० टन था।

(ख) वर्ष 1971 और 1972 की अवधि में देश में सीमेंट की मांग का अनुमान क्रमशः 1600 लाख मी० टन और 1700 लाख मी० टन था।

उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास कार्य

4108. **श्री बक्शी नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अत्यावश्यक और भारी उद्योगों के ऐसे सभी उपक्रमों के लिए, जिनका उत्पादन काफी अधिक है और जिनमें भारी पूंजी निवेश है ; यप योजना बना रही हैं कि उनकी उत्पादन तथा विस्तार योजनाओं के लिए संयत्र अनुसंधान तथा विकास प्रयास अनिवार्य कर दिए जायें ;

(ख) क्या उनके उत्पादन मूल्य का एक प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास कार्य पर खर्च करना अनिवार्य बनाया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में औद्योगिक उपक्रमों के साथ परामर्श किया गया है ; और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) उद्योग में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने तथा विदेशी सहयोग की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से सरकार की यह धारणा है कि औद्योगिक उपक्रम स्वयं एक निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत कार्यक्रमानुसार अपने परिपूर्ण डिजायन एवं अनुसंधान की स्थापना तथा उसका विकास करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा यदि कोई सिफारिशें की जायें तो उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये किसी अन्य प्रतिबन्ध को समाविष्ट करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

(ख) और (ग) जी नहीं। परन्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने उपागम में यह सुझाव दिया है कि राजकीय तथा निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक एककों पर एक वर्गीकृत आधार पर एक औद्योगिक उपकर लगाया जाय। इस विधि से संग्रहीत संसाधनों को उन्हें राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान और विकास प्रायोजनाओं के उपक्रम के लिए संयोजित रूप से आबंटित किया जायेगा। इस आयोजन के ब्यौरे अभी भी बनाये जा रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रीय गोष्ठियों में, जिनमें औद्योगिक उपक्रमों के प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाते हैं, इस उपागम-प्रपत्र पर विचार-विमर्श हो रहे हैं।

उड़ीसा में परमाणु खनिजों की खोज

4109. **श्री पी० गंगादेब : क्या परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्यखान निदेशालय के परामर्श से उड़ीसा के

विभिन्न भागों में परमाणु खनिजों की खोज करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रनिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उड़ीसा में परमाणु खनिजों की खोज के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का अपना ही लगातार चलने वाला कार्यक्रम है तथा इस विभाग का विचार उड़ीसा सरकार के खान एवम् भूविज्ञान निदेशालय के परामर्श से खोज करने का नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए अध्ययन करना

4110. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के संबलपुर और ढेंकानाल के जिलों के प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त मामले में अपेक्षित विशेषज्ञ और कर्मचारी दे दिए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कार्य के लिए वर्ष 1973-74 के लिए कितनी आवश्यकता होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उड़ीसा के संबलपुर और ढेंकानाल के जिलों के प्राकृतिक संसाधनों की सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव। स्कीम मार्गदर्शी अध्ययन के लिए उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को नहीं भेजी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के लिए पांचवीं योजना में संशोधन

4111. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग की सलाह के अनुसार उड़ीसा राज्य की योजना मशीनरी ने अपेक्षित संशोधन किए हैं ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा दिए गए इन सुझावों को उड़ीसा राज्य आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ही कार्यान्वित करेगा ; और

(ग) इस मामले में राज्य ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग के सुझाव पर राज्य सरकार ने 21 दिसम्बर 1972 को राज्य आयोजन बोर्ड का गठन किया। योजना आयोग ने जो सुझाव दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्य योजना विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। परन्तु इसी बीच राज्य में राष्टपति शासन हो गया है। आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पुनर्गठन का काम पूरा हो जायेगा।

विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में ह्रास

4112. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से विविध भारती कार्यक्रमों को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित किया गया है तब से उनके स्तर में ह्रास होने के क्या कारण हैं ;

(ख) "हवा महल" तथा अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत नीरस और पुराने कार्यक्रमों को बार-बार पेश करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) विविध भारती के कार्यक्रमों के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) तथा (ग) इस सेवा के बम्बई स्थानान्तरित होने के पश्चात प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान कुछ प्रशासनिक, तकनीकी तथा स्टाफ समस्याओं के कारण नये कार्यक्रमों विशेषकर "हवा महल" कार्यक्रम को वांछनीय स्तर के अनुरूप तैयार नहीं किया जा सका और इसे बार-बार प्रस्तुत करने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई। इन कठिनाईयों पर अब काबू पा लिया गया है और कार्यक्रमों में और सुधार होने की आशा है।

Crime Movies giving rise to Crimes in Society

4113. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news-item published in the 'Hindustan' of 19th February, 1973 to the effect that the crime movies produced by the Film Industry give rise to crimes in the society ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have asked the Central Board of Film Censors to be more strict in enforcing the provisions of Cinematograph Act and rules thereunder, in dealing

with such films. In appropriate cases, heavy excisions have been made by the Board and some films have been totally banned.

P&T offices in Districts of U. P.

4114. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post and Telegraph Offices in various Districts in Uttar Pradesh at present ; and

(b) the number of new Posts and Telegraph Offices proposed to be opened in the Districts during the financial year, 1973-74 ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Number of Post Offices & Telegraph Offices existing in the various Districts of Uttar Pradesh as on. 28-2-1973 :—[*Placed in the library See* L. T. No 4549/73].

(b) Number of new Post Offices and Telegraph Offices proposed to be opened in the various Districts of Uttar Pradesh during the financial year 1973-74. [*Placed in the library See* L. T. No. 4549/73]

आंध्र सेना महासभा

4115. **श्री पी० के० देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र सेना महासभा हाल ही में बनाई गई है ;

(ख) क्या महासभा पृथक आंध्र के पक्ष में है ;

(ग) क्या महासभा ने लोगों को भूराजस्व, सीमा-शुल्क आय-कर और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य करों को न देने के लिये कहा है ; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(घ) इस मामले पर सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रपति के अभिभाषण और आन्ध्र उद्घोषणा पर सदन में बहस के दौरान पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था । आन्ध्र प्रदेश में सामान्य स्थिति तथा शान्ति कायम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सभी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है कानून के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में रिक्त पड़े पद

4116. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में 10 पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं और यदि हां, तो कर्मचारियों की इस कमी के होते हुए कलकत्ता केन्द्र अपना कार्य किस प्रकार कर पाता है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों की लम्बी अरसे से चली आ रही शिकायतों के बारे में मंत्रालय को पता है कि काफी समय की सेवा-अवधि के बाद भी इन आर्टिस्टों को वरिष्ठ वेतनमान नहीं मिलते हैं, यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या मंत्रालय को यह भी पता है कि कलकत्ता केन्द्र के स्टाफ फार्टिस्टों के साथ ऊंचे अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार से कलकत्ता के पूरे केन्द्र में अप्रिय वातावरण बन गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि कुछ रिक्तियां हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार करने जा रही है। इसी बीच, केन्द्र का कार्य वर्तमान स्टाफ या जहां भी आवश्यक कैजुअल आधार में रखे गये स्टाफ के द्वारा किया जाता है।

(ख) आकाशवाणी, कलकत्ता के एक स्टाफ आर्टिस्ट के द्वारा सीनियर ग्रेड के लिए एक अभ्यावेदन मिला है जो विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षकों की पदोन्नति

4117. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के आने से सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सीधे भरती किए गए उप-पुलिस अधीक्षकों के हित की सुरक्षा के लिए भारत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सीधे भरती किए गये कितने उप-पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के योग्य हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सभी वर्गों के पुलिस उप निरीक्षक जैसे सीधी भर्ती से नियुक्त, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों की पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उनके हितों की सुरक्षा के मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल	—	48
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	—	57

Grant of Pension to Freedom Fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures

4118. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to invite applications for grant of pensions under the pension scheme from sush of the freedom fighters who are Members of Parliament or of State Legislatures ;

(b) if so, the documents which thich they are asked to enclose with their applications and whether they will also have to submit affidavits ; and

(c) the time by which Government propose to give them pensions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) The Members of Parliament and State Legislatures are expected to apply on a modified form. Though no affidavits are required at the time of applying for pension, Members have to fulfil the requirements of the Scheme regarding political suffering. The pension will be sanctioned on receipt of an affidavit that the income of a member is not above Rs. 5,000/- per annum.

(c) The Members of Parlianment and State Legislatures will be granted pension subject to their fulfiling the conditions of eligibility.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन

4119. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की कितनी दर का उल्लेख है ;

(ख) क्या औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में अब तक बाधा पड़ने का एक मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अवधि में उद्योगों को कच्चे माल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) योजना आयोग के "अप्रोच् टु दि फिफ्थ प्लान 1974-79" शीर्षक दस्तावेज में पांचवीं योजनावधि में निर्माण करने वाले क्षेत्र में वृद्धि की वार्षिक दर 8 प्रतिशत के आस-पास होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) कच्चा माल, विशेषतः कुछ दुर्लभ किस्मों के इस्पात की कमी अनेक कारणों में से एक कारण रही है, यद्यपि यह एकमात्र या प्रमुख कारण नहीं है, जिससे पिछले दो या तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में रुकावट आई है।

(ग) आयातित कच्चे माल की आवश्यकताएं आयात नीति को उपयुक्त बनाकर पूरी करनी पड़ेंगी, जो आवश्यकताओं और प्रतिवर्ष देश में उपलब्ध परिमाण को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है।

समस्त कार्य हिन्दी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना

4120 **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालयों में मूल रूप से अपना कार्य हिन्दी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने वाले ऐसे कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है अथवा देने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक है और वे सारे देश में फैले हुए हैं। आंकड़े एकत्र करने में लगने वाला समय, श्रम तथा व्यय प्राप्त किये जाने वाले सम्भावित परिणामों के अनुकूल नहीं होंगे।

(ख) प्रोत्साहन देने की एक योजना विचाराधीन है।

Closure of Cement Factories in A. P.

4121. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :

(a) whether six cement factories have been closed down due to power shortage in Andhra Pradesh;

(b) if so, the action taken to overcome this crisis; and

(c) the number of persons rendered jobless due to closure of these factories and the estimated loss of production as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar

Mukherjee): (a) No, Sir. All the six factories in the Andhra Pradesh are now reported to be working, though to a very much redueed capacity.

(b) The question of making more power available to the cement factories had been taken up with the State Electricity Board and the State Government as a result of which the State Electricity Board has now agreed to make more power available to these factories to enable them to run atleast one unit fully.

(c) The exact number of persons who were rendered jobless is not available. It is estimated that about 2950 workmen were laid off for brief periods at different times. Besides. an equal number of persons, other than factory workers, were also indirectly affected. The loss of production for the month of February is 1.42 lakh tonnes.

Providing Employment by Department of Communications

4122. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the Department of Communications has provided with employment to 15 thousands people during one year ; and

(b) the number of Persons proposed to be provided with by the Department in 1973-74 ?

The **Minister of Communications** (**Shri H. N. Bahuguna**) : (a) Yes, (During the financial year 1971-72).

(b) No preeise figure can be given. The number may vary between 15,000 and 20,000.

Closing of Post Office in Hirambi Village Bhagalpur District

4123. **Shri G. P. Yadav** : Will the Miister of Communications be pleased to state :

(a) whether a Post Office had functioned satisfactorily in Hirambi village in Bhagalpur District for twelve years;

(b) whether after the transfer of the said village Post Office from the jurisdiction of Bhagalpur Head Office to Rajaun Sub Post Office in 1971, it was closed down; and

(c) if so, the reasons, therefor and what Government propose to do in this matter ?

The Minister of Communications (**Shri H N. Bahuguna**) : (a)A post office was opened at Hirambi village in Bhagalpur District on 8-12-59 which continued functioning upto 27-8-71. During the entire period of its existence, this post office was found to be running on loss.

(b) The Post Office was closed on 28-8-71. The transfer of accounts jurisdiction of this post office from Bhagalpur head Post Office to that of Rajaun Sub Post Office did not have any effect on its financial position.

(c) During the 12th Year of its existence, this post office was anticipated to work at a loss of Rs. 321.60 over and above the limit of loss borne by the P & T Department itself. Since none of the beneficiaries came forward to bear the loss over the above the permissible limit, this post office was closed down on 28-8-71 with the concurrence of the District Magistrate. This Post Office can, however, be reopened if any of the beneficiaries deposits the due non-returnable-contribution in advance.

संयुक्त-क्षेत्र परियोजनाएं

4124. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इण्डियन मैनेजमेंट' के अन्तिम अंक में प्रबन्ध विशेषज्ञ द्वारा लिये गये एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं चालू करने तथा उन्हें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गति देने के लिए एक लघु दल अथवा कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लेख में दिए गये सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) लेख में उल्लिखित विभिन्न सुझावों को सरकार के समक्ष समय समय पर रखा जाता है । सरकार सभी सुझावों पर ध्यान देती है । सरकारी निर्णय स्थिति की आवश्यकताओं तथा सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक नीतियों के अनुरूप होते हैं । सरकार संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाए चालू करने तथा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से उन्हें चलाने के लिए एक विशेष अभिकरण गठित करना आवश्यक नहीं समझती है । प्रत्येक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना में सरकार की पहुंच सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसके गुणावगुणों पर आधारित होगी मार्गदर्शी नीतियों प्रबन्ध और संचालन में सरकार की भावी भूमिका के अधीन संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का वास्तविक तरीका और रूप प्रत्येक मामले में जैसा होगा, निश्चित किया जाएगा ।

उद्योगों में काम करने वाले तकनीकी और व्यवसायिक व्यक्तियों का विदेश जाना

4125. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्यन्त कुशल, तकनीकी और व्यवसायिक व्यक्ति रोजगार अथवा काम के लिए देश के औद्योगिक उपक्रमों और व्यवसायों को छोड़कर विदेश चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्ति विदेश गये ; और

(ग) इस विदेश गमन के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के पास कोई सूचना नहीं है । फिर भी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक विभाग द्वारा 1971 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 15,000 भारतीय इन्जीनियर और 9000 भारतीय चिकित्सक 1970 के अन्त तक विदेश चले गए थे ।

(ग) वैज्ञानिक/इन्जीनियर, जो विदेश जाते हैं, वे उच्च अध्ययन, प्रशिक्षण या विशेषज्ञता अथवा वृहद् अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग विकसित देशों में अत्यधिक सुअवसरों से आकर्षित होकर जाते हैं।

Increasing Telephone Facilities between Ratlam and Mandsaur (Madhya Pradesh)

4126. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether approval has been given for 8-channei system between Ratlam and Mandsaur (Madhya Pradesh) for increasing telephone facilit ies;

(b) whether the equipment received has been shifted to somewhere else; and

(c) if so, the time by which the equipment relating to the said system would again be made available to this region ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The equipment for this route will be made avilable in 73-74 during which the line on which it is to be used is also expected to be ready.

Defective A-Type Crossbar Exchange Mannfactured by I.T.I.

4127. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Indian Telephone Industries have manufactured 1000 A-type cross bar exchanges with the collaboration of Messrs, Bell Telephone Manufacturing Company of Belgium;

(b) whether the aforesaid equipment has been found to be defective; and

(c) if so, the nature of action taken by Government in this regard ?

राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशतता

4128. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार देश में अनुसूचित जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन जातियों की जनसंख्या में कमी के कारणों की कोई जांच की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1971 की जनगणना के

अनुसार 1961-71 के दशक में अनुसूचित जनसंख्या में 24.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में सामान्य जनसंख्या में 24.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) जनसंख्या में बढ़ोतरी जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रव्रजन पर निर्भर करती है। अनुसूचित जनसंख्या के लिए ये अवयव अलग से उपलब्ध नहीं हैं अतएव इस वर्ग में देखी गई कम बढ़ोतरी की दर पर कोई जांच नहीं हो सकती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

4129. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1973 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों को कितनी छात्रवृत्तियां दीं ; और

(ख) छात्रवृत्तियां दिये जाने वाले छात्रों की संख्या क्या है, उन्हें कितने रुपये की छात्रवृत्ति दी गई तथा उनकी क्या विशेषताएं है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान कौर प्रौद्योगिकी द्वारा विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्तियां नहीं दी जातीं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में पदाधिकारियों का वेतन

4130. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1972 से 28 फरवरी, 1973 के बीच उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में 1,500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कितने पदाधिकारी नियुक्ति किए गए ; और

(ख) नियुक्त किए गये पदाधिकारियों, स्थानों तथा जिन उपक्रमों में उन्हें नियुक्त किया गया है उनके नाम क्या हैं तथा वे किस-किस राज्य से सम्बन्ध रखते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4550/73]

अर्टिगल, केरल में उत्पादन केन्द्र की स्थापना

4131. **श्री वयालार रवि :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री केरल में लघु उद्योगों के उत्पादन केन्द्रों के बारे में 6 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपना 77वां प्रतिवेदन किस वर्ष में प्रस्तुत किया था और अटिंगल, केरल में किस वर्ष में उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया था ; और

(ख) इन उत्पादन केन्द्रों को राज्य सरकारों को सौंप देने के बारे में समिति की सिफारिश के बाद भी नया एकक आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) प्राक्कलन समिति की 77वी रिपोर्ट 1959-60 में प्रस्तुत की गई थी। उत्पादन केन्द्र पहले एट्टमनूर में स्थापित किया गया था और 1.8.1963 को अट्टिंगल में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ख) चूंकि केन्द्रों को हस्तान्तरित करने की सिफारिश प्राक्कलन समिति के कहने पर 1962 में स्थापित की गई संगठन सम्बन्धी समिति द्वारा की गई थी, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

देश में प्रतिबंधित साम्प्रदायिक निकायों, एसोसिएशनों और दलों के नाम

4132. **श्री एस० एम० मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने साम्प्रदायिक, निकायों एसोसियेशनों और दलों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) ऐसे दलों, निकायों और एसोसिएशनों तथा राज्य के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन पर कब से प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा यथा संशोधित अवैध गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 के अधीन किसी समिति को गैर अवैध घोषित नहीं किया गया है।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ में छात्रों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

4133. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में अक्तूबर, 1972 से छात्रों के विरुद्ध कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) क्या ये मामले पंजाब में छात्र असन्तोष के कारण चलाये गये थे और पंजाब में छात्रों के विरुद्ध सभी मामले वापस ले लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो चण्डीगढ़ प्रशासन ने मामले वापिस क्यों नहीं लिए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राजा गार्डन, पुराना फरीदाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

4134. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या संचार मंत्री राजा गार्डन, पुराना फरीदाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 883 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : गुरुद्वारा गोपी कालोनी फरीदाबाद के लिए स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घर इस लिए नहीं खोला गया क्योंकि गुरुद्वारा के प्रधान इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए । इस कालोनी में दूसरा कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए अभी तक यहाँ सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलना सम्भव नहीं हो सका है ।

Proposal to set up Laboratories in Meteorology, Vegetation and Geology in Ladakh

4135. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of Science and Technology be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up laboratories for research and analysis in Meteorology, Vegetation, Geology, etc. in Ladakh District of Jammu and Kashmir State keeping in view the special Geographical position of that district; and

(b) if so, the outlines of the proposal ?

The Minister of Industrial Development and Science & Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The Department of Science and Technology do not have any such proposal under consideration.

Space Science Laboratory in Ladakh

4136. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of Space be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some Space Science Laboratory in Ladakh; and

(b) if so, the outlines of the proposal ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(a) Does not arise.

राष्ट्र-निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग

4138. **श्री के० मालन्ना :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्र निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लेने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राष्ट्र निर्माण के कार्य में सरकारी कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर बल देना आवश्यक है क्योंकि वे ही तो साधन हैं जिनके माध्यम से नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य में जिन तरीकों से उनका सहयोग और अधिक प्रभावशाली बन सकेगा, उन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

श्री नागभूषण पटनायक को मृत्यु दण्ड से माफी देना

4139. **श्री एस० एस० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 80 संसद् सदस्यों ने विशाखापटनम केन्द्रीय जेल में नजरबन्द राजनीतिक बन्दी श्री नागभूषण पटनायक को मृत्यु दण्ड से माफी देने के लिए सरकार से अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी नागभूषण पटनायक की दया याचिका को नामजूर कर दिया है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से मामले के अभिलेख आने की प्रतिक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

4140. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त सहायता देने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सुझाव आए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कुल 965 करोड़ रुपए के चौथी योजना आवंटन में से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए 324 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में नीचे दी गई केन्द्रीय ग्रामीण विकास स्कीमें चलाई जा रही हैं।

स्कीम	पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुने गये जिले	चौथी योजना में अनुमति आवंटन (करोड़ रुपये)
1. लघु कृषक विकास अभिकरण	प्रतापगढ़	1.50
2. नाममात्र के किसान तथा कृषि श्रमिक	बलिया	1.00
3. बारानी खेती	गाजीपुर	0.87 (लगभग)
4. सूखा प्रवृत क्षेत्र	बांदा, इलाहबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर	7.20 (लगभग)
5. औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से उद्योगों को रियायती धन	आजमगढ़, बलिया, बांदा, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर और जौनपुर	अग्रिम आवंटन नहीं दिया जाता है
6. 50 लाख रुपये तक के औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत सहायता की केन्द्रीय स्कीम	बलिया, बस्ती और फैजाबाद	जब भी स्कीमें प्राप्त होती हैं निधियां आवंटित की जाती हैं

आशय पत्र जारी करने और लाइसेंस देने के बीच समय का अन्तर

4141. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस, आशय पत्र जारी करने के लम्बे समय बाद दिये जाते हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में समय का यह अन्तर पाँच वर्ष के लगभग है ; और

(ग) यदि हां तो देश में औद्योगिक ईकाइयों की वृद्धि के बड़े हित है इस विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पार्टी ने आशय पत्र में लगाई गई शर्तें पूरी कर ली हैं । इन शर्तों को पूरा करने के पश्चात् औद्योगिक लाइसेंस उचित समय के अन्दर जारी किए जाते हैं, आशय पत्र की शर्तों का तीव्रगति से कार्यान्वयन करने का सुनिश्चित करने के लिए सभी आशय पत्रों में अगस्त, 1972 से एक शर्त लगाई जा रही है कि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति प्रत्येक तीन महीनों में सरकार को बताई जाये ।

Cement Factory in Neemuch (M. P.)

4142. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the time by which the feasibility report submitted by Cement Corporation of India for setting up a factory at Neemuch in Madhya Pradesh is likely to be approved by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri **Pranab Kumar Mukherjee) :** The feasibility report for the setting up of a cement plant at Neemuch in Madhya Pradesh with a capacity of 4 lakhs tonnes per annum has been examined by concerned Departments of Government of India and is likely to be placed before the Public Investment Board shortly. Thereafter, a final decision would be taken in consultation with the Planning Commission.

Cement Factory at Maihar (M. P.)

4143. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Tenehonology** be pleased to state whether Government have any scheme to set up a cement factory in Maihar tehsil in Satna district (M.P,) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : No. Sir.

अमरीकी फर्म द्वारा बेचा जा रहा "इनस्टेंट, ब्राडकास्टिंग स्टेशन"

4144. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अमरीकी फर्म द्वारा बेचे जाने वाले "इनस्टैंट ब्राडकास्टिंग स्टेशन" का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है और उक्त प्रकार के उपकरण प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ। अमरीकी फर्म द्वारा एक 'इन्स्टेंट ब्राडकास्टिंग स्टेशन" बेचे जाने के बारे में अखबारों में समाचार छपे हैं।

(ख) अखबारों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार 'इन्स्टैंट ब्राडकास्टिंग स्टेशन' में 1000 वाट का एक एफ० एम० ट्रांसमिटर एन्टेना और भाषण प्राप्त करने वाले उपकरण हैं। यह दावा किया गया है कि फर्म द्वारा आर्डर प्राप्त होने के पश्चात इसे 90 दिन के अन्दर चालू किया जा सकता है। इसकी लागत लगभग 15,000 डालर है।

वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में इस उपकरण की उपयोगिता सीमित होगी क्योंकि सुनने के लिए एफ० एम० श्रवण सेट प्राप्त करने के अलावा यह केवल मुख्य प्रेषण केन्द्रों के छाया क्षेत्रों के अन्दर पड़ने वाले छोट इलाकों को ही कवर करने के लिए सहायक होगा। इसके अलावा आकाशवाणी मुख्य रूप से देश में बनने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है। इसलिए इस उपकरण को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में शिक्षितों में बेरोजगारी

4145. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में साक्षर शिक्षित व्यक्तियों, स्नातकों तथा इन्जीनियरों में व्याप्त बेरोजगारी के बारे में अब तक के आंकड़े एकत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उनके लिए कुल कितनी राशि की सहायता की गई; और

(ग) क्या उक्त सारी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) उड़ीसा में बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि, दिसम्बर 1972 के जो अस्थायी आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वाले 242, 589 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, जो इस प्रकार थे :

1.	अशिक्षित (बिल्कुल अनपढ़ तथा मैट्रिक से कम)		171,879
2.	मैट्रिक पास		51,080
3.	हायर सेकेण्ड्री		7,187
4.	स्नातक		
	(1) कला	4,922	

(2)	विज्ञान	3,812	
(3)	वाणिज्य	686	
(4)	अभियांत्रिकी•	414	
(5)	चिकित्सा	393	
(6)	पशु चिकित्सा	16	
(7)	कृषि	6	
(8)	विधि	72	
(9)	शिक्षा	1,112	
(10)	अन्य	27	11,460

5. स्नातकोत्तर

(1)	कला	463	
(2)	विज्ञान	354	
(3)	वाणिज्य	13	
(4)	अभियांत्रिकी	2	
(5)	चिकित्सा	3	
(6)	पशु चिकित्सा	—	
(7)	कृषि	—	
(8)	विधि	—	
(9)	शिक्षा	143	
(10)	अन्य	5	983
		योग	242,589

उपर्युक्त आंकड़ों में 416 इन्जीनियरी डिग्री वाले तथा 1562 इंजीनियरी डिप्लोमा वाले शामिल हैं।

राज्यों की वार्षिक योजना में गत वर्ष के लिए शामिल किये गए सामान्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त उड़ीसा में शिक्षित बरोजगारों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1971-72 में कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किये गए थे। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 78.48 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। किन्तु उसके कार्य के

आधार पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 75.25 लाख रुपये की राशि दी गई जो इस प्रकार थी :—

(लाख रुपये)

	स्कीम का नाम	1971—72	
		आवंटन की गई धन राशि	दी गई धन राशि
1.	प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार तथा इसके स्वरूप में सुधार	14.95	14.95
2.	ग्रामीण इन्जीनियरी सर्वेक्षण	2.14	कुछ नहीं
3.	उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता	39.00	39.00
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए डिजायन एककों की स्थापना	1.09	कुछ नहीं
5.	पाँचवीं योजना में सड़क निर्माण कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई	1.30	1.30
6.	सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की जांच	20.00	20.00
		78.48	75.25

आंध्र प्रदेश के आवास बोर्ड द्वारा किंग कोठी पैलेस की खरीद

4146. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1973 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश का आवास बोर्ड हैदराबाद के निजाम से "किंग कोठी पैलेस" खरीदने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, कितना मूल्य तय किया गया है तथा इसकी खरीद सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश आवास मण्डल ने भूतपूर्व निजाम के किंग कोठी पैलेस को खरीदने के प्रश्न पर विचार किया था किन्तु इसको अधिग्रहण न करने का निश्चय किया है।

टायरों का उत्पादन और मांग

4147. **डा० रानेन सेन** : क्या औद्योगिकी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टायरों की लगभग कितनी मांग है ;

(ख) वर्तमान दशक के अन्त तक टायरों की मांग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ; और

(ग) इस मांग को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1972-73 में मोटरगाड़ी के टायरों की मांग का अनुमान लगभग 51.6 लाख टायर लगाया गया है।

(ख) यह मांग 1978-79 के अन्त तक बढ़ कर 115 लाख संख्या तक हो जाने का अनुमान है।

(ग) मोटरगाड़ी के टायर तथा ट्यूबों का निर्माण करने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 45,79,000 टायर है। इस वस्तु की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 15 नए एककों तथा 3 विद्यमान एककों एक पर्याप्त विस्तार करने तथा दो नए एकक स्थापित करने के लिये) को मोटरगाड़ियों के टायर तथा ट्यूबों प्रत्येक के लिये 65 (लाख की कुल क्षमता के लिये आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में मोटर-गाड़ी के टायर तथा ट्यूबों प्रत्येक की 10 लाख की क्षमता करने वाला एक उत्पादन एकक स्थापित करने का भी है और इसके अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना स्थापित करने के लिये तात्कालिक आधार पर एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये किये व्यक्तियों की रिहाई

4148. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से लेकर आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को किस-किस आधार पर नजरबन्द किया गया है ; और

(ख) सलाहकार बोर्ड के निर्णय तथा उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप कितने नजरबन्द व्यक्ति रिहा किये गये ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण

अधिनियम, 1971 के अधीन निम्नांकित एक अथवा एक से अधिक कारण पर किसी व्यक्ति को प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से उसे नजरबन्द किया जा सकता है ; भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था अनुरक्षण और समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा सेवा अनुरक्षण । किसी विदेशी को भारत में उसकी लगातार उपस्थिति को नियमित करने अथवा भारत से उसके निष्कासन के लिए प्रबंध करने की दृष्टि से भी नजरबन्द किया जा सकता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1973 तक 1217 व्यक्ति सलाहकार बोर्डों की सलाह से और 750 व्यक्ति उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों से मुक्त किये गये थे ।

दिल्ली में 'रीजनल टेस्टिंग सेन्टर' (क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र)

4149. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा बनाये गये उत्पादों का परीक्षण करने के लिये 'रीजनल टेस्टिंग सेन्टर' स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

दिल्ली के क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र की योजना में जिसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है, इन क्षेत्रों में जांच की सुविधाएं होंगी : --

(1) मेकेनीकल मेजरमेन्ट एण्ड टेस्टिंग (2) फिजिकल एण्ड मेटालरजिकल (3) केमीकल एण्ड एलाइड ट्रेड तथा (4) इलैक्ट्रीकल एण्ड ट्रेड ।

स्नातक इंजीनियरी और प्रथम श्रेणी के विज्ञान स्नातकों को रोजगार दिया जाना

4150. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अभी स्नातक इंजीनियरों और प्रथम श्रेणी में

स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त विज्ञान स्नातकों तथा इससे अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को दो वर्षों के भीतर रोजगार देने की गारन्टी देने का है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) उच्च योग्यता वाले इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के बीच व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता से सरकार भली भांति अवगत है। इस वर्ग में फिलहाल जितने लोग बचे हुए हैं उन्हें चौथी योजना के अन्त तक रोजगार मिल जाय, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। रोजगार की और प्रवृत्त योजना कार्यक्रमों के अलावा हाल ही के वर्षों में कितने ही कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं तथा सभी वर्गों के लोगों, विशेषत: इंजीनियरों और अन्य उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों के लिए अधिकाधिक रोजगार सुलभ कराने के लिए कितने ही विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन स्कीमों में मुख्य रूप से अपना काम शुरू करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उत्पादन के उद्देश्यों के लिए वेतन-रोजगार पर बल दिया है। इनमें ये बातें शामिल हैं : चौथी तथा इसके बाद की योजनाओं में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरू करना, तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करना, शिक्षा मन्त्रालय के 'उद्योगों में प्रशिक्षण' कार्यक्रम का विस्तार करना, भारतीय परामर्श संगठनों का विकास, लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों/इंजीनियरों को आर्थिक सहायता, योग्यता प्राप्त इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए संविदा-व्यवस्था को लागू करना—जिसमें कि मंजूरशुदा ठेकेदारों की आवश्यकता पड़ेगी, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मशीनरी के लिए मरम्मत तथा सर्विसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने हेतु इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना ; शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, जिनमें कि इन्जीनियर तथा तकनीशियन और वैज्ञानिक शामिल हैं, के लिए विशेष कार्यक्रम, जिनमें कि लघु उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमें भी हैं, ग्राम्य इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्र, सड़क परियोजनाओं की जांच, ग्राम्य जल-आपूर्ति के लिए डिजाइन एककों की स्थापना ; सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की जांच; प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण ; तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम। 1973-74 के लिए बनाये जा रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों में ऊंची योग्यता वाले इन्जीनियरों तथा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार-सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इन कार्यक्रमों का कारगर बनाने तथा इनके सक्षम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्य का समन्वय योजना आयोग में बने एक विशेष सैल द्वारा किया जायेगा। इस दिशा में कुछ प्रारम्भिक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। इस विषय में राज्य सरकारों को लिखा गया है तथा उन्हें सलाह दी गई है कि वे यथार्थ पर आधारित कार्यक्रम बनाने के लिए ही सैलों का गठन करें ताकि उन्हें तेजी से कार्यान्वित किया जा सके जिससे कि वे कार्यक्रम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के फिए फलदायक परिणाम ला सकें। वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार ऐसा अनुभव किया जाता है कि अप्रैल, 1973 का अन्त होते-होते ठोस कार्यक्रम तैयार हो जायेंगे जिससे कि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

संगीत तथा नाटक प्रभाग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

4151. **श्री शशि भूषण :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच व्यूरो ने संगीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यों के बारे में जांच पूरी कर ली है और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी करने में और कितना समय लगने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय जांच व्यूरो गीत तथा नाटक प्रभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जाँच कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय जाँच व्यूरो जांच यथाशीघ्र पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है।

अम्बाला स्थित पंजाब सर्कल के महा डाकपाल के कार्यालय में हैड क्लर्कों के संवर्ग में पदोन्नति

4152. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला स्थित पंजाब सर्कल के महा डाकपाल के कार्यालय में हैड क्लर्कों के संवर्ग में हाल ही में कुछ पदोन्नतियां की गई थीं तथा पदोन्नत व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है :

(ख) क्या इस प्रकार पदोन्नतियों के मामलों में अनुसूचित तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में भारत सरकार के मंत्रि मंडलीय सचिवालय के कार्मिक विभाग, नई दिल्ली द्वारा 27-11-72 को जारी किये गये ज्ञापन संख्या 27-2-71 एस्टेब्लिशमेंट (अनुसूचित जाति) में निवृत आदेशों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ये आदेश 27-11-1972 से लागू हुए हैं। ये आदेश सिर्फ इस तारीख के

बाद बनाई सेलेक्ट लिस्टों पर लागू होते हैं जबकि पंजाब सर्किल में जिन कर्मचारियों को तरक्की दी गई है, उनका अनुमोदन उक्त तारीख से पहले किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल में तैनात करना

4153. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कलकत्ता में 9 फरवरी, 1973 को वक्तव्य दिया था, क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ दस्तों को वापस भेज देने के लिए कहा है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के उस अनुरोध का पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) वर्ष 1971 से पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी कम्पनियां तैनात हैं तथा उनमें से कितनी कम्पनियों को वापस बुला लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (फखरूद्दीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) 1971 के शुरू में पश्चिम बंगाल में तैनात की गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 70 कम्पनियों में से 24 कम्पनियां वापिस बुला ली गई हैं और इस समय 46 कम्पनियाँ शेष रह गई हैं ।

हिमाचल प्रदेश में किराये और गारंटी के आधार पर मंजूर किये गये डाकघर, संयुक्त कार्यालय और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4154. **श्री नारायणचन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के (तहसील और जिले का भी नाम जिसमें वे आते हैं) नाम क्या हैं जिनमें डाकघर, संयुक्त कार्यालय और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए वर्ष 1970 में डाक तथा तार अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के समक्ष किराये और गारंटी की शर्तें रखी थी ;

(ख) ऐसे स्थानों के (तहसील और जिले का भी नाम जिसमें वे आते हैं) नाम क्या हैं जिनके लिये राज्य सरकार ने किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार कर ली है और वे इस वर्ष के दौरान किस-किस तारीख को स्वीकार की गई थी ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर किराये और गारंटी के आधार पर मंजूर किये गये डाकघर, संयुक्त कार्यालय और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र इस बीच खोल दिये गये हैं और वे किस-किस तारीख को खोले गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

(क) डाकघर---	कोई नहीं।
सार्वजनिक टेलीफोन घर व संयुक्त डाक-तार घर	नैना देवी (तहसील और जिला बिलासपुर)
	कोई नहीं।
(ख) डाकघर	कोई नहीं।
सार्वजनिक टेलीफोन घर व संयुक्त डाक-तार घर	नैना देवी (तहसील व जिला बिलासपुर) किराया और गारंटी की शर्तें 16-5-72 को मंजूर की गई थीं।

(ग) कोई नहीं। तथापि, नैना देवी में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर व संयुक्त डाक-तार घर खोलने का काम चल रहा है।

संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही

4165. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस मामले पर कार्मिक विभाग के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी-पक्ष के सचिव द्वारा दिये गये एक प्रस्ताव के आधार पर, उनके दिनाँक 17 नवम्बर, 1972 के पत्र में राष्ट्रीय परिषद (मन्त्रिमण्डल सचिव) के अध्यक्ष तथा कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के बीच एक बैठक का आयोजन करने के लिए, 7 दिसम्बर, 1972 को एक बैठक निश्चित की गई थी। तथापि, कर्मचारी-पक्ष के सचिव द्वारा दिनाँक 7 दिसम्बर को सूचित किया गया था कि स्थायी समिति के कुछ सदस्य दिल्ली से बाहर रहने वाले हैं, अतः उनके लिए बैठक में उपस्थित होना सम्भव नहीं हो सकेगा। तथापि, उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि इसी बीच में जिन मामलों पर दिनाँक 29 जुलाई, 1972 को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गतिरोध उत्पन्न हुआ, उनके बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से उन्हें सूचित किया जाये। अध्यक्ष ने अपने 8 दिसम्बर, 1972 के अपने पत्र में कर्मचारी पक्ष के सचिव को सूचित किया है कि शेष मामलों पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक निकट भविष्य में किसी तारीख को आयोजित की जाये,

जिसमें स्थायी समिति के बाहर रहने वाले सदस्यों के लिए भी उपस्थित होना सम्भव हो सके। तथापि, अध्यक्ष ने यह भी इच्छा प्रकट की है कि कर्मचारी पक्ष के सचिव द्वारा कतिपय अनन्तिम तिथियों का सुझाव दिया जाना चाहिए ताकि तदनुसार एक बैठक का आयोजन किया जा सके। कर्मचारी पक्ष के सचिव से इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कर्मचारी पक्ष से कतिपय ऐसी सुविधाजनक तिथियों की सूचना मिलेगी, जिनमें से किसी एक तिथि को शेष मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई जा सके, इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

धनबाद के निकट जीतपुर कोयला खान में हुए भूमिगत विस्फोटों के परिणामस्वरूप लगभग 50 कामगारों की मृत्यु।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"धनबाद के निकट जीतपुर कोयला खान में भूमिगत विस्फोटों और उनके परिणामस्वरूप—लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो जाने तथा अनेक कामगारों के घायल हो जाने का समाचार।"

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : मुझे बड़े दुख के साथ सदन को यह बताना पड़ रहा है कि 18 मार्च, 1973 को रात्रि के लगभग 8 बजे मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की नूनूडीह-जीतपुर कोयला खान में, जिसका प्रबन्ध अब भारत सरकार के हाथ में है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप 47 कामगारों की मृत्यु हुई है और लगभग अन्य 20 कामगारों को चोटें आई हैं।

मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की नूनूडीह-जीतपुर की कोयला खान बिहार राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। यह धनबाद से लगभग 14½ किलोमीटर की दूरी पर है। इस कम्पनी का प्रबन्ध (अन्य बातों के साथ-साथ कोयला खानें भी शामिल हैं) जुलाई, 1972 में भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया था।

खान में 3 पारियों में काम होता है। पहली पारी सुबह 8 बजे, दूसरी सायं 4 बजे और तीसरी रात 12 बजे से आरम्भ होती है। रविवार के दिन खान में छुट्टी होती है। परन्तु रविवार को रख-रखाव कार्य तथा अन्य विशेष कार्य चलते रहते हैं।

यह दुर्घटना रविवार, 18 मार्च, 1973 को दूसरी पारी में लगभग रात को 8 बजे हुई। इस पारी में भूमि के नीचे रख-रखाव, मरम्मत और सामान को अपनी जगत पर रखने आदि का काम किया जा रहा था। इस पारी में 102 कामगार काम कर रहे थे। यह दुर्घटना खान की सीम नं० 14, जो लगभग 450 मीटर की गहराई पर है, में हुई।

महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद, को इस दुर्घटना की सूचना रात 8.30 बजे मिली। खान सुरक्षा के उपमहानिदेशक तत्काल दुर्घटना स्थल को चल दिए। उनके साथ निदेशक, खान सुरक्षा (उत्तरी खण्ड) तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के दूसरे अधिकारी भी गए। धनबाद के खान-बचाव केन्द्र से बचाव दल भी तत्काल खान को भेजे गये और पहिला बचाव दल रात को 9.30 बजे खान में चला गया था। बचाव कार्य 24 घन्टे चलता रहा और 20 मार्च, 1973 को प्रातः 8 बजे तक 47 शव निकाले जा चुके थे। बनाए गए 13 कामगारों को खान के हस्पताल, टाटा के इस्पात और कोयला खान कल्याण संगठन के केन्द्रीय इस्पात में डाक्टरी देखभाल और चिकित्सा के लिए दाखिल कर दिया गया।

खान सुरक्षा निदेशक, उत्तरी खंड, धनबाद, जिनके क्षेत्राधिकार में यह खान है, इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारी इस काम में उनकी सहायता कर रहे हैं। अब तक उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना प्रज्वाल्य गैस के विस्फोट के कारण हुई है परन्तु आग भड़कने के वास्तविक कारण की जांच की जा रही है।

खान में लगभग 2700 कामगार काम करते हैं और इसमें से हर माह लगभग 3500 टन कोयला निकलता है। अधिकांश सीमों में दो या तीन दिनों में और सीम नं 14 में बचाव कार्य पूरा होने के पश्चात् आंशिक रूप से उत्पादन होने लगेगा। मशीनों और अन्य उपकरणों को हुई हानि का अनुमान अभी लगाया जाना है आरम्भतः प्रबन्धकों ने मृतक कामगारों के परिवारों को 500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की है और कानून के अन्तर्गत पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी विचार है कि जहाँ कहीं संभव होगा प्रत्येक मृतक कामगार के परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए ताकि जिन परिवारों के रोटी कमाने वाले लोग नहीं रहे हैं उनकी तकलीफों को कम किया जा सके।

श्रम मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी, स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एम० ए० वदूद खां तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के संरक्षक श्री अरविन्द रे के साथ मैं 20 मार्च, 1973 को खान देखने गया था और खान सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों, खान के प्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न मजदूर संघों के नेताओं से मिला था। श्री रेड्डी और मैं भूमि के नीचे खान की सीम नं० 14 तथा विस्फोट से प्रभावित कुछ गैलरियों को देखने गए थे।

इस बीच इंडियन आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों ने सरकार को सूचित किया है कि श्री ए० चौधरी को, जो दुर्घटना के समय खान के प्रबन्धक थे, नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है।

स्पष्ट है कि यह एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ है, अतः दुर्घटना की जांच करने के लिए भारत सरकार ने खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन एक जाँच अदालत बिठाने और उत्तरदायित्व निश्चित करने का फैसला किया है। तकनीकी और विशेषज्ञ असेसर अदालत के काम में सहयोग देंगे।

भारत सरकार की ओर से मैं इस अति दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए कामगारों के परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने मुझे सदन को यह सूचित करने को कहा है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 1000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

डा० रानेन सेन : कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों ने मरने वालों की संख्या 47 और 50 बताई है। अतः मरने वालों की संख्या के बारे में ठीक पता लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार से दुर्घटनाओं से यह पता चलता है कि हमारी खानों का प्रबन्ध ठीक से नहीं हो रहा। क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि यह खान गैस युक्त थी और खान सुरक्षा के महानिदेशक तथा उनके विभाग ने इन खानों की कभी भी जांच नहीं की ? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह कोयला खान बहुत अधिक यंत्रीकृत खान थी। अतः गैस हटाने के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं थी। क्या सरकार ने खान सुरक्षा संगठन के क्रिया कलापों का कोई मूल्यांकन किया है? क्या मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि इस विशेष खान में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं थे? समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि हवा की निकासी वाले पंखों को बंद करने से गैस अधिक जमा हो गई। 102 व्यक्तियों को जमीन के नीचे भेजा गया और पंखे बन्द कर दिये गये ? यह समाचार कहाँ तक सच है ?

समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में खनिकों को नीचे भेजने के समय सहायक मैनेजर का वहां पर उपस्थित होना जरूरी होता है परन्तु इस अवसर पर ऐसा नहीं था। यह समाचार कहाँ तक सच है ?

कलकत्ते के दो समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि दुर्घटना वाली खान से 50 मील की दूरी पर स्थित सीतारनपुर के खान बचाव केन्द्र से आक्सीजन गैस के सिलेन्डर मंगवाए गए। कितने दुःख की बात है कि दुर्घटना धनबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर हुई और गैस के सिलेन्डर वहां से 50-60 मील दूरी पर स्थित केन्द्र से मंगवाये गये। यदि यह समाचार सच है, तो सारे खान विभाग को सजा दी जानी चाहिए। सभी मजदूर संघों ने भी दुर्घटना का कारण प्रबन्धकों की असावधानी बताया है। कलकत्ता के समाचार पत्र में खान सुरक्षा के महानिदेशक पर भी दोषारोपण किया गया है। परन्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच का कार्य भी उन्हीं दोषी अधिकारियों को ही सौंपा गया है। सरकार क्या इस जांच के अतिरिक्त एक अन्य जांच समिति के गठन पर विचार करेगी जिसमें वहां से मजदूर संघों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

कलकत्ता के समाचार पत्रों में सभी उच्च अधिकारियों पर दोषारोपण किया गया है।

अतः निष्पक्ष और सम्पूर्ण जांच के लिए उच्च प्रबन्धकों को वहाँ से हटाया जाए अथवा निलम्बित किया जाए।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : माननीय सदस्यों ने खान सुरक्षा के महानिदेशक के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मुझे उस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह कर केवल इतना ही कहना है कि माननीय सदस्य कुछ भ्रान्ति में हैं। यदि उन्होंने मेरा वक्तव्य ध्यान से पढ़ा होता, तो उन्होंने देखा होता कि उसमें दो बातों का उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि खान सुरक्षा निदेशक द्वारा दुर्घटना की जाँच की जा रही है। दूसरे सरकार का विचार खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन न्यायिक जाँच करवाने पर सोच रहो है। खान सुरक्षा निदेशक की जांच तो एक प्रकार से विभागीय जाँच है। न्यायिक जाँच उससे स्वतन्त्र जांच है।

न्यायिक जांच के अन्तर्गत दुर्घटना के लिए उत्तरदायी सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। यह जाँच निष्पक्ष होगी अतः सदस्यों को इस सम्बन्ध में मन में कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने यह भी 'आरोप' लगाया है कि खान सुरक्षा के महानिदेशक ने इन खानों का कभी निरीक्षण नहीं किया। न्यायिक जांच में खान सुरक्षा के महानिदेशालय के कार्यकरण के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। मेरी जानकारी के अनुसार खान सुरक्षा के महानिदेशक ने खान के दोषों के सम्बन्ध में 22 फरवरी और 13 मार्च, 1973 को प्रबन्धकों को लिखा था। खान सुरक्षा संगठन इस क्षेत्र में सुरक्षा-उपबन्धों की ओर पर्याप्त ध्यान देता रहा है।

जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों की बात है, मजदूर संघों के नेताओं के साथ मेरी बातचीत के दौरान यह बात नहीं उठाई गई।

यह ठीक है कि खान के रोशनदान के बन्द होने एवं गैस जमा होने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। परन्तु इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि न्यायिक जांच में इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा।

हमने परत संख्या 14 में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया और जब तक सुरक्षा सम्बन्धी सारी बातों की ओर से हम निश्चिन्त नहीं हो जाते, तब तक वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। सहायक मैनेजर आदि अधिकारियों के आचरण पर भी न्यायिक जांच के दौरान विचार किया जायेगा। इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने भी उस दिन खान के प्रभारी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की है। खानों की सुरक्षा एवं समुचित कार्यकरण से सम्बन्धित सभी अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

आक्सीजन गैस के सिलैन्डरों को चार मील दूर स्थित बचाव केन्द्रों के स्थान पर 56 मील दूर से मंगवाने की बात की गई है। हर बात के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हां, जहां पर उनकी गलती हो, हमें उन पर दोष लगाना है। न्यायिक जांच में मजदूर संघों और अन्य हितों को सम्बद्ध किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : सन्तप्त परिवारों को क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब के क्या कारण है ? गैस जमा होने और पंखों के बन्द होने के बारे में माननीय मंत्री के विचार क्या हैं ? खान सुरक्षा संगठन के प्रतिवेदन में खान के गैस युक्त होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख है अथवा नहीं ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मेरा विचार है कि क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । दुर्घटना रविवार की रात्रि को हुई । सोमवार को सभी लोग बचाव कार्यवाहियों में लगे थे । उसके तत्काल पश्चात अनुदान दिया गया । पंखों के बन्द होने के सम्बन्ध में तो बातें हमारे सामने आईं, उनके आधार पर कार्यवाहक मैनेजर को निलम्बित किया गया है ।

खान सुरक्षा के निदेशक तथा 34 महानिदेशक दुर्घटना के तुरन्त पश्चात वहां पहुंचे और वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जय नगर) : कुछ समय पूर्व हजारी बाग जिले के निकट कुछ श्रमिकों पर गोलियां चलाई गईं और अब श्रमिकों के साथ यह दूसरी घटना है । उस अवसर पर भी माननीय मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार तथा पिछले मालिकों पर है । उस समय हमने यह चेतावनी दी थी कि कोयला खानों को अधिकार में लेने के पश्चात पुराने मालिक तोड़फोड़ के प्रयास कर रहे हैं । हमने यह भी कहा था कि बहुत से अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं और यह सब कुछ सरकारी क्षेत्र को असफल करने के लिए किया जा रहा है ।

दुर्घटना हो सकती है। परन्तु यह दुर्घटना तो खान सुरक्षा के महानिदेशक के कार्यालय के ठीक निकटस्थ क्षेत्र में घटित हुई है। दुर्घटना वाला दिन रविवार का दिन था, महानिदेशक छुट्टी पर था, मैनेजर भी वहां पर उपस्थित नहीं था । उससे पूर्व कुछ दोष बताये गये थे । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारा यह आरोप है कि धनवाद स्थित खान सुरक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारी ही इसके लिए उत्तरदायी हैं।

माननीय मन्त्री को इस बात से दुख हुआ है कि दुर्घटना को अपराध की संज्ञा क्यों दी गई । परन्तु इस प्रकार की दुर्घटना क्या अपराधिक असावधानी नहीं है ? यह कहा जा सकता है कि यह दुर्घटना अपने आप हुई । उसे रोका नहीं जा सकता था । परन्तु यदि इसे रोका जा सकता था, तो यह अवश्य असावधानी है जो कि अपराध है ।

महानिदेशक का कार्यालय जो जांच कर रहा है, हमें आशंका है कि उसके दौरान सारी साक्ष्य नष्ट कर दी जायेगी जिसके कारण न्यायिक जांच के दौरान सभी उत्तरदायी अधिकारी साफ-साफ बच निकलेंगे । सारा दोष छोटे-छोटे अधिकारियों पर डाल दिया जायेगा । इसी कारण हम खान सुरक्षा निदेशालय एवं प्रबन्धकों के उच्च अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं । कम से कम उन लोगों को वहां से अन्यत्र भेजा जाना चाहिये । फिर यदि सभी पहलुओं की न्यायिक जांच होनी है, तो अधिकारियों को वहां पर भेजने की आवश्यकता ही क्या है ।

दुर्घटना धनबाद से थोड़ी दूरी पर हुई । वहां पर टेलीफोन सम्पर्क है, वहां के लिए अच्छी सड़क भी हैं परन्तु बचाव दल $1\frac{1}{2}$ घंटे के पश्चात वहां पर पहुंच सका ; जल्दी वहां पहुंच कर कुछ

और लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। माननीय मंत्री ने पंखों को बन्द करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। क्या पंखे बन्द थे अथवा नहीं ? शायद वह यह जानकारी सदन से रोकना तो नहीं चाहते ? क्या इस सब के पीछे कोई तोड़फोड़ का हाथ तो नहीं है ? क्या इस पहलू की भी जांच, की जायेगी ?

क्या इस दुर्घटना के मूल में यह बात तो नहीं कि यदि सरकार का प्रबन्ध असफल हो जाये, तो खानों को पुनः पुराने प्रबन्धकों के अधीन कर दिया जायेगा ? यह दृष्टिकोण भी क्या सरकार के सामने है अथवा नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या न्यायिक जांच में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : महानिदेशक उस समय बीमारी के कारण छुट्टी पर थे। दुर्घटना की सूचना 8.30 बजे प्राप्त हुई और सभी प्रबन्ध पूरे करने के पश्चात खान सुरक्षा महानिदेशालय के बचाव दल 9.15 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। अतः इस सम्बन्ध में कोई दोषी नहीं हुई।

दूसरे दुर्घटना का कारण पता लगाकर ही उसके सम्बन्ध में उत्तरदायित्व नियम किया जा सकता है। उससे पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि इस बात से अथवा उस बात से दुर्घटना रोकी जा सकती थी। दुर्घटना स्थल की प्रारम्भिक जांच के आधार पर मेरा और श्रम मंत्री का यह मत है है कि खान सुरक्षा के महानिदेशालय के अधिकारियों पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी मैं कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा। न्यायिक जांच के दौरान सारे रिकार्ड आदि देखने के पश्चात् ही कोई अन्तिम मत व्यक्त किया जा सकता है।

साक्ष्य को नष्ट करने सम्बन्धी आशंका का आरोप बड़ी विचित्र बात है। मैंने मजदूर नेताओं के साथ लगभग एक घंटा बातचीत थी। उसके दौरान किसी ने भी इस प्रकार की कोई आशंका व्यक्त नहीं की। खान सुरक्षा निदेशालय पर इस कार्य का सांविधिक उत्तरदायित्व है। अतः उनसे यह रिकार्ड लेने के लिए कोई आधार नहीं है।

पखों को बन्द करने के आरोप के सम्बन्ध में विवादास्पद बातें कही जा रही हैं। अत: कोई भी मत व्यक्त करना उचित नहीं है। न्यायिक जांच के दौरान इस पहलू पर विचार किया जायेगा और तभी कोई निश्चित मत कहा जा सकेगा।

अभी तक सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जिसके आधार पर दुर्घटना का सम्बन्ध तोड़फोड़ से जोड़ा जा सके। परन्तु यदि कोई ऐसी बात होगी तो न्यायिक जांच में इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा।

अब तक सरकार के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने अपना कार्य कुशलता से नहीं किया। अतः उन्हें निलम्बित करने का कोई आधार नहीं है। माननीय सदस्य का मत है कि खानों के औपचारिक राष्ट्रीयकरण में देरी भी आंशिक रूप से दुर्घटना का कारण है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध सरकारी नियन्त्रण में है। अतः दुर्घटना सरकारी नियन्त्रण के अधीन हुई है। यदि औपचारिक राष्ट्रीयकरण हो भी चुका

होता, तो स्थिति में कोई अन्तर न होता। जांच के संगठन के सम्बन्ध में जो भी उचित तथा आवश्यक होगा, किया जायेगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : व्यक्तव्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्घटना का आंशिक दोष प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रबन्धकों पर है ! चाहे सरकारी खानों की बात हो अथवा गैर-सरकारी खानों की बात, हम अभी तक कोयला खानों के मजदूरों को यह सुनिश्चित नहीं करवा सके कि उनकी सुरक्षा के समुचित उपाय किये जा रहे हैं। तत्सम्बन्धी रिपोर्टों को देखने से प्रतीत होता है कि 1964-70 की अवधि में बचाव उपायों के आधुनिकीकरण, अधिक उपकरणों के आयात आदि के उपरान्त भी दुर्घटनाओं की दर में वृद्धि हुई है।

हम जानते हैं कि खान मालिक मजदूरों का शोषण करते थे और उनके बचाव उपायों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परन्तु खानों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बाद भी अधिकारियों का रवैया मजदूर वर्गों के बचाव की ओर वही पुराना ही है।

माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दुर्घटना रविवार को हुई और कुछ लोग रखरखाव व मरम्मत कार्यों के लिए खान में गये। उनमें से 47 मजदूरों की मृत्यु हो गई। परन्तु वक्तव्य में यह नहीं बताया कि उस दिन नीचे परत संख्या 14 में जाने वाले श्रमिकों में से रखरखाव विभाग के श्रमिक कितने थे।

दूसरे, मैं जांच अदालत के बारे में श्री भोगेन्द्र झा और डा० रानेन सेन के विचारों से सहमत हूं, अगर यह खान सुरक्षा अधिनियम की धारा 24 के उपबन्धों से अन्तर्गत है। पिछली घटनाओं और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि खान सुरक्षा अधिनियम में एक प्रकार का संशोधन करें, जिससे प्रबन्धकों के बिना किसी हस्तक्षेप के श्रमिकों के प्रतिनिधि जाँच अदालत के सामने उपस्थित हो सकें।

मजदूर संघों की यह काफी लम्बे समय से मांग रही है कि प्रबन्धकों को कर्मचारियों में से कुछ निरीक्षक नियुक्त करने चाहिएं। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि महानिदेशालय के उच्च अधिकारियों ने एक गुट बना रखा है और निरीक्षक स्वतन्त्र रूप से काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि दिनों दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खानों के अधिग्रहण के बाद खान सुरक्षा के महा निदेशक द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जहाँ तक सुरक्षा सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है, सेवा शर्तों में कोई सुधार नहीं हुआ है।

जब कोई विमान दुर्घटना होती है, तो यात्रियों के आश्रितों को किसी न किसी बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा मिलता है, परन्तु कोयला खान मजदूरों को उनकी उचित और जायज भविष्य निधि की राशि भी नहीं मिलती, चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की तो बात ही छोड़िए। क्या मन्त्री महोदय खान मजदूरों के लिए कोई बीमा योजना शुरू करेंगे, ताकि उनके परिवारों के लिए भविष्य में कोई प्रबन्ध हो सके ?

मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि उस दिन केवल रखरखाव से सम्बन्धित व्यक्ति ही अन्दर थे और अन्य लोग नहीं। 102 व्यक्ति अन्दर थे, 55 ऊपर आ गये और 47 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । ऊपर आने वाले व्यक्तियों में एक को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और आशा है जो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है, वह भी ठीक हो जायगा ।

जहां तक कर्मचारियों का पक्ष जांच अदालत के समक्ष रखने का प्रश्न है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है । धारा 24 के अनुसार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता । हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेंगे कि जांच अदालत के समक्ष अपना पक्ष विस्तार से प्रस्तुत करने की कर्मचारियों को सुविधा हो ।

जहां तक कर्मचारियों में से निरीक्षक नियुक्त करने का प्रश्न है, हमने इसपर गम्भीरता से विचार नहीं किया है । मैं श्रम मन्त्री के साथ मिलकर विचार करूंगा कि क्या इस किस्म के पविर्तन किये जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा संगठन के प्रति कर्मचारियों में विश्वास होना चाहिए ।

उच्च अधिकारियों के प्रति लगाये गये आरोपों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । सम्भव है, उनमें से कुछ ने गलती की हो। परन्तु मैं श्रम मन्त्री के साथ कल धनबाद गया था और हमने पाया कि खान सुरक्षा से महानिदेशालय ने एक बहुत कठिन स्थिति में अच्छा काम किया और मजदूर संघ नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की थी। एक बड़े विस्फोट के फौरन बाद खान के अन्दर वे गये इससे उनकी चिन्ता का पता चलता है और 36 घण्टे तक लगातार काम किया। परन्तु जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगा ।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि खतरनाक परिस्थितियों में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए अधिक मुआवजे वाली बीमा योजना लागू की जाय । मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए आभारी हूं और इस प्रस्ताव की मैं जांच करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री यमुना प्रसाद मंडल-अनुपस्थित । श्री मुख्तयार सिंह मलिक-अनुपस्थित

वित्त मंत्री के सभा से अनुपस्थित होने के बारे में

RE. ABSENCE FROM THE HOUSE OF THE MINISTER OF FINANCE

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रमजीवी पत्रकार हड़ताल पर हैं । आज कोई समाचार पत्र नहीं छपा है । मन्त्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि मन्त्री महोदय आज दिन में इस बारे में एक वक्तव्य देंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री की अनुपस्थिति का मामला सदन में उठाने के लिए आपने कृपा करके मुझे अनुमति दे दी है। यह एक असाधारण सी बात है। जिस समय बजट सत्र जोर शोर से चल रहा है, उस समय वित्त मन्त्री विदेश में एक ऐसे सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन सप्ताह तक सदन से अनुपस्थित रहेंगे, जिसमें सलाहकारों के भाग लेने से भी काम चल सकता था। बजट सत्र के अत्यधिक व्यस्त समय में तीन सप्ताह तक सदन से अनुपस्थित रहना सदन का अपमान है। संसदीय कार्य मन्त्री ने मुझे श्री चव्हाण का पत्र दिखाया था, परन्तु उसमें में वित्त मन्त्री ने अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई दुख प्रकट नहीं किया है और न ही क्षमा याचना ही की है।

श्री मावलंकर के समय जब वह लोक सभा के अध्यक्ष थे, यह परम्परा निश्चित की गई थी कि वित्त मन्त्री, केवल अपने मन्त्रालय की मांगों पर सदन में विचार के समय ही नहीं, बल्कि अन्य मन्त्रालय की माँगों पर विचार के समय भी सदन में उपस्थित रहेंगे।

बजट के अत्यधिक व्यस्त समय में में वित्त मन्त्री तीन सप्ताह के लिए अमरीका चले गये हैं और इसके लिए उन्होंने कोई खेद भी प्रकट नहीं किया है। मुझे मन्त्री महोदय के इस व्यवहार के प्रति घोर आपत्ति है। प्रधान मन्त्री को सदन के नेता की हैसियत से सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। परन्तु इस समय सदन की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा की रक्षा करने की कोई परवाह ही नहीं करता। इसलिए मैं विशेष रूप से वित्त मन्त्री की अनुपस्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं माननीय सदस्य के कथन का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (वेगुसराय) : ऐसे मामलों में यह प्रथा निर्धारित की जानी चाहिए कि मन्त्री महोदय को विशेष रूप से बजट सत्र के दौरान विदेश जाने से पूर्व सदन की अनुमति लेनी चाहिए। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० **राघुरामैया**) : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए वित्त मन्त्री भी किसी से कम उत्सुक नहीं हैं। मैं इस बारे में श्री एच० एन० मुकर्जी सहित सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री महोदय ने उन असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनसे वाध्य होकर वित्त मन्त्री को विदेश जाना पड़ा है।

वित्त मन्त्री तीन सप्ताह के लिए विदेश नहीं गये हैं, वह केवल इस महीने की 30 तारीख तक ही बाहर रहेंगे। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समिति 20 और ग्रुप 24 की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी स्थितियों में वहां सलाहकारों के बजाय मन्त्री की उपस्थिति आवश्यक है ताकि उच्चतम स्तर पर निर्णय किया जा सके। 30 तारीख तक तो वह वापस ही आ जायेंगे। इसलिए सदन इस स्थिति को स्वीकार कर लेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? अध्यक्ष को पत्र लिखने के बजाय सदन से अनुमति क्यों नहीं ली गई ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : उक्त पत्र सभी सदस्यों में परिचालित किया जाये ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Mr. Speaker, Sir, you kindly direct that such a wrong practice would not be continued.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत आपको पत्र लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 इसके लिए नहीं है । आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं··· (**व्यवधान**) मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायगा । मैंने केवल एक सदस्य को अनुमति दी है और उनका नाम पुकारा है (**व्यवधान**) चर्चा का कोई प्रश्न नहीं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (**व्यवधान**) आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अनुदानों की माँगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्ष 1973-74 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कृषि मंत्रालय
(दो) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(तीन) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(चार) भारी उद्योग मंत्रालय
(पांच) औद्योगिक विकास मंत्रालय
(छ) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय
(सात) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(आठ) पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय
(नौ) परमाणु ऊर्जा विभाग

[**ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये** संख्या एल० टी० 4542/73]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं "कि राज्य सभा को, लोक सभा से विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 1973 को पास किया गया था, कोई शिफारिश नहीं करनी है।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

सरदार बूटा सिंह (रोपड़) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग)-भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, और उनके नियोजन तथा भारतीय बीमा निगम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गयी सुविधाओं/रियायतों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सबंधी समिति का 15 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

मधुबनी बिहार के बुनकरों की कठिनाईयों के बारे में

RE. DIFFICULTIES OF WEAVERS OF MADHUBANI, BIHAR

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) **:** बिहार के मधुबनी जिले में 25,000 बुनकरों के परिवार हैं। वे भूमिहीन और निर्धन हैं और यार्न तथा अन्य कच्चे माल की भारी कीमतों के कारण वे बेरोजगार हो गये हैं। वे वाध्य होकर अपने राज्य को छोड़कर बम्बई और अन्य स्थानों में नौकरी ढूंढ़ने के लिए जा रहे हैं। वे भूखे मरने की स्थिति में आ गये हैं। सरकार इस बारे में वक्तव्य दे और उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के बारे में सदन में 1 फरवरी को हमने एक घोषणा की थी। इस बीच नियम और विनियमों को बनाया जा चुका है और राज्य सरकारों को भी इस आशय के समुचित आदेश दे दिये गये हैं कि वे आवंटित यार्न को उठायें और सम्बद्ध बुनकरों को डिलीवरी करें। हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया है अब आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है।

अनुदानों की मांगें (रेल) 1973-74 — जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1973-74 Contd.

Shri Sadhu Ram Phillaur : I would like to say something regarding reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The honourable Minister should find out the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in grade I, grade II and grade III. Great injustice and discrimination is being done to them. Their services are terminaed on one count or the other. The general Managers in various zones are not prepared even to have negotiations with the staff.

The discrimination should be done away with immediately. Even the Ministers should be ready to listen of the grievances of the people or the unions whether recognised or unrecognised and should try to remove their difficulties.

There is very much bungling in Railway Board. The vendors have to give bribes to the officers. When any complaint is made against any officer, the Railway Board refers it to the lower officers and whatever is written by the lower officers is supplied to us.

The candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should get their quota reserved according to their population. They should also get representation in Railway Service Commision according to their population.

The Scheduled Castes and Scheduied Tribes Unions should be recognised by the Railway authoities. The members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Upliftment Union are harassed and reverted and their services are terminated.

The posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not filled from among the candidates belonging to this category on the plea that the qualified persons are not available from the members of Scheduled Castes/Tribes.

A cell should be set up to see and examine the areas where injustice is being done to the persons belonging to this category. The dependants and children of the poor vendors are not given any job after the death of the vendors.

If you bring about reforms in your Department in the lines suggested, I would congratulate you.

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे श्रम मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद रेल बजट की अनुदानों की मांगों पर बहस जारी रहेगी और तत्पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : For the last eighteen years, I have been urging upon the Railway Department to construct a new line to Bundi, but this small lines of 22 miles has not been constructed so far. There are lines such as Ganganagar to Himmat Nagar and Guna to Makshi, which are incurring losses to the extent of crores of rupees. But these lines were constructed under pressure. The Ministers give certainsassurance and then back out.

There is serious situation of famine in 24 districts of Rajasthan. The chief Minister of Rajasthan had written many a times to provide free land and labour, but the Minister is not prepared to construct even a single Railway line in Rajasthan, whereas four railway lines have been constructed in Maharashtra.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

400 new persons have been recruited in Railway Department, but not even ten employees belonging to Scheduled Castes have been recruited. Arbitrary recruitment is being made in Railway workshop. The officers have been mis-appropriating thousands of rupees, but no action has been taken against them.

There may be more production of wagons, if wagon repair shop in Kota is converted into a wagon manufacturing unit.

If a new Railway line is constructed from Jhalawar road to Jhalawar, there may be more development in this area. The metre gauge railway lines between Sawai Madhopur to Jaipur as well as between Ratlam-Indore-Ajmer should be converted into broad gauge line. If this is done, food-grains could be moved to other places conveniently.

P. H. wagons which could be used for distance upto 400 kms. are lying unutilized

The cost per passenger in Rajdhani Express, comes to nearly Rs. 10,00,599/-, because Rajdhani Express is passed on by detaining other trains.

There are 48,000 Commereial Clerks in Railway Deptt., but they have been put in the non-essential category. Their responsibility would not be reduced until handling work is taken over by the Railway.

80 wagons are attached to the guards' train, whereas there are only 18 compartments in other trains. Guards should also be provided with cells alongwith torches. The Brake wagon should be of the load of 18 tons instead of 12 tons.

There are about 60-70 thousand substitute masters. They should be given the pay and allowances at the central rate.

The station masters are transferred from one station to other station without going into the implications thereof.

The jeep provided in the office of Northern Railway, Jodhpur is being misused. An amount of Rs. 13,000 was spent on the construction of latrines in Sophia School, Kota, because the sons of officers are studying in that school. (*Interruptions*). If you really want to bring about socialism, the third class fare should not have been increased.

The stone plots of Railway should be given at the rate of one thousand of rupees per plot. The canteens should be allotted through auction. The reservation Forms and order Forms should be sold at the rate of five paise per form to avoid wastage or misuse of such forms. The third class fare should not be increased and Kota to Chittor line should not be forgotten.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The railway land near the rail tracks all over the country and especially in the cities is a virtual hell. If you go to Shahdara, you would find stinking water on both sides of the Track.

I would request the honourable Minister to make a personal inspection himself and find out the causes thereof. The people who throw away dirt on the railway track should be fined. I have not seen even an inch of slums in Africa, China, Soviet Union or Europe. You have got all the goods train at your disposal, you can fill up the slums on both sides of the track. There should be a jointmeeting of corporation, D.D.A., Railways and citizens, so that a solution could be found to remove this filth.

Today, we talk about the representation of labourers in the management. There should also be one Railway Union Federation and that federation should be constituted in a democratic system. You should give representation to that Federation on the Railway Board. The Railway Unions can prove to be most useful in security matters. The Zonal Committees should be set up and in those committees representa tion should be given to the labour. The work of the lower staff in also as important as the work of the officers.

The facilities being provided in big citis like Bombay and Calcutta should also be provided in Delhi keeping view its grawing population.

***श्री एम० एम० जोजफ** (पाडे) : भारतीय रेलवे सरकारी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा उपक्रम है। रेलवे व्यवस्था का सुधार करने के लिये रचनात्मक योजनायें बनायी जानी चाहिये। आने वाले वर्षों में माल के आवागमन और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये नई लाईनों का खोला जाना जरूरी है।

रेलवे में कर्मचारियों को सिली सिलायी वर्दियों के स्थान पर वर्दी भत्ता ही दिया जाना चाहिये जैसे कि अस्पतालों में किया जाता है।

एक ही गाड़ी को जो दो नम्बर दिये जाते हैं, उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अतः एक गाड़ी के लिये एक ही नम्बर होना चाहिये।

केरल के इड्डीकी जिले में कोई भी रेलवे लाईन नहीं है तो इस जिले में एक रेलवे लाईन बिछायी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मदुरै को भी रेलवे लाईन द्वारा कोचीन से जोड़ा जाना चाहिये।

श्री ए० एस० कस्तूरे (खामगांव) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की रेलवे सम्बन्धी कुछ कठिनाईयों का जिक्र करूंगा। खामगांव और जालना के बीच एक बड़ी लाईन बनायी जानी चाहिये। इस लाईन का काम बहुत वर्ष पहले शुरू किया गया था जो अब तक भी पूरा नहीं हुआ। इस लाईन के काम को कई वार शुरू किया गया था लेकिन कभी भी इसे पूरा नहीं किया गया। इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था और अब इसे पांचवीं योजना में भी प्राथमिकता दी गयी है।

महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाईनें बनाये जाने का सुझाव दिया है जिसमें से शोलापुर उस्मानाबाद-भीड़-औरंगाबाद-जलगांव लाईन (अजंता होकर) भी एक है। अजंता गुफाएं भी इसी लाईन पर आती हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह लाईन लाभदायक होगी।

एलोरा से हिंगुली के बीच भी एक लाईन होनी चाहिये। अमनवाडी और लोहारगढ़ के बीच भी एक स्टेशन बनाया जाना चाहिये।

28 अप वाराणसी एक्सप्रेस को महाराष्ट्र एक्सप्रेस से जोड़ा जाना चाहिये। इसी प्रकार सूरत से आने वाली गाड़ी का भी भुसावल पर नागपुर से आने वाली गाड़ी से सम्पर्क किया जाना चाहिये।

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated version based on English on Translation as the speech delivered in Malayalam.

मनमाड-पारलीवैजीनाथ मीटर गेहज लाईन को ब्राड गेज लाईन में बदलने के लिये इसे रेलवे की मांगों के बीच शामिल किया जाना चाहिये ।

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar) : Telangana area has totally been neglected in the matter of railway lins after independence. There is great need for construction of Ramgundram—Hizamabad line. I will go on hunger strike in front of the Minister's residence if this line is not laid.

The number of murders is increasing in the railways. The secerity aggrangements in the railways should be tightered. There should be direct express train from Delhi to Hydrabad which will reduce the journey time by about 6 honrs. More punctuality should be observed in the arriwal and deporture of trains.

श्री वसंत साठे (अकोला) : हर रेलवे स्टेशन पर उस स्टेशन के नाम का बोर्ड होना जरूरी है ताकि यात्री जान सकें कि वे कहां पहुंचे हैं ।

अब रेलवे में छोटे छोटे टिन के डिब्बों में खाना दिया जाना शुरू कर दिया गया है । इस खाने में केवल तेल या डालडा से बनी चार पूरियाँ तथा थोड़ी सी मिठाई होती हैं जिससे व्यस्क तो क्या एक डब्बे का भी पेट नहीं भरता । इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे होता है । खानपान की वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना चाहिये । रेलवे का उद्देश्य मितव्ययता तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता होना चाहिये । रजूर को अदिलाबाद से जोड़ा जाना चाहिये । इससे रेलवे की भी आय में भी वृद्धि होगी और साथ ही इस क्षेत्र की स्थिति में भी सुधार होगा ।

यदि टिकट चैक करने वाले कर्मचारी कार्यचारी कार्यकुशल हों तो इससे अवश्य ही बिना टिकट यात्रा में कमी होगी । आपको इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे यह स्टाफ कार्यकुशल बन सके । इनकी माँगों को पूरा किया जाना चाहिये ।

आपने 20 मील की यात्रा के लिये रियायत दी है । यदि मासिक पास होल्डरों को भी इसी प्रकार की रियायत आप दें तो इससे उन तीसरे दर्जे के सर्वसाधारण लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा ।

आज रेलवे सुरक्षा दल का आदमी क्या काम करता है । बिना शस्त्रों के वे रेलवे सम्पत्ति की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं । रेलवे सम्पत्ति को 20 करोड़ रुपये की हानि पहुंचायी गयी है । उन्हें पूरे शस्त्रों से लैस किया जाना चाहिये ताकि रेलवे सम्पत्ति पर आक्रमण करने वाली मिली भीड़ पर वे गोली चला सकें । आपका लक्ष्य रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा होना चाहिये । यह राष्ट्र की सम्पत्ति है ।

रेलवे में बहुत से कर्मचारी अस्थायी हैं । अस्थायी होने के कारण वे अपनी नौकरी को सुरक्षित नहीं समझते । उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिये ताकि वे पूरे विश्वास के साथ काम कर सकें ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : The railway line should be extended further from Rishikesh upto Muni-ki-Reti which is hardly 4 km from there. It will help the development of the region which is minerally rich. The railway line upto Dehradun should be extended upto Kalsi.

The criterian regarding the feasibility of a railway line in particular area needs to be modified.

The speed of the Mussorie Fxpress should be accelerated. The route of this train should also be diverted *via* Saharanpur and Meerut.

Bi-weekly Badrinath Express on the Delhi-Dehradun Section during the summer months should be introduced. A direct bogey should be provided from Dehradun to Kalka. The closed S. S. Light Railway should be started again.

Railway holiday homes should be established in Badrinath, Uttar Kashi and other places of tourist interest of the region. The metre gauge line upto Kathgodam should be converted into broad gauge.

Shri V. B. Tarodekar (Nanded) : The Prime Minister gave an assurance that. Manmad-Mudkhad line will be taken up soon because that area was hit by the faminet. Now there are indications that Government may change its mind. The people are very. much agitated over it. It will be a terrible blow if this line is not taken up. The coversion work of this line should be taken up in accordance with the assurance.

Nanded is a sikh pilgrimage who faces great difficulties in the absence of rail link.

The Kadigude-Manmad train usually runs late and the passengers have to face great difficulties on that account. Govt. should see that the train service is improved.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : The hon. Minister should go to the backward areas and hold meetings there especially in Eastern U. P. and Western Bihar. There is no b road gauge line nor any train runs there.

The Railway Budget is prepared in such a way that it cannot be understood easily. It should be so prepared that it is understandable easily.

The Ministry of Railways is ignoring Hindi on a large scale. As per the Order of the Ministry of Railways dated January 5, 1973, a candidate can write his answers in his examination in Hindi but the question Paper will be in English The question papers should be given to the candidates after getthing them translated into Hindi.

The answer-books of the candidates who have written their answers in Hindi have not been examined and their promotion has been detained. Their answer-books should be got examined.

The officers of the Ministry of Railways have ignored the casual labourers. If they are not made permanent, they should at least be given the facilities admissible to permanent employees.

The medium of examinations conducted by the Railway Service Commission is English. This is a great handicap for the candidates of Hindi speaking regions. Hindi should be made the medium of examination for the Hindi speaking candidates.

It is given in a circular of the Government that some preferences will be given to the political sufferers in the mater of recruitment and service in the Railways but in certain cases it has not been done.

I agree to the viewes expressed by my communist friend that there should be one union in one trade and one Federation for all the categories.

Vendors are there in large number in all the Railways. Their condition is worse than that of the casual labourers'. They should be made permanant at the earliest opportunity,

The De-Luxe train must stop at Buxar because it is a station of religious and historical importance.

Quota should be allotted at Moghulsarai in Rajadhani Express and at the same time it should run *via* Varanasi once a week.

All the passengers alight at Phephna and Sagarpali during fairs and if there is stoppage for every train that will be remunerative.

29 U.P. and 30 Down train should be extended upto Varanasi. An overbridge should be constructed near Sultanpur. There was a proposal to construct an overbridge at the railway crossing, Ballia. It is better if the shunting of railway is engines shifted to the eastern side.

Dal Chhapra, Sanwara, Chhanter and Jigni which are halt stations should be converted into full-fledged stations because they are paying.

Coach-factory should be set-up at Gorakhpur and Bareilly because Workshop is already there.

The justification of the lines which are laid on the commercial basis should be considered well. Only the lines giving at least 10 per cent returns should be considered reasonable from the economical point of view. New lines should be laid and metre-gauge lines be converted into broad-gauge lines in the backward areas and this should be done in a planned manner.

Barabanki-Samastipur line is being converted into broad-gauge but it is aimed to be completed by 1976 which is a long period. Its conversion should be completed by 1974.

To connect the North with South and broad gauge line with metre-gauge line in my constituency, arrangement should be made to connect Ara with Sulemanpur, Bhatpur with Rewari and Buxar with Chilbadagaon.

Pedestrians should be allowed to use the bridge over Ghaghra river between Turtipur and Belthara.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : The railway line which existed forty years ago in Saharsa District and destroyed by the Kosi floods has not yet been relaid. I am grateful to the Minister of Railways who has announced in his budget speech that old railway lines would be relaid.

Nirmalli-Bazar is a big business centre in the district of Saharsa. The railway line from Nirmalli Bazar to Saraigarh should be started at the earliest. The proposed bridge on the lateral road should be made a rail-cum-road bridge.

Birpur, a border town is the headquarter of the Kosi Project. It has not been connected with railway so far. This town should be connected with the railway line. The narrow-gauge line from Vathnaha to Bhimnagar should be converted into metre gauge line.

On the north of Saharsa railway station, there is Madhopura Saharsa road. An overbridge should be constructed there.

The trains do not run in time. Arrangements should be made to ensure the punctuality of the trains. For that purpose, there should be more dieselisation of the trains.

At least a long distance train should run *via* Saharsa e.g. the Express train from Ganhati or Jogbani to Luchnow-Allahabad-Kanpur can be utilised for such facility.

The Government may take steps to check ticketless travelling whatever they like but it is my suggestion that co-operation of the local people should be sought.

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : The fare in both the trains—metre gauge line as well as broad gauge line is equal but the facilities provided in metre-gange trains as compared to the broad-gauge trains are far less. The Railway Administration should provide equal facilities.

Waiting-rooms at the varions railway stations are being renovated and all sorts of facilities provided but the waiting-room at Varanasi is in a deplorable condition. The Railway Administration should look into it.

The number of thefts is increasing on the metre gauge sections and it can be put to an end only when metre-gauge lines are converted into broad-gauge lines.

Although two forces *viz.* R. P. F. and G. R. P. are already working to check such crimes but it is unfortunate that there is no coordination between them. Either there should be proper coordination or there should be only one force to ensure security on the railways. The railway employees working at far off places should, as far as possible, be transferred to the places near their homes. The railways will not have to incur heavy expenditure for their transfer.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कर्मचारियों के कल्याण में काफी रुचि दिखाई है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की समस्या को इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखना है कि भारत में रेलवे लगभग 6,0170 किलोमीटर है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।]

[**Shri K. N. Tiwary** *in the Chair*]

रेलवे में लगभग 17 लाख कर्मचारी हैं जिनमें लगभग 3.3 लाख नैमित्तिक कर्मचारी हैं।

कार्मिक संघों के कार्यकरण के बारे में भी बताया गया है। इस समय रेलवे कर्मचारियों की 700 श्रेणियां हैं। यदि श्रेणी-वार कार्मिक संघ बनें तो 700 कार्मिक संघ बन जायें परन्तु भारतीय रेलवे में आज मान्यता प्राप्त दो कार्मिक संघ हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा कि एक ही संघ हो परन्तु यदि कोई ऐसा अवसर आया कि किसी संघ की संख्या के अनुसार हमें चलना पड़ा, तो हम वैसा करने में संकोच नहीं करेंगे।

इस बारे में कुछ संदेह प्रकट किये गये थे कि रेलवे में आधुनिकीकरण करने से क्या कुछ कर्मचारियों की छंटनी हो जायेगी। ऐसा नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा कि उन्हें नये उपकरणों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाये।

जब डीजल और विद्युत से गाड़ियां चलाई जायेंगी तो आपके इंजन चलाने वाले कर्मचारियों का उपयोग किया जायेगा और पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे

के कर्मचारियों को 5,28,900 रिहायशी क्वार्टर, 653 अस्तपताल, 751 स्कूल और तीन इंटरमीजियेट कालेज दिये गये है। उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं दी गई हैं।

जब मैं एक संघ की बात कहता हूं तो उसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य लोग जो सम्बन्धित अधिकारियों के पास अपकी शिकायतें लेकर आये, वे नहीं आ सकते।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : रेलवे के महाप्रबन्धक ने मुझ से यह कह कर मिलने से इनकार कर दिया कि आप कार्मिक संघ के प्रतिनिधि नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य जानते हैं कि वह अधिकारियों से मिलते रहते हैं, मुझ से मिलते रहते हैं और मैं उनसे मिलने में एक सैकड के लिये भी संकोच नहीं करता।

हमने निर्णय किया है कि उन विभिन्न स्टेशनों पर जहाँ माल लादने-उतारने का काम होता है, हमें चाहिये कि उस काम को श्रम सहकारिताओं का दे दें ताकि वहां काम करने वाले श्रमिकों को अपने कठिन परिश्रम का लाभ मिले।

रेल मंत्रालय और श्रमिकों के बीच घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करने के लिये रेलवे के कार्यकरण के इतिहास में पहली बार नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। हम रेलवे के कुशल कार्यकरण के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रायोगिक आधार पर किया जायेगा परन्तु यदि श्रमिकों का सहयोए मिला तो उन्हें प्रबन्धकों से सहयोग मिलने में कमी नहीं रहेगी और इस प्रयोग को सफलता मिल जायेगी।

श्री अर्जुन सेठी और श्री रामावतार शास्त्री ने नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में कहा। रेलवे में लगभग 3.34 लाख नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे हैं इनमें से 80 हजार श्रमिकों को परियोजनाओं के निर्माण पर लगाया गया है। ऐसी परियोजनाओं के निर्माण पर नैमित्तिक कार्मिक भी काफी संख्या में लगाये हुए हैं जो मौसमी अथवा अस्थायी स्वरूप की होती हैं। जब कभी नैमित्तिक श्रमिक फालतू हो जाते हैं तो उन्हें निकटवर्ती स्थानों पर जो काम चल रहा होता है, वहां लगाने का प्रयास किया जाता है परन्तु कठिनाई यह है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते। हाल ही में ऐसे भी प्रयास किथे गये हैं कि जब कोई पद रिक्त हो तो नैमित्तिक श्रमिकों को उन पर लगाया जाये। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक नैमित्तिक श्रमिकों को चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों के लिये योग्य समझा जाता रहा है।

जब से नीति में यह परिवर्तन हुआ है लगभग 50,000 नैमित्तिक श्रमिकों और स्थानापन्न व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर खपाया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : किस अवधि में? पिछले दस वर्षों में?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे विचार से पिछले चार-पांच वर्षों में।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे मे कहा है रेलवे सेवा आयोगों के महाप्रबन्धकों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आबंटित कोटे को पूरा करें। हमें अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी तो मिल जाते हैं लेकिन अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशी नहीं मिल पाते।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : आसाम में बहुत प्रत्याशी हैं।

Shri Sadhu Ram : The Officers make the only excuse.

Shri Mohd. Shafi Kureshi : Now I have become a little familiar with, so they cannot make excuse now.

हमने रेलवे सेवा आयोगों के महाप्रबन्धकों से कह दिया है कि वे न केवल राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में ही अपितु स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में भी रिक्त पदों के लिये विज्ञापन दें और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये अलग परीक्षा लें।

श्री डी० बसुमतारी : परसों मेरे पास कुछ लोग आये और उन्होंने शिकायत की कि उनकी अलग परीक्षा नहीं ली गई। मैंने मन्त्री महोदय को पत्र भेज दिये हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : तकनीकी और क्लर्क कर्मचारियों के लिये महा प्रबन्धकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष ध्यान रखें।

श्री साधू राम ने शिकायत की है कि सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति नहीं है। मैं सभा को जानकारी देता हूं कि रेलवे सेवा आयोग के चार 'चैयरमैन' में से एक अनुसूचित जाति का है और दो अल्प संख्यक समुदायों के। श्रेणी 'ए' के लिये भी इन जातियों के व्यक्ति मिलेंगे तो उन्हें अवश्य लिया जायेगा।

यात्रियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रति वर्ष 2·4 करोड़ रुपये की इस राशि को बढ़ा कर लगभग 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। परन्तु अभी समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि यात्रियों को, जहां तक सभव हो अधिकतम सुविधायें मिलें।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों को होने वाली असुविधा की हमें जानकारी है। मैं सभा को जानकारी दूं कि यात्रियों को डिब्बों में बिजली, पंखे आदि की सुविधा के रख-रखाव में हमें यह कठिनाई है कि चोर और अन्य समाज विरोधी तत्त्व, डिब्बों से ऐसे सामान की चोरी करते हैं और हम कोई उपाय निकालें उससे पहले ही वे हमारे उपाय को विफल करने का उपाय निकाल लेते हैं फिर भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस कदाचार को रोका जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे सुरक्षा बल की कुशलता के बारे में संदेह व्यक्त किया है। रेलवे सुरक्षा बल का कार्य रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करना है और यात्रियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और जी० आर० पी० का है और इन पदों को बनाये रखने के लिये

रेलवे राज्य सरकारों को लगभग 3 करोड़ रुपये अदा करती है परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रेलवे उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया। इस समय रेल मंत्री विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वे गृह मंत्री पुलिस के महानिरीक्षकों को अपने साथ लाये हैं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।

रेलवे में आरक्षण के मामले में कदाचारों का उल्लेख किया गया है और इस बारे में यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में हमें जानकारी है। आरक्षण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी लगाये जाते हैं और अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जाती हैं। रेलवे के टिकटों में चोर बाजारी को रोकने के लिये समय-समय पर आरक्षण-कार्यालयों और गाड़ियो में जांच होती है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकद्मे सहित उचित कार्यवाही की जाती है।

अमान्यता प्राप्त यात्रा-एजेंसियों तथा समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों की जांच के लिये एक संसदीय समिति गठित की हुई है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अन्य समस्याओं का मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इस अवसर के लिये मैं आपका आभारी हूं ..... (व्यवधान)।

श्री एस० एल० पेजे (रत्नगिरि) : अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री ने कुछ नई रेलवे लाइनें बिछाने तथा कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का उल्लेख किया है। मंगलौर-आप्टा मार्ग से कोंकण क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। इस समय कोंकण में कोई संचार साधन नहीं है। केवल एक सड़क है उसकी भी हालत खराब है। जब श्री नन्दा रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने इस मार्ग पर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था और इसके लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था की थी।

प्रधान मन्त्री ने भी महाराष्ट्र से सूखा पीड़ित क्षेत्रों के दौरे के समय यह कहा था कि सरकार ने इन भागों को स्वीकार कर लिया है। यह आश्चर्य की बात है कि नई लाइन के बारे में दिये गये वचन का अभी तक पालन नहीं किया गया है। सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। कोंकण के आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए मंगलोर-आप्टा लाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह बम्बई का दौरा करें और तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करें जिससे उन्हें तीसरे दर्जे के यात्रियों की दयनीय दशा का अनुभव हो सके।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : रेलवे मंत्रालय अपनी गलतियां पता लगाने के बाद भी उनको दूर नहीं करता। रेलवे कर्मचारियों को 20-30 वर्ष की सेवा के बाद भी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। उन्हें अस्पताल की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। उस कार्य के लिये बजट में बहुत कम राशि की व्यवस्था की गई है।

रेलवे में कर्मचारी 45 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों से सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए। नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या को भी अभी तक हल नहीं किया गया है।

सभी दलों ने, जिसमें सत्तारूढ़ दल भी शामिल है, रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने का अनुरोध किया है। रेलवे एक वाणिज्यिक उपक्रम है। कर्मचारी बोनस की मांग उचित ही करते हैं।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]

[Shri S. A. Kader *in the Chair*]

आशा है सरकार रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में शीघ्र घोषणा करेगी।

चल कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अनेक बार अभ्यावेदन दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड तथा मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। यहां तक कि भोजन कक्ष में काम कर रहे कर्मचारियों को भी लाभ नहीं मिलता।

दिल्ली और मद्रास के बीच एक नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिए। जयंती एक्सप्रैस कटपड़ी बैंलोर और कोयम्बतूर स्टेशनों पर नहीं रुकती। इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिए।

वैगनों की सप्लाई बहुत कम है और इस कारण 20,000 कर्मचारी बेकार हो गये हैं, मंत्री महोदय को अधिक माल डिब्बों की व्यवस्था करनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार उर्वरकों की कीमत जब चाहती है बढ़ा देती है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त रेलें 2½ प्रतिशत लेती हैं। इस बारे में राहत मिलनी चाहिए।

कोयला अधिक मूल्य पर सप्लाई किये जाने के परिणामस्वरूप दक्षिण रेलवे को 6 करोड़ रुपए की हानि हुई। हानि के कारण, जो परिवहन भार के कारण हुई है, नई रेल लाइनों के बिछाने के कार्य को बन्द नहीं किया जाना चाहिए।

मद्रास में महानगर परियोजना पर लगभग 23 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन पिछले 20 महीनों में इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने श्री राजगोपाल, उपनिदेशक, नगर निगम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उक्त सिफारिशें हैं (एक) एन्नोर और तिरूबेनाम्यूर के बीच एक भूगर्भ रेलवे की व्यवस्था की जाये (दो) एन्नोर और तिरूबेनाम्यूर के बीच एक सर्कुलर रेलवे की व्यवस्था की जाए। रेल मंत्री को इस सम्बन्ध से नये सिरे से जांच करनी चाहिए।

सलेम और तिरूची के बीच सीधी रेल चलाई जानी चाहिए।

मद्रास सैन्ट्रल और एगमोर के बीच कोई रेलवे व्यवस्था नहीं है । अतः सेन्ट्रल स्टेशनों और एगमोर के बीच यात्रियों के लिए पृथक व्यवस्था की जानी चाहिए ।

रेलवे मंत्रालय सभी राज्यों को तदर्थ आधार पर राशि देता है। राज्य सरकारों को जनसंख्या अथवा यात्रियों से होने वाली आय के आधार पर राशि दी जानी चाहिए ।

रेलवे मंत्रालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं न लेने का निर्णय किया है। इससे केवल क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई होगी । क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षायें देने की अनुमति दी जानी चाहिए । उन्हें अपने ही क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्या की जानी चाहिए जिससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके ।

श्री डी० बसुमतारी : रेलवे मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है । इसके बावजूद भी उक्त मंत्रालय क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में न्याय नहीं कर सका है ।

रेलवे लाइनें उन्हीं क्षेत्रों में बिछाई जाती हैं जो केवल शक्तिशाली लोगों के क्षेत्र हैं। इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए ।

स्वतन्त्रता के बाद सिलीगुड़ी से आसाम तक एक रेल लाइन बिछाई गई है। केवल यही लाइन भारत को असम से जोड़ती है । इस लाइन को मुख्यालय से जोड़ने के बारे में अनेक बार अनुरोध किया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

नये राज्य अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि रेल मार्ग से जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी रेल मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता की बात कहते हैं। देश के विभिन्न भागों को रेलों और वायु सेवा से जोड़ कर उक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है । आसाम को शेष भारत के साथ पूर्णतया जोड़ा जाना चाहिए ।

श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का ओटा पर्याप्त नहीं है और इस कोटे को भरा भी नहीं गया है ।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक मजदूर काम करते हैं। नियमों में यह व्यवस्था है कि 180 दिन काम करने के बाद उन्हें स्थायी बना दिया जाएगा । लेकिन वास्तव में उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है । यहां तक कि मजदूरों को निर्धारित अवधि तक कार्य करने के बाद भी अस्थायी मजदूर का दर्जा नहीं दिया जाता । मंत्री महोदय को मजदूरों की दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ।

***बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।**

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.**

रेल कर्मचारियों को सजा के तौर पर जानबूझकर स्थानान्तरित किया जा रहा है और मजदूरों की कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है।

रेलवे को प्रति वर्ष सामान की चोरी से बहुत बड़ी हानि होती है। इस सम्बन्ध में स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और सरकार इस बारे में सुधार करने में असफल रही है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार उन दोनों की पहचान करे जो ऐसे अपराधों के शिकार हैं और अपराधियों और कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है जिससे रेलवे की हानि को कम किया जा सके।

मार्ग में माल खो जाने पर मुआवजा देने में जो समय लगता है उसमें कमी करने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली में सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

माल डिब्बों को अधिक समय तक रोकने पर भारी जुर्माना किए जाने के नियम बनाने का सरकार का विचार है। इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील और सरकारी उपक्रम सबसे बड़े अपराधी हैं। माननीय मंत्री का सम्बद्ध एककों के साथ मिल का इस स्थिति में सुधार करना चाहिए।

ब्रांच लाइन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कन्डक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए बेरोजगार लोगों को कन्डक्टरों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

रेल दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के बारे में शीघ्रता की जानी चाहिए।

रेलवे में दिए जाने वाले भोजन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे भोजन सुधार के मीनू में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए।

सुन्दरबन क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिये वहाँ नई रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहियें। मथुरापुर ना जयनयर माजिलपुर से काक दीप तक एक रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए और एक अन्य लाइन आराम बाग के रास्ते विष्णुपुर से ताटकेश्वर तक ले जाई जानी चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : समूचे पश्चिम तट क्षेत्र के विकास के लिये पश्चिम-तट रेलवे लाइन बहुत आवश्यक है। इस लाइन के निर्माण से 5 से $7\frac{1}{2}$ करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान अनेक बार आकर्षित किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ऐसा समाचार है कि मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है जिनके अनुसार यदि राज्य सरकार इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अर्जन का व्यय सहन करें, तो इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा सकता है। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि

क्या उक्त नियम सभी लाइनों पर लागू होगा अथवा इसे केवल पश्चिम तट की रेलवे लाइन पर ही लागू किया गया है ।

विश्व बैंक के दल ने यह उल्लेख किया है कि भारतीय रेलवे में प्रबन्ध बहुत अच्छा है और इसकी तुलना विश्व के किसी भी भाग से ली जा सकती है ।

यदि सरकार रेलवे को एक वाणिज्यिक उपक्रम समझती है तो उसे देश के जिन भागों में 100 वर्ष से अधिक रुपये से रेल सुविधायें उपलब्ध हैं, उन पर अधिक कर लगाना चाहिए ।

रेल और परिवहन में अभी भी बड़ी कड़ी स्पर्धा है । रेल की तुलना में परिवहन द्वारा 500 प्रतिशत अधिक माल भेजा जाता है ।

900 किलोमीटर की उक्त पट्टी में विकास की बहुत क्षमता है । इसकी पिछले 100 वर्षों से उपेक्षा की जाती रही है । अब इसमें सुधार करने की सरकार की जिम्मेवारी है । इस लाइन से भूगौलिक क्षेत्र का विकास होगा । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि, जैसा कि वायदा किया गया था । इस लाइन को 8 वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए ।

श्री पी॰ के॰ पंडा (भंजनगर) : उचित योजना की कमी के परिणामस्वरूप उड़ीसा राज्य रेलों के विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है । यह सर्वविदित है कि पारादीप पत्तन एक महत्वपूर्ण पत्तन है और बंगला देश आन्दोलन के कारण इसका सामरिक महत्व और बढ़ गया है । इसके बावजूद जगपुरा-बंगापानी जैसी महत्वपूर्ण लाइन का विकास नहीं किया गया है पारादीप पत्तन को जगपुरा और बंगापानी के साथ इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए जिससे समस्त औद्योगिक क्षेत्र को लाभ पहुंचे ।

उड़ीसा में गोपालपुर का एक छोटे पत्तन के रूप मे विकास किया जा रहा है जिस पर 6 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

अत: उड़ीसा के समूचे तट पर अनेक उद्योगों की स्थापना हो जायेगी और अब इसे अनुसूचित जाति क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है । अत: गोपालपुर से बोलंगीर लाइन न केवल वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक होगी बल्कि आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में भी लाभदायक सिद्ध होगी ।

अधिकारियों का गैंग कुलियों के साथ व्यवहार बहुत खराब है । मन्त्री महोदय को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए । इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन गैंग कुलियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाये ।

जीतपुर कोयला खानों में भूमिजगत विस्फोटों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

CALLING ATTENTION RE. UNDERGROUND EXPLOSIONS IN JITPUR COAL MINES

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस॰ मोहन कुमार मंगलम) : जीतपुर कोयला खान में हुए विस्फोट के बारे में चर्चा के दौरान जो मैंने कहा था कि खान सुरक्षा के महानिदेशक दिल का दौरा

पड़ने के कारण दुर्घटना के दिन छुट्टी पर थे। किन्तु मुझे प्रामाणिक रूप से सूचना मिली है कि वे 21-2-73 से आकस्मिक अवकाश पर थे और 5-3-73 को काम पर वापस आते थे। दुर्घटना के दिन वे कार्य पर थे किन्तु डाक्टरों ने उन्हें कड़ा काम करने से मना किया था। अतः खान सुरक्षा के उप-महानिदेशक उनके मार्ग दर्शन और अनुदेशों के अधीन क्षेत्र का कार्यभार सम्भाल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले सदन को सूचित कर चुका हूं कि वे दुर्घटना स्थल पर उपस्थित थे।

अनुदानों की मांगे (रेल)—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)–Contd.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : 80 डाउन अवध-तिरहुत मेल जरीवल स्टेशन पर रोकने सम्बन्धी बहराइच जिले के लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। दिल्ली से रात में चलने वाली सब रेल गाड़ियां गोंडा प्रातःकाल पहुंचती हैं। केवल यही एक ऐसी रेल गाड़ी है जिससे वहां के यात्री बहराइच पहुंच सकते हैं। अवध-तिरहुत मेल बाराबंकी होकर जिला बहराइच पहुंचती है और फिर गोंडा जाती है। किन्तु, जिला बहराइच में केवल एक स्टेशन से गुजरने वाली यह गाड़ी भी उस स्टेशन पर नहीं रुकती है। इससे दिल्ली से सुबह यात्रा करने वाले यात्री केवल सायंकाल ही बहराइच पहुंच सकते हैं। यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है किन्तु अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है वहां के लोगों द्वारा बहुत समय से इसके लिए मांग की जा रही है।

जब कोई मुख्य या मेल रेलगाडी किसी जिले के बहिर्वर्ती क्षेत्रों में जाती है और जिला मुख्यालय नहीं जाती तो इन रेल गाड़ियों को उन बहिर्वर्ती स्टेशनों पर रुकना चाहिए जिससे वहां के यात्री जिला मुख्यालय आ जा सकें।

बुलन्दशहर और मैनपुरी जिलों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए रेल गाड़ियां खुर्जा और शिकोहाबाद के स्टेशनों पर रुकनी चाहिएं।

संसद के सत्रों के दौरान संसद सदस्यों के लिए निःशुल्क विमान सेवा की व्यवस्था है किन्तु विमान यात्रा और वातानुकूलित रेल यात्रा का किराया लगभग समान है। इसलिए संसद सदस्यों को वातानुकूलित कोच में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के समूचे तराई क्षेत्र में उचित और पर्याप्त रेल की सुविधाएं नहीं हैं। बढनी और तुलसीपुर होकर गोरखपुर से जिला बहराइच में हिंगा तक रेल लाइन बिछायी जानी चाहिए। इसे बहराइच मुख्यालय से मिलाया जाना चाहिए, जो वहां के निकटतम स्टेशन से 30 मील की दूरी पर ही है। भखारिया, मेहदावाल, संघा, बस्सी, डुमरियागंज होकर भगहर से नौगढ़ तक एक रेलवे लाईन बिछाई जानी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : गत भारत-पाक युद्ध के दौरान हमारी रेल व्यवस्था ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और हमारी विजय का एक कारण यह भी रहा है कि युद्ध-सामग्री

और जवानों को आवश्यक स्थानों पर रेल गाड़ियों के माध्यम से समय पर पहुंचाया जा सका है। किन्तु, अब कुछ समय से रेलगाड़ियां फिर विलम्ब से चलने लगी है और रेल प्रशासन इस सम्बन्ध में बुरी तरह असफल रहा है। रेल से यात्रा करना अब खतरनाक असुरक्षित हो गया है। भ्रष्टाचार अभी तक व्याप्त है। रेल विभाग की नीति मे परिवर्तन करने की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है।

किसी पद के लिये नियुक्तियां करने का तरीका अब भी पहले जैसा ही है। इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। रेल प्रशासन में रिश्वत दिए बिना विशेषकर तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी में नौकरी नहीं मिल सकती।

ठेकेदार, खान-पान के प्रबन्धक और खोम्चे वाले रुपया देकर लाईसेंस प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि खान-पान के प्रबन्धकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। बहुत से व्यक्तियों ने तो अपने लाइसेंसों को किराये पर दे दिया है।

गत 1971 के भारत-पाक युद्ध से हमने कोई अनुभव प्राप्त नही किया है। हमने सुरक्षा की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी है। देश में राजस्थान, गुजरात और कच्छ क्षेत्र में मीटर-गेज रेलवे लाइने हैं। अतः बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में ब्राड गेज रेल लाइनें बिछाई जानी चाहियें क्योंकि इससे युद्ध के दौरान सैनिक सामग्री लाने ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। पाकिस्तान की सीमा पर देश की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्तकताओं को पूरा करने के लिए देश में वहां एक वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए। आशा है मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

वर्ष भर में हरियाणा के लिए एक भी रेल लाइन मंजूर नहीं की गई है। रिवाड़ी से रोहतक एक रेल लाइन की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार रोहतक से गोहाना तक रेल लाईन के लिए माँग कर रही है। इस रेल लाइन को रिवाड़ी से रोहतक और फिर गोहाना तक बिछाया जाना चाहिए जिससे इस सारे क्षेत्र में रेल सेवा की व्यवस्था हो सके।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कम विकसित क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे विकसित क्षेत्रों के स्तर तक पहुंच जायें।

महेन्द्रगढ़, नारनौल और खेतड़ी में लौह अयस्क और तांबे के विशाल भंडार हैं। इन भंडारों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए वहाँ बड़ी रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए और इन क्षेत्रों को एक रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए जिससे उन क्षेत्रों में कोयला सीधा भेजा जा सके और वहां से लौह-अयस्क और तांबा लाया जा सके। दिल्ली को इन क्षेत्रों से बड़ी रेल लाइन से जोड़ना चाहिए।

मंत्री महोदय को रेलों में होने वाली चोरी को रोकने की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि रेलों में होने वाली चोरी को रोका जा सकता, तो यात्री किराये में वृद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिना टिकिट यात्रा करने पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाने की अभी और गुंजाईश है।

उर्वरकों और कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं पर रेल भाड़े में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मंत्री महोदय को वातानुकूलित कोच के किराये विमान-किराये के स्तर तक बढ़ाने के अपने निर्णय पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय कर दिया गया तो कोई व्यक्ति रेल से यात्रा करना पसन्द नहीं करेगा। अत रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कोचों को बनाये रखने के लिए इनके किराये में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : जहां तक रेल सेवाओं का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश का सदा तिरस्कार किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इन 25 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में एक किलो मीटर लम्बी रेल लाइन नहीं बिछाई गई है। जब तेलंगाना निजाम घी रेलवे के अन्तर्गत था तो 6 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि थी और उस समय आश्वासन दिया गया था कि तत्कालीन हैदराबाद राज्य से वहाँ, उदाहरण के लिए नाडीकुडे से बीबीनगर तक, नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी। वर्तमान रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहकर बहुत अच्छा किया है कि इस रेलवे लाइन का मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है रिजर्व बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सरकार को निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करने का जो अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। मुझे आशा है कि रेल मंत्री नाडीकुडे से बी० बी० नगर तक और मछिरला से गुंटूर तक की रेल लाइन को बदलने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

मद्रास और हैदराबाद के लिए एक ही रेल सेवा आयोग है। मद्रास स्थित रेल सेवा आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अतः सिकन्दराबाद में एक अलग रेल सेवा आयोग होना चाहिए। यदि अध्यक्ष मद्रास में हैं तो कम से कम एक सदस्य तो सिकन्दराबाद में होना ही चाहिए जिससे वह 375 रुपये मासिक के वेतन तक के पदों की भर्ती कर सके।

जब रेलगाड़ियों का प्रश्न उठता है तो आन्ध्र प्रदेश की अपेक्षा सारी प्राथमिकता मद्रास को दी जाती है। जी०टी० जनता, जयंती जनता जैसी सभी गाड़ियाँ मद्रास जाती हैं। हैदराबाद के लिए कोई अलग गाड़ी नहीं है। दक्षिण एक्सप्रेस या लिंक एक्सप्रेस की केवल आधी बोगियां हैदराबाद जाती हैं। यद्यपि हमें निकट भविष्य में हैदराबाद के लिए राजधानी एक्सप्रेस की कोई आशा नहीं है. किन्तु हैदराबाद के लिए तो कम से कम एक सम्पर्क एक्सप्रेस गाड़ी होनी चाहिए। जयंती जनता एक्सप्रेस भी हैदराबाद के लिए आरम्भ की जानी चाहिए।

रेलवे के इतिहास में हैदराबाद और सिकन्दराबाद को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इन दोनों नगरों की महानगरीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां एक वृत्ताकार रेलवे लाइन होनी चाहिए। आशा है रेल मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

Dr. Kailas (Bombay South) : While I stand to support the Railway Demands for Grants for 1973-74, I find that the salaries of the high ranking officers, members and officials of the Railway Board are on the high side. The number of higher officers is also very much has now become necessary to reorganise the set up of Railway Board. Such a high expenditure on Railway Board is not justified. The officers should themselves curtail this expenditure by doing away with saloon car etc.

The offices of Railway Service Commission should be opened at Srinagar, Gauhati, Chandigarh, Patna and Delhi so that the candidates of these regions may be benefited and may be absorbed in services.

So far as the problem of ticketless travelling in the trains is concerned, the number of T.T.Es and T.T Cs. is the same whereas the number of ticketless pasengers has increased. Therefore, the number of T. T. Es and T. T. Cs should be increased adequately so that this problem of ticketless travelling may be tackled. Clerical staff should not be deputed for this job because this job requires extensive training. The hon. Minister should look into this.

There should be uniformity in giving woollen uniforms to all the railway employees. In Bombay Division employees, of Western Railway have not been provided with woollen uniforms. Therefore, they should be provided with woollen uniforms as in the case of Central Railway.

Quite a few numbers of level crossings in Bombay are unmanned. Government should consider to depute employees at those unmanned level crossings so that accidents may be avoided there. Government should also see that there is no stagnation of promotional avenues of the T.T.Es. Moreover, the T.T E's have not been provided with suitable pleaces where they can take rest and sleep at night.

So far as conversion of metre gauge lines is concerned, metre gauge railway line from Sawai Madhopur to Jhunjhunu or Jaipur should be converted into broad gauge line which converting the Delhi-Ahmedabad line into broad gauge line which will be more beneficial for defence purposes.

Concessien given to passengers going upto 20 Kilo meters should also be given to the third class season pass holders. Dining car which was removed from the Frontier Mail should also be restored therein.

There should be an underground railway in Bombay. Government should look-into it.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : After reorganisation of Panjab State, the railway lines in Punjab are quite insufficient and the State has not been compensated suitably. Shankargarh in the district of Jullundur is a very backward area because of the lack of rail link there. Therefore the Jullandur-Hoshiarpur railway line should be extended upto Shankargarh.

A IInd or Ist class bogey should be attached to Kashmir Mail upto Hoshiarpur. This will help the army personnel coming home on leave, who, at present have to travel by distant route *via* Pathankot.

Mughal Sarai Station is very big Junction and every Train make its halt these. But this station is very notorious for thefts and pilferage. Huge quantity of coal, bricks, cements and other goods are stolen even though the wagons remain sealed and closed. The name of this station should be changed. Some concrete steps should be taken so that thefts and pilferages of goods valued lackhs of rupees may be checked.

Railways are earning of lot. But adequate facilities are not given to the passengers. Conditions of most of the railway station is very unsatisfactory. They lack sanitation and other amenities. Laterins, bathrooms etc. are always stinking. No attention is being paid towards the facilities and comforts of the third class passengers. Government must pay adequate attention to this matter, because most of the passengers travel in third class and they should be provided with facilities.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपेर) : मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं। प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान 21 रेल लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें से 16 अलाभकर हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए नई कसौटी तैयार की गई है। अब वह इन पिछड़े राज्यों से सहयोग और योगदान की मांग करते हैं। किन्तु ऐसी मांग करने से उनका पिछड़ापन और बढ़ेगा। यह इन राज्यों के साथ अन्याय है। क्या उद्योग और वाणिज्य की दृष्टि से पिछड़े हुए और देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले इन क्षेत्रों के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है ?

रेल मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश को केवल यही पुरस्कार दिया है कि नाँगल बांध से तलवाड़ा तक रेल लाइन बनाई जाएगी। किन्तु पोंग बांध के पानी के स्तर के ऊंचा उठने से कांगड़ा घाटी की रेल लाइन जलमग्न हो जाएगी और इससे हमें एक और धक्का लगा है। इससे हमाचल प्रदेश की समस्त अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी।

ये वे क्षेत्र हैं जहां के सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए बलि चढ़े हैं किन्तु उनके क्षेत्रों में गत तीन वर्षों से कोई रेल लाइन नहीं बनी।

ये राज्य इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि इन क्षेत्रों के व्यक्ति सेना में गए हैं। यहां के अधिकांश लोग देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहें हैं। अत. जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इनकी ओर कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पक्ष पर कुछ विचार किया जाना चाहिए।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश के 285 क्षेत्रों से जिनका निर्धारण योजना आयोग ने किया है, गुजरने वाली रेलवे लाइनों को स्थानीय क्षेत्रों से किसी प्रकार का योगदान लिए बिना तत्काल ही बिछाया जाना चाहिए। यदि सरकार इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को वास्तव में दूर करना चाहती है और क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करना चाहती है और इन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, तो यह कार्य करना ही पड़ेगा।

देश में ऐसी भावना फैली हुई है कि रेलवे अधिकारी कोई कार्य नहीं करते हैं। जब कभी कोई संसद सदस्य कोई प्रस्ताव पेश करता है तो रेलवे अधिकारी उस प्रस्ताव को रद्द करने में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हमने यह प्रस्ताव किया है कि होशियारपुर से दिल्ली के लिए एक सीधी रेलगाड़ी आरम्भ की जानी चाहिए क्योंकि पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन जलमग्न रहती है। किन्तु इस अनुरोध को स्वीकार कर दिया गया हैं। हमने यह अनुरोध किया है कि जालंधर सिटी में सवारी डिब्बे लगाने के समय का समायोजन किया जाए जिससे यात्रियों को दो घण्टे तक यहां रुकना न पड़े। किन्तु उत्तर रेलवे के रेल अधिकारियों ने इस मांग की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है।

अम्बाला छावनी से नंगल बांध तक एक रेल गाड़ी चलती थी किन्तु रेल अधिकारियों ने इसे समाप्त कर दिया है। अतः इसे पुनः चालू किया जाना चाहिए। जालंधर सिटी से जालंधर

के लिए सीधी रेल गाड़ियों के समय का पुन: समायोजन किया जाना चाहिए जिससे आधे घण्टे के विलम्ब से यात्रियों और सैनिकों के दो घण्टों की बचत हो सके ।

शाहदरा से सहारनपुर तक एक छोटी रेलगाड़ी चलती थी । पहले रेल मंत्री ने वचन दिया था कि इस रेलगाड़ी को पुन: चालू किया जायेगा, किन्तु अब इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस बारे में विशेष रूप से उल्लेख करें ।

जनता की मांगों के सम्बन्ध में रेल अधिकारियों को अपना रवैया बदलना चाहिए क्योंकि लोगों में यह भावना है कि रेल अधिकारी उनकी मांगों को अस्वीकार कर देते हैं। जनता की सुविधाओं के बारे में सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए । हमें औद्योगिक विकास और देश की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए । जिन रेल लाइनों को रक्षा के आधार पर बनाया जाना है और उनका औचित्य भी इसी आधार पर है । उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उत्तर-पंजाब में नांगल बांध से हिमाचल प्रदेश में तलवाड़ा तक रेलवे लाइन के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि रक्षा सम्बन्धी संचार व्यवस्था की सामयिक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । तलवाड़ा से मुकेरियां रेल परियोजना को रेलवे द्वारा अपने हाथों में ले लेना चाहिए जिससे मुकेरिया तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा सके ।

Shri Madhoram Sharma (Karnal) : Railway Line from Gohana to Panipat was dismantled long ago. There was a proposal to restore this line; but nothing has so far been done in this matter. Railway Line from Rohtak to Panipat has also been discontinued. Railway line from Rohtak to Gohana had been restored, but this may be extended upto Panipat. This extended line will help in making good the loss which the railways are suffering from this line from Rohtak to Gohana, Moreover this will also help the passengers to avoid journey breaks but even after three to four years nothing has been done.

In view of the bumfer crops of foodgrains in Panjab and Haryana, the Governments of Panjab and Haryana have demanded that railway lines from Delhi to Karnal and Ambala should be doubled. A request has also been made to the Government that railway line from Delhi to Bhatinda *via* Rohtak should be doubled. But no attention has been paid to these requests. I request the hon. Minister for Railways to look into these demands as this will help the passengers most.

श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Strike by Working Journalists and other Newspaper Employees

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, अखिल भारत समाचार-पत्र कर्मचारी संघ, और यू० एन० आई० कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से 20 मार्च, 1973 को देशव्यापी साँकेतिक हड़ताल करने हेतु, 24 फरवरी, 1973 को एक संयुक्त आह्वान किया था । अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह हड़ताल काफी फैली हुई प्रतीत होती है । पता चला है कि दिल्ली के एक समाचार-पत्र को छोड़कर बाकी सभी समाचार-पत्रों के कर्मचारी काम से अलग रहे । मालूम हुआ है कि बम्बई में तीन समाचार-पत्रों को छोड़कर बाकी सभी समाचार-पत्रों के कर्मचारी काम से अलग रहे ।

7 फरवरी, 1973 को मेरे पास भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रधान का तारीख 5 फरवरी, 1973 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए और समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का निपटारा करना चाहिए। ये माँगें मुख्यत: मजदूरी ढांचे की पुनरीक्षा, अन्तरिम सहायता, महंगाई भत्ते की पुनरीक्षा और समाचार-पत्रों के स्वामित्व में व्यापकता लाने के बारे में हैं।

मैंने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को 24 फरवरी, 1973 को आमंत्रित किया था ताकि श्रम विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के सम्बन्ध में उनके विचार मालूम किये जा सकें। भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों ने तीसरे मजदूरी बोर्ड स्थापना सम्बन्धी अपने मामले को समझाया और कहा कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उसकी स्थापना करनी अनिवार्य है। उनका यह तर्क था कि अन्तिम मंजूरी बोर्ड द्वारा 1967 में अपना पंचाट देने के बाद से काफी समय पहले ही बीत चुका है। उन्होंने आगे यह कहा कि पिछले दशक के दौरान समाचार-पत्र उद्योगों ने, अपने लाभों सहित, गोचरीय सर्वतोन्मुखी वृद्धि बताई है।

अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने जो समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें कि मैं भी उसी दिन बाद को मिला, मंजूरी बोर्ड के लिए जोर नहीं दिया बल्कि उन्होंने नियोजकों से द्विपक्षीय बातचीत के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि सरकार को नियोजकों पर इस बात के लिए अपना प्रभाव डालना चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करें।

इसके बाद में 27 फरवरी, 1973 को नियोजकों—भारतीय और पूर्वी समाचार-पत्र सोसाइटी और भारतीय भाषा समाचार-पत्र एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से मिला। नियोजकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस विषय पर अपने सुविचारित विचार मार्च, 1973 के अन्त तक भेज देंगे। उन्हें यथा-शीघ्र ऐसा करने के लिए स्मरण कराया जा रहा है।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही समाचार-पत्र नियोजकों के विचार प्राप्त होंगे, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध मेरे मंत्रालय में है मैं इसकी जांच कराऊंगा।

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1973-74—(जारी)

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

कुछ सदस्यों ने बोनस के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है अभी हम इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में हम खुले दिल से विचार कर रहे हैं। कल श्री दीनेन भट्टाचार्य ने कहा था कि इन विभागीय कर्मचारियों के साथ सरकारी क्षेत्र

के कर्मचारियों के समान व्यवहार करना चाहिए। यह तो स्वयं को पराजित करने वाला तर्क है इसलिए मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य को ऐसे तर्क न प्रस्तुत करने की सलाह देता हूं। जब तक तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे बजट पर की जाने वाली चर्चा में हमेशा रेलवे बोर्ड को भला बुरा कहा जाता है। रेलवे बोर्ड के स्वरूप और गठन के बारे में इस सभा में बताया जा चुका है। यह एक बुद्धिमान और अनुभवी अधिकारियों की संस्था है। यह कहना ठीक नहीं है कि बोर्ड का मंत्रालय में प्रभुत्व है और मंत्री का उनके समक्ष स्थान गौण है। बोर्ड को मंत्री द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों और निदेशों का पालन करना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है कि आज तक किसी भी सचिव या अधिकारी ने मेरे आदेशों अथवा निदेशों का उल्लंघन करने की जुर्रत नहीं की है। मंत्री संसद का कार्यकारी एजेंट होता है और संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्ता सम्पन्न है। संसद जनता का प्रधिनिधित्व करती है। अतः जो कुछ भी संसद निर्णय करती है, उसका क्रियान्वयन करना होगा। अतः रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की, जोकि इतने सालों के परिश्रम और सेवा से इस ओहदे पर पहुंचे हैं, आलोचना करना ठीक नहीं है।

मार्टिन लाईट रेलवे की हावड़ा-आमता लाईन को दुबारा खोलने का प्रश्न भी उठाया गया है। हमने हावड़ा-आमता रेलवे और शाहदरा रेलवे को लेने का निर्णय किया है। किन्तु प्रश्न तो भूमि के बारे में है। हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ काफी विचार विमर्श किया और वह इसे बड़ी लाईन में बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं थे पर अब वह भी बड़ी लाईन के निमित्त भूमि देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए हम इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रतिरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निश्चय ही प्रतिरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले दो युद्धों में 1965 और 1971 में रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। यह कहा गया है कि आंध्र में एक मील रेलवे लाईन भी नहीं बनाई गई है। मैंने अपने बजट भाषण में आंध्र के लिए दो प्रस्ताव रखे हैं। एक प्रस्ताव गूंटुर मछरेला लाइन को बड़ी लाईन में बदलने के बारे में है और दूसरा नाडिकूडी—बीबीनगर में नई बड़ी लाईन बनाने के बारे में है।

माननीय सदस्य, श्री दरबारा सिंह ने होशियारपुर के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त पठानकोट में प्रथम श्रेणी का कोटा भी रखा जाएगा ताकि होशियारपुर के लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

हरियाणा के बारे में वहाँ के मुख्य मंत्री ने एक नई लाइन मांगी है। यह मामला विचाराधीन है।

श्री रामावतार शास्त्री ने पटना में क्लेम ऑफिस बनाने की मांग की है हमने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही वहां काम शुरू होगा।

श्री के० सी० पांडे ने खलीलबाद स्टेशन के उत्तरी साइड पर प्लेटफार्म बनाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की है, इसमें थोड़ा समय लगेगा पर हम यह प्लेटफार्म बनाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री पीलू मोदी ने साबरकंठा के लिए एक रेलवे लाईन मांगी है। कई समाज सेवकों ने भी इसकी मांग की है पर इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से वचन नहीं दे सकता।

यह सच है कि कुछ सप्ताह पहले तक कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में हमें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है। पर अब स्थिति में सुधार हो गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोयले की ढुलाई अधिक हुई है। इस सम्बन्ध में हमने रेल में भवन एक कंट्रोल रूम बनाया है और एक समिति, जिसमें सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय, औद्योगिक विकास हैवी इंजीनियरिंग और रेलवे के प्रतिनिधि है, बनाई गई है जिसकी कोयले की सप्लाई की समस्याओं पर विचार करने हेतु प्रतिदिन बैठक होती है।

जहां तक नई लाईनों का सम्बन्ध है, मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। पर नई रेलवे लाइन खोलने के लिए 30 लाख टन का ट्रैफिक तो होना चाहिए। पर पिछड़े हुए क्षेत्रों में इतना ट्रैफिक होना मुमकिन नहीं है। अतः हमें पिछड़ेपन का ध्यान रखना होगा। पर ऐसे क्षेत्रों में वस्तु की सप्लाई मांग से अधिक होनी चाहिए। यह बात कपास उगाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। पिछड़े क्षेत्रों में 60 किलो मीटर तक रेलवे लाईन के विकास के कामों को किया जा सकता है। हमारे संसाधन बड़े सीमित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वैस्ट कोस्ट रेलवे के बारे में महाराष्ट्र असैम्बली में दिए गए वक्तव्य और यहां दिए गए वक्तव्य में काफी अन्तर है। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

श्री एल० एन० मिश्र : महाराष्ट राज्य के लोगों से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वे लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं और न ही दोनों वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं।

कुछ क्षेत्रों में वैगनों की कमी है। पर यह कभी निश्चय ही दूर हो जाएगी। यदि खड़े हुए वैगनों को पुनः यातायात के काम में लाया जाएगा। हमने हाल ही में 15,000 अतिरिक्त वैगनों का आर्डर दिया है और 26,000 वैगनों का आर्डर तो पहले बुक है ही। अमृतसर की रेलवे वर्कशाप को भी 4000 वैगन प्रति वर्ष निर्मित करने को कहा गया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उत्पादन लक्ष्य को 109 विद्युत इंजनों और डीजल शंटरों को 1973-74 के दौरान बढ़ा कर 128 तक बढ़ाने की आशा है। इसी तरह वाराणसी में डीजल विद्युत इंजनों के उत्पादन को अगले वर्ष 140 तक बढ़ाने की आशा है।

मैं कोयला, खाद्यान्न, नमक, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं को शीघ्र लाने ले जाने की ओर विशेष ध्यान दे रहा हूं। कोयले के यातायात को रेलवे द्वारा अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है। 1971-72 में औसतन प्रतिदिन 7830 वैगनों की ढुलाई हुई और इस वर्ष फरवरी, 1973 में 8021 वैगनों की प्रतिदिन ढुलाई हुई जिसमें से 5682 वैगन बंगाल बिहार क्षेत्र से थे। स्थिति में

अवश्य सुधार होता, यदि कई बन्द और हड़तालें न होतीं। आन्ध्र प्रदेश में भी आन्दोलनों के परिणाम-स्वरूप रेलवे को अत्यधिक क्षति पहुंची और उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के इन्जीनियरों की हड़ताल के परिणाम स्वरूप रेल यातायात में अवरोध उत्पन्न हुआ।

देश के विभिन्न भागों में मौनसून के अभाव और सूखा की स्थिति के संदर्भ में पंजाब और हरियाणा ने पश्चिम और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में अधिकाधिक खाद्यान्न लाने ले जाने के लिए रेलवे तैयार है। रेलवे ने यह कार्य बड़ी योजना से किया है।

फरवरी, 1973 के अन्त तक हरियाणा और पंजाब से 62.3 लाख मीट्रिक टन का यातायात हुआ जबकि पिछले वर्ष यह 42.5 लाख टन था। अप्रैल, 1971 से जनवरी, 1972 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्न यातायात के समूचा लदान 129.4 लाख मीट्रिक टन रहा जो कि इस वर्ष पहले से अधिक हो गया है अर्थात् जनवरी, 1973 के अन्त तक 133.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लदान किया गया।

नमक का महत्व देखते हुए हमने उसके लाने ले जाने को प्राथमिकता दी है। अप्रैल, 1972 से जनवरी, 1973 के दौरान 61,287 वैगन, नमक लदान हुआ जबकि वर्ष 1971-72 में 50,976 वैगनों का लदान हुआ।

अप्रैल, 1972 से जनवरी, 1973 के दौरान बड़ी तथा मीटर गेज लाईन पर 47,755 वैगन चीनी का लदान हुआ। पिछले वर्ष 1971-72 में इसी अवधि के दौरान 59,420 वैगनों का लदान हुआ। वैगनों की सभी मांगों को सामान्यत: पूरा कर दिया गया है।

व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा अन्य बुक स्टालों का प्रश्न कुछ सदस्यों ने उठाया था। मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है और मैं सदस्यों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजारों की समस्या हमारे सामने है और मैंने भी इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया है। मैं चाहता हूं कि ये बुक स्टाल तीन, चार अथवा पांच शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को आवंटित किये जाय।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut Motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The follwing Demands for grants on Acconut for the year 1973-74 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड	1,75,16,000
2.	विविध व्यय	7,96,92,000
3.	चालित लाईनों और अन्य को भुगतान	15,45,000

1	2	3
4.	संचालन व्यय—प्रशासन	98,77,04,000
5.	संचालन व्यय -- मरम्मत और अनुरक्षण	3,63,59,77,000
6.	संचालन व्यय —परिचालन कर्मचारी	2,09,55,49,000
7.	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	1,85,54,39,000
8.	संचालन व्यय—कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	57,24,00,000
9.	संचालन व्यय --विविध व्यय	42,08,30,000
10.	संचालन व्यय--- कर्मचारी कल्याण	32,18,78,000
11.	संचालन व्यय —मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	1,15,00,00,000
11क.	संचालन व्यय— पेंशन निधि में विनियोग	16,00,00,000
12.	सामान्य राजस्व को लाभांश	1,72 61,46 000
13.	चालू लाइनों का निर्माण(राजस्व)	8,00,38,000
14.	नई लाईनों का निर्माण--पूंजी और मूल्याह्रास आरक्षित निधि	36,76,55,000
15.	चालू लाइन निर्माण --पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	7,41,60,12,000
16.	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	12,57,34,000
17.	सामान्य राजस्व से लिए गये ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान---विकास निधि	5,22,78,000
18.	विकास निधी में विनियोग	16,46,59,000
19.	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग	8,53,99,000
20.	अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान, सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	8,76,22,000

विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक 1973

APPROPRIATION (RIALWAYS) No. 2 BILL 1973

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में मे कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (रेल) सं० 2 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पूर्वी रेलवे समिति द्वारा हावड़ा को जानी वाली मार्टिन लाइट रेलवे के बारे में दिए गए प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं रेलवे मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि मार्टिन लाइट रेलवे को चलाने के लिए पूर्व रेलवे समिति के विचारों पर रेल मन्त्रालय द्वारा विचार किया जाएगा और मार्टिन लाइट रेलवे को तत्काल चलाया जायगा।

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि पहले बताया गया है, हम मार्टिन लाइट रेलवे का अधिग्रहण नहीं करने वाले हैं। वह टूटी फूटी पुरानी रेल है। हम बड़ी लाइन चाहते हैं क्योंकि यदि हमारे पास बड़ी लाइन है तो जनता के हितों को अच्छी तरह पूरा किया जाता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : हम अब विधेयक पर खण्डदार विचार करेंगे

प्रश्न यह है :

'कि खड 1, 2, 3 विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1, 2, 3, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 1, 2, 3, Schedule, Enacting Formula and long title were added to the Bill

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं

'कि विधेयक पारित किया जाए'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

'कि विधेयक पारित किया जाए'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

---

*चिथडा काँड के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच

C.B.I. INQUIRY IN RAGS SCANDAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 11 दिसम्बर, 1972 को चीथड़ों के घोटाले के सम्बन्ध में हुए वाद विवाद का उत्तर देते हुए श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा कि इन दो वर्षों में विशेष व्यापार मन्त्रालय ने बड़ी प्रगति की है ।

कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा कहने का साहस नहीं करता।

हम जानते हैं कि**

16 नवम्बर, 1972 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि चूंकि मामला सीमा शुल्क, आयात व्यापार नियंत्रण विदेशी मुद्रा विनियमन आदि से अन्तर्ग्रस्त है। अतः इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया है।

*आधे घन्टे की चर्चा

Half on hour's discussion

**कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

Expunged

आश्वासन दिए 4-1/2 महीने गुजर गए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया, न ही हमने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की किसी रिपोर्ट के बारे में सुना है। यह तो हम जानते ही हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो क्या करेगा। किन्तु हम चाहते थे कि सरकार इस संबंध में सभा में रिपोर्ट पेश करे। तभी हमें पता चलेगा कि प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री तथा सह-सचित की क्या भूमिका है।

11 दिसम्बर को मैंने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा। उसका सार यह है:

चीथड़ों का घोटाला भ्रष्टाचार कदाचार का जीता जागता उदाहरण है। सरकार ने इस मामले का विल्कुल विरोध नहीं किया है। अतः इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चीथड़ों के आयात के नाम पर नायलन, ऊनी कपड़े, पोलिस्टर फाईवर आदि विदेशों से आयात किए गए हैं।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): Mr. Chairman, Sir, I rise a point of order. The hon. Member is levelling unfair charges on the Government.

Mr. Chairman : The hon. Minister is there to attend the chargəs but I must say that no charge against any person without any substance or without any proof should be brought on the floor of the house.

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदास पुर) : विश्व की सभी संसदों में यह प्रथा है कि उस अधिकारी के प्रति जो सभा में उपस्थित नहीं है और जो अपनी अनुपस्थिति में अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, कोई आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। माननीय सदस्य पूरे विभाग और सभी अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बड़ी विचित्र बात है कि तीन सरकारी ऐजसियां राज्य व्यापार निगम पर नियंत्रण कर रही हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को पुनः चेतावनी देता हूं कि बिना किसी सबूत के वह कोई आरोप न लगाएं अन्यथा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री ज्योतिमय बसु : 1970-1971 और 1972 (31-10-1972 तक) में सीमा शुल्क द्वारा सप्लाई किए गए चीथड़ों की मात्रा क्रमश: 672 लाख किलोग्राम 78 लाख किलोग्राम और 206 लाख किलोग्राम थी। अगस्त/सितम्बर 1972 के दौरान मारे गये छापों के फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगभग 16,800 गांठें बरामद की गईं। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस व्यापार में कितना कदाचार व्याप्त है।

जहां तक इसका स्थानीय होजरी उद्योग पर पड़े प्रभाव का सम्बन्ध है, पंजाब में लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए हैं। सौ से अधिक छोटे होजरी एकक बन्द हो गए। बम्बई में स्थानीय सस्ती होजरी बनाने वाले लोगों को गम्भीर संकटों का सामना करना पड़ गया है। 7-8-1972 को 200 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से मिला था पर उन्हें केवल मौखिक आश्वासन देकर टाल दिया गया।

Shri Krishna Chandra Pandey : Mr. Chairman sir, I rise on a point of orders. The hon. Members has said.*

श्री ज्योतिर्मय बसु : वस्तुतः 5 करोड़ किलोग्राम माल आया था। माल के उतरने से लेकर परचून बिक्रेताओं तक पहुंचाने के बीच सम्बन्धित व्यक्तियों ने 50 करोड़ से लेकर 70 करोड़ रुपये तक का सकल लाभ कमाया। संचालक इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हुआ......**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अन्य सदन के किसी सदस्य का हवाला नहीं देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'इकानामिक टाइम्ज' में यह खबर छपी थी कि प्रधान मंत्री ने कई मास पूर्व बम्बई पत्तन तथा अन्य स्थानों पर पड़े ऊनी चीथड़ों को रिलीज किये जाने के लिए निदेश दिए थे। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा इन चीथड़ों को छोड़े जाने को रोके जाने के परिणामस्वरूप ही प्रधान मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।

इनके आयात से केवल विदेशी मुद्रा नियमों का हनन ही नहीं हुआ है बल्कि इसके आयात के लिए कम मूल्य के तथा अधिक मूल्य के बीजक भी बनाए गए। ऊनी चीथड़े इस शर्त पर आयात किए गए थे कि इनका प्रयोग वास्तविक उपभोक्ता ही करेंगे परन्तु देखने में आया है कि इसका आयात लुधियाना के व्यापारियों ने किया है और वे वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं। यदि उन्हें पहले की भाँति बिकने से रोकना है तो उन्हें लुधियाना नहीं आने देना चाहिए और उन्हें बम्बई में ही काट-फाड़ दिया जाना चाहिए। एक ओर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच की बात की जाती है और दूसरी ओर बेईमान व्यापारियों से भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को सांठ गांठ करने का मौका देते हैं।

11 फरवरी, 1973 को प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को लिखे मेरे पत्र का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। उसमें मैंने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा था। मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निदेश पद जानना चाहता हूं और यह कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेगा तथा अब सरकार को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच के सम्बन्ध में क्या जानकारी मिली है। मैं इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी। क्या चिथड़ों के साथ गर्म कपड़ों को भी फाड़ा जायेगा, जबकि हम चाहते हैं कि वह गरीब लोगों को बेचे जायें जिससे कि वे लोग भी उन्हें खरीद सकें जो कभी उन्हें नहीं खरीद सके? चिथड़ों के आयात के सम्बन्ध में क्या स्थायी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि चिथड़ों का आयात

---

*कार्यवाही वृताँत से निकाल दिया गया।
Expunged.

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

करने की अनुमति न दी जाए और यदि हो जाए तो तटकर विभाग उसकी भली प्रकार जांच करे ? मैं नहीं चाहता कि इन कपड़ों को काटा अथवा फाड़ा जाये ।

Shri M. C. Daga (Pali) : How much goods are still lying on the docks of Bombay ? When the final report of C.B.I. Inquiry is likely to be submitted ? Whether any officer has been suspended as a result of departmental inquiry ? Who is mainly responsible for all this ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : क्योंकि श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस सम्बन्ध में मेरा प्रधान मंत्री का और मेरे सहयोग का नाम लिया था,* अतः मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

उस समय मैं विदेश व्यापार मंत्री था जिसे अब वाणिज्य मंत्रालय कहा जाता है । मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि इस मामले की सार्वजनिक जानकारी मेरे पहल करने पर दी गई थी । तटकर अधिकारियों को कदम उठाने के लिए मैंने ही कहा था तथा वित्त मंत्री को दो पत्र भी लिखे थे । मेरे कहने पर ही आयातकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई.............. **(व्यवधान)** ।

अतः यह कहना नितान्त गलत है कि भ्रष्टाचार है ।* का इसमें कोई हाथ नहीं है । प्रधान मंत्री ने स्वयं जांच के आदेश दिए ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने चिथड़ा काण्ड के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और मेरे भूतपूर्व सहयोगी पर आरोप लगाए हैं, मैं उनका कठोर विरोध करता हूं ।

उनके द्वारा उठाए गये प्रश्नों का उत्तर मिश्रजी कई बार दे चुके हैं । वास्तविकता यह है कि इसी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इसके बारे में बताया था और इसी आधार पर कार्रवाई की गई । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी गहराई से जाँच की है, जगह-जगह छापे मारे गये । चार मामले चलाए जा चुके हैं ।

यह एक बड़ा गम्भीर मामला है । हजारों मजदूरों के जीवन यापन का प्रश्न है । फिर यह प्रश्न भी है कि बम्बई गोदी में पड़ी 48,000 गांठों की सुरक्षा खराब मौसम से किस प्रकार की जाए । मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु गरीब मजदूरों के लिए लोक सभा में कई बार हो चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा **(व्यवधान)** यह बहुत ही गलत चीज है । मैंने इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है **(व्यवधान)** ।

---

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया ।

Not recorded,

**कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

Expunged.

Shri Krishna Chandra Pandey : It is very unfair that this sort of words are, used for a minister and we go on looking without doing any thing.

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि किसी युवा और कुशाग्र मंत्री के सम्बन्ध में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाये, तो वह कार्यवाही में शामिल किया जायेगा अथवा नहीं ? इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कहे गये शब्द कार्यवाही में शामिल नहीं किए जायेंगे तथा ऐसा कहना उनको शोभा नहीं देता ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Is it correct that Hon. members may go on saying anything they like and the only action that can be taken is simply to remove his remarks.**

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही । मैंने यही कहा था कि यदि इन गांठों को सड़ने दिया गया, तो हजारों मजदूर भूखे मर जायेंगे । गांठों को छोड़ने की सामान्य प्रणाली में बड़ा समय लगता है। अतः हम इन गांठों को नियमानुसार जांच करके छोड़ रहे हैं तथा अपराधी पाये गए लोगों को दण्ड दिया जाएगा । विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई है और छापे मारे गए हैं । कुछ कागजात हस्तगत किए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपे गए मामलों की विचार से जांच हो रही है। इस सम्बन्ध में किसी बात को छिपाने अथवा इधर-उधर करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि विरोधी दलों के समान हम भी भ्रष्टाचार के विरोधी है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 मार्च, 1973/1 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 22nd March, 1973/Chaitra, 1895 (Saka).

**कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

Expunged.

आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरिया गंज, दिल्ली-6.